

म० गाँधी का समाजवेद

१२७१

मूल लेखक

डाक्टर बी० पद्माभि सीतारामैया

अनुवादक

श्रीयुत जगपति चतुर्वेदी, हिन्दी-भूषण, विशारद

विक्रेता—

मातृ भाषा मंदिर, दारागंज, प्रयाग ।

प्रथमवार

१९४०

{ मूल्य
अजिल्द १॥॥
मजिल्द २॥॥

प्रकाशक—

राष्ट्र भाषा मन्दिर

मुद्रक—

नारायण प्रसाद,
नारायण प्रेस, प्रयाग ।

भारत का आर्थिक शोषण

(लेखक डा० पट्टाभि सीतारामैया)

‘भारत में अंग्रेजी राज’ के यशस्वी लेखक, कर्मवीर
श्रीयुत सुन्दर लाल जी मूल पुस्तक के
सम्बन्ध में लिखते हैं—

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के योग्य मेम्बर डाक्टर बी० पट्टाभि सीतारामैया देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताओं में से हैं। वह अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के भी पूरे पण्डित हैं। उन्होंने अंग्रेजी में इन विषयों पर कई छोटी छोटी अच्छी किताबें लिखी हैं। उनकी *The Economic Conquest of India or The British Empire Ltd.* अभी हाल में प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने पिछले १५० वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की आर्थिक नीति का खाका खींचा है और नमक के महसूल, कपड़े के ब्यापार, रुई की चुंगी, ओटावा का मशहूर समझौता, रेल, जहाज, कोयला, सिक्के, नोट, टकसाल, विदेशों के साथ हुंडियावन, बट्टा, डाक महसूल, बङ्क, चेक, बीमा कम्पनियां, बिजली, फौज वगैरा के बारे में अंग्रेजों की नीति जो शुरू से रही

है और जो अब तक है उसे साफ २ और तफसील के साथ २ बयान करते हुये यह दिखाया है कि किस तरह इन सब महकमों के इन्तिजाम में भारत के साथ खुला अन्याय किया जाता है और किस तरह इस देश से ज्यादा से ज्यादा धन लूटना ही अंग्रेजी राज्य का सब से बड़ा उद्देश्य है। इस आर्थिक नीति का ही नतीजा है कि केवल एक कपड़े के ही बन्धे में जब कि सन् १८०३ तक एक गज कपड़ा भी विलायत से भारत में न आता था इस समय हमारा यह धंधा करीब करीब चौपट है, हमारे करोड़ों कारीगर भूखों मरते हैं और हमारा बाजार विलायती कपड़ों से पटा पड़ा है। लेखक ने यह भी दिखाया है कि सन् १९३५ में जो नया कानून पास हुआ है इसके अनुसार कहा जाता है कि शासन के नये अधिकार भारतवासियों को दिये गये हैं उसमें भारत की इन आर्थिक बेड़ियों को और ज्यादा जोरो के साथ कस दिया गया है। और आइन्दा के लिये इसका पूरा इन्तजाम कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान का अपना व्यापार या अपने उद्योग बन्धे उससे ज्यादा बनाने न पावें जितना कि अंग्रेजी कौम के लिये जरूरी है और भारत की यह भयंकर लूट बराबर जारी रहे। मेरी यह पक्की राय है और जबरदस्त ख्वाहिश है कि हर भारतवासी जो अंग्रेजी पढ़ सकता है इस पुस्तक को पढ़ ले। जो अंग्रेजी नहीं जानते वह किसी हिन्दुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद पढ़ सकें तो जरूर पढ़ें।

विषय-प्रवेश

भारत अनेक अनुभवों के बीच से होकर गुजर रहा है जिनका सामना अन्य देशों को नहीं करना पडा। जहां शेष संसार मे प्राचीन और आधुनिक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और राष्ट्रीयताएं हैं जो उनके भाग्य-निर्माण पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, भारत इस बात में बे जोड़ है कि राष्ट्र रूप में उसकी समान प्रगति और उसकी पुरातन सभ्यता विदेशी आक्रमणों के प्रहारों द्वारा आक्रान्त हुई हैं, और इस कारण उससे मुक्ति तथा उद्धार पाना ही भारत का सब से पहला काम रह गया है। विस्तृत रूप मे और अधिक गहराई तक जड़ जमाए हुए इस विदेशी बंधन से मोक्ष पाने के प्रयत्न के कारण ही विचारों और दृष्टिकोणों में विरोध उठ खड़े हुए हैं—नर्म और भिक्षुक वृत्ति के मार्ग, जिनका १९२० तक अनुसरण किया जाता रहा, अब छोड़कर एक युद्ध कला की नई योजना, और युद्ध की एक नई ही पद्धति का अवलंबन किया गया अतएव यह स्वाभाविक हो था कि ऐसी युद्ध-नीति और युद्ध की कार्य-कारिता के संबंध में संदेह और कठिनाइयां उठाई गई होतीं और इसमें भी किसी को संदेह नहीं हो सकता कि वे अधिक से अधिक ईमानदारी और सच्चाई की भावना से ही उठाई गई होंगी। इसलिए विदेशी शक्ति का सामना कर सकने का उपाय विवाद का विषय ही नहीं हो गया है, बल्कि उस युद्ध का लक्ष्य पदार्थ ही भीषण विवाद का केन्द्र बन गया है, जो विदेशी शक्ति को अधिकार-च्युत करने और उसकी जगह वह स्थापित करने के लिए करना पडता है, जिसे हम सब लोगों ने संचित रूप से स्वराज्य शब्द से संबोधित करना स्वीकार किया है। वास्तव मे दोनों बातें एक ही संघर्ष के दो प्रदर्शन है। हम

भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को हिंसा मार्ग से निर्मूलक करेंगे वा अहिंसा मार्ग से ? यह इतनी व्यापक समस्या है, कि इसमें यह आनुषंगिक समस्या भी सन्निविष्ट और अंतर्भूत है कि नया स्वराज्य क्या रूप धारण करेगा । उस स्वराज्य के रूप का अनुमान करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती जो भारत में एरु खूनी क्रान्ति द्वारा स्थापित किया गया होता अथवा वह जो सत्याग्रह के प्रयोग और अहिंसा की शक्ति से स्थापित किया गया होता । थोड़े ही समय के प्रयोग-काल में अहिंसा को ठोस सफलता प्राप्त होने पर भी नई पीढ़ी के एक दल को इसकी शक्ति के विषय में अत्यधिक सन्देह हो रहा है, और इसलिये वे इसके द्वारा निर्धारित निग्रहों की कठोरता कम करने की अधिक समय की संकल्प-विकल्प की इच्छा के प्रभाव में पड़े हैं । यह देखने में अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं कि कोई भी नई शक्ति उस पीढ़ी द्वारा तुरन्त मान्य नहीं होती जिनमें उसका तुरन्त ही प्रचार हुआ होता है । जब भाप के इजिन का अविष्कार हुआ तो उसके जन-प्रिय होने में समय लगा । आज भी ग्रामीण जुलाहा उस उडन-ढरकी को सदेह की दृष्टि से देखता है, जिसका प्रयोग उसके हाथ के करघे में किया गया है । ऐसे भी लोग हैं जो आज भी रेलगाड़ी, स्टीमर और हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने में भय खाते हैं । वास्तव में ये अक्सर धोखा दे जाते हैं । क्योंकि क्या हम आप्ट दिन रेलगाड़ियों के लड जाने, दूसरे दिन जहाजों के पानी में डूब जाने, और तीसरे दिन हवाई जहाज के टूट फूट कर गिर जाने का समाचार नहीं सुनते ? फिर भी समय के साथ इन वाहनों की लोक-प्रियता बढ़ती ही जाती है । इसी तरह ऐसे लोग थे जिन्होंने मिट्टी के तेल का चिराग जलाना स्वीकार न किया जब इसने रेंडी के तेल के दिण्टे का स्थान लिया, और न गैस को ही स्वीकार करना चाहा जब इसने मिट्टी के तेल का स्थान ग्रहण किया और अंत में बिजली पर नाक भौं सिकोडा जब इसने तेल और गैस दोनों को पीछे कर दिया ।

अंतर्राष्ट्रीय भाग्य-निर्णय मे निर्णायक शक्ति रूप में पाशविक बल के हम-
लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उसकी जगह अहिंसा के लेने की
सम्भावना को हमारा हृदय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं सालूम
होता । एक आक्रामक और निश्चित शक्ति के रूप में अहिंसा एक पूर्ण
दर्शन है और इसकी युद्ध-नीति का विकास प्रयोगों के बाद प्रयोगों के होते
जाने पर होता जायगा जो वास्तव मे सत्य के प्रयोग बन जाते है ।

चम्पारन १९०७ ई० मे इस तरह का एक प्रयोग था । तब १९१८ में
खैरा, १९२१ में बोरसद, १९२७ में गुरु का बाग, १९२८ में बारदोली,
उसके बाद १९३० का महान नमक सत्याग्रह, १९३८ में हरिजनोद्धार
तथा अंत मे १९३७-३८ मे धारा-सभा-कार्य-क्रम सत्याग्रह के चिरस्थायी
सिद्धान्त के स्फूर्तिदायक संरक्षण में कार्यान्वित हुए । यह नया व्रत, यह
पूर्ण स्फुटित दर्शन अभी प्रयोग काल मे है, किन्तु इसने जो सफलता
प्राप्त की है, वह भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य ऐसी प्रबल-शक्ति के सामने
भी अपनी शक्ति और कार्य-शक्ति को प्रमाणित करता है । तब गान्धी-
वाद की जगह दूसरे वादों को स्थान देने की क्या आवश्यकता है जो
योरप को छिन्न-भिन्न कर रहे है ?

जब हमारे समाजवादी बन्धु समाजवादी रूप की शासन-व्यवस्था का
बड़े जोर से समर्थन करते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि
क्या यह केवल बेबसी की बात न होगी क्योंकि यदि क्रान्तिकारी
अहिंसा का व्रत नहीं ग्रहण करते और ब्रिटिश शक्ति को हिंसा द्वारा
पराभूत करते है तो उन्हें जनता से न तो यह पूछने की आवश्यकता
होगी न वह पूछेंगे कि स्वराज्य की शासन-प्रणाली कैसी होनी चाहिए । इसके
विपरीत यदि हम अहिंसा और सत्याग्रह द्वारा अपनी ही शक्ति से विजय प्राप्त
करने में समर्थ होंगे, तो हमें अधिक सन्देह में रहने की आवश्यकता
न होगी क्योंकि जब हम समाजवादी सिद्धान्तों का पुनरुद्धार करेंगे जिन
पर भारतीय समाज ने अपनी प्राचीन नीव अच्छी तरह और यथार्थ रूप

में स्थापित की थी तो हमें उसे आधुनिक अवस्थाओं के अनुरूप बना लेना होगा जिससे केवल अधिकतम सख्या के व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही न मिले, बल्कि भारत के प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे को मानव-सुखों की आवश्यकताओं का अल्प परिमाण निश्चित करना पड़ेगा। इन दोनों लक्ष्यों के मध्य इस अंतर को सत्तेप में आधुनिकवाद और गांधीवाद का अंतर कहा जा सकता है। गांधी जी ने जीवन का कोई नया सिद्धान्त नहीं निकाला है, बल्कि आधुनिक समस्याओं में केवल प्राचीन सुलझावों का पुनः प्रयोग किया है। उन्होंने भारत को आदर्श नहीं प्रदान किया है बल्कि साधन प्रदान किया है। आदर्श पहले से ही युगों से विद्यमान था। हा उस पर मैल अवश्य बैठ गई थी और वह उस बर्बादी के कूड़ा कर्कट से भर गया था जिसमें उसे भूतकाल में फस जाना पडा था। वास्तव में वह था। वह लोगों की दृष्टि से ओम्कल हो गया था किन्तु उचित मार्ग से खोज किए जाने पर उसका पुनः अनुसंधान हो सका। जिसे हम गांधीवाद कहते हैं, वह इसी आदर्श का पुनः कथन है जिसमें आधुनिक युग की सभी परिवर्तित स्थितियों के अनुसार कुछ हेर-फेर कर दिया गया है। इस आदर्श की मुख्य विशेषताएँ इस पुस्तक के पृष्ठों में दी गई हैं जो प्रायः लेखों का पुनर्मुद्रण है जो पिछले सात वर्षों में लिखे गए थे। ये समाज के दो रूपों का स्पष्ट अंतर चित्रित करते हैं जिनमें से एक में सामाजिक-आर्थिक रूप से विभाजित किए गए हैं जिनमें अनेक वर्गों में भी सर्वदा शक्ति का सामंजस्य स्थापित रहता है और दूसरा समाज अनवरत बहाव की अवस्था में है और जिसमें चिरतन विश्वास की धाराएँ जीवन की कडाही में प्रतिस्पर्द्धा और हिंसा की उवाला के ऊपर उबल रही हैं और उनमें नीचे की पतें अपने ऊपर की पतों तक पहुँचने और फिर उससे भी ऊपर उठने का प्रयत्न करती हुई ज़ोर मारती और दबाव डालती हैं। आज एक सर्व-शक्तिशाली राष्ट्र और मानव व्यक्तिव के मध्य संघर्ष है। हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि

“पारस्परिक सहानुभूति और सहयोग के आधार पर स्थित सामाजिक रचना ही उदार पंथ वालों के स्वार्थ, व्यक्तिवाद और सर्वशक्तिमान राष्ट्र के उत्पीड़क सामूहिकवाद का एक मात्र सुलझाव है।” “उदार पंथी पूंजीपतियों के अनियंत्रित व्यक्तिवाद” और “समाजवाद तथा साम्यवाद द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों के पूर्ण लोप” के मध्य हमें कुछ सीमा तक व्यक्तिगत जायदाद का अधिकार स्वीकार करना पड़ेगा, साथ ही मुख्य उद्योग-धंधों और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना होगा क्योंकि व्यक्तिगत जायदाद की बुराई का इलाज उस बुराई के विरोध वा प्रतिबंध में है न कि अधिकार का ही लोप करने में।

भारतीय राजनीति में समाजवादी भावनाओं का विकास थोड़े समय से हुआ है, सन् १९१८ ई० में जब लखनऊ के सर्व-दल सम्मेलन में पं० जवाहर लाल नेहरू ने समाजवाद पर विस्तृत भाषण दिया तो उसे सुन कर अवध के ताल्लुकेदार घबड़ा गए, जिनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे और इस कारण नेहरू रिपोर्ट में यह दफा जोड़नी पड़ी कि वैध तरीकों से प्राप्त जायदाद मालिकों के आधीन ही निश्चित रूप से रहने दी जायगी। मार्च १९३१ ई० के गान्धी-हर्विन समझौते की महान घटना द्वारा सत्याग्रह की उल्लेखनीय सफलता प्रदर्शित होने के बाद मार्च १९३१ ई० में करांची के कांग्रेस अधिवेशन में एक सामाजिक-आर्थिक कार्य-क्रम बनाया गया, जिससे ज्वार की वृद्धि को विश्राम मिला, किन्तु १९३२ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने और भारत में अंग्रेजों द्वारा असद्विध भाव धारण किए जाने के कारण जेल, से लौटे हुए अंग्रेजी शिक्षित वर्ग के कैदियों में अहिंसा में अविश्वास और उदासीनता छा जाने के कारण समाजवाद और साम्यवाद का एक शुष्क कार्य-क्रम कार्यान्वित करने की बात उठी, जो सत्याग्रह के विपरीत साधनों के प्रति स्पष्ट पक्षपात द्वारा पूर्ण किया जाने वाला था। इतिहास की भौतिक व्याख्या सत्य और अहिंसा के रहस्यमय और आध्यात्मिक सिद्धान्तों के

आत्मा-कला, और सौंदर्य सयोगवश केवल भाववाचक शब्द हैं, साधारण आदमी को वे कोई ठोस चीज नहीं जान पड़ते। वास्तव में उनको आज की सभ्यता के मिथ्या तर्क में फसे लोगों की अपेक्षा निपट व्यक्ति अधिक समझता है। पश्चिम ने कलों की मार और पूर्वी सादगी, सौंदर्य, पवित्रता तथा आध्यात्मिकता के प्राचीन आदर्शों के ऊपर होड़ से 'शिक्षा' और 'संस्कृति' शब्दों को सघर्ष, पैसे और शक्ति वाले सबसे मोटे आदमी की ही दूसरों के मुकाबले विजय, शक्ति तथा प्रतिद्वन्दिता आदि का पर्यायवाची बना दिया है। देश ने अपनी प्राचीन प्रतिमा को फेंक दिया है और विचित्र देवताओं को पूजना प्रारम्भ किया है, हमको नित्य विदेशी चीजे इस्तेमाल करना, और पश्चिमी विचारों में डूबना सिखाया जा रहा है।

शिक्षित भारतीय का घर

इन अवस्थाओं में राष्ट्रीयता परिहास की बात हो गई है। हमें इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम शिक्षित भारतीयों के घर में जाकर देखें तो उसके घर बर, पहने ओढ़ने, तथा खाने पीने तक की चीजें सभी विलायत की बनी दिखाई पड़ेगी। घर के सजावट की सब चीजे, बच्चों के खिलौने, आदि सब विलायती होंगी। घर का सब ढाँचा, रहन-सहन विलायती होंगी।

उन्हे सबेरे से शाम तक विलायती चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम नित्य देख सकते हैं। कपड़े, ब्रश, साबुन, बेसलिन, बटन और चेहरे में लगाने की नफासत की सभी चीजे, मोजे, मोजेबन्द, क्लिय, बटन, पेटी, कालर, टाई, बूट, हैट, प्याले, प्यालिया, चम्मच, काटे, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाकूकैची, सब विलायती होंगी। विलायत की बनी खाने पीने की चीजे, उदाहरणार्थ, फ्रांस का कहवा, आस्ट्रेलिया का दूध, जावा की चीनी, चेशायर का नमक, इंग्लैंड की चटनी मुरब्बा,

खाना बनाने का चूल्हा प्राइमस स्टोव तक विल्कुल विलायती होगा । भोजन की सामग्री और उसके तैयार करने के सब सामान सिर्फ पानी छोड़ कर विलायती ही होंगे । पानी की जगह भी विलायती तरह तरह की शराबे शिक्षित, पश्चिमी दिमाग वाले व्यक्तियों के गले उतरती हैं । डीज़ लालटेन और पेट्रोमैक्स बत्ती, कलई के बर्तन, धातु चमकाने के ब्रासो पालिश विलायती दिखाई पड़ेंगे । आमोद-प्रमोद की चीजों में हाकी स्टिक, टेनिस रैकेट, क्रिकेट और वैडमिन्टन के बैट, पिंगपांग गेदे, तथा ताश विलायती ही होंगे । कागज़, कलम, दावात, निब, चश्मा, फीता, तौलने की मशीन, आदि विलायती ही होंगी । मेज़, कुर्सी, शीशे के फ्रेम आदि भी विलायती लकड़ी और तख्तों के बने होंगे । फर्श को बनाने वाले संगमरमर तथा चीनी मिट्टी के टुकड़े और खपड़ैल विलायती, ताले, सिटकिनी, कबजे, पर्दे, छड़ी, छाता, चित्र, हारमोनियम, ग्रामोफोन, रेकार्ड, सारंगी, पियानो, आदि भी विदेशी ही होंगे । कपड़े लत्ते, दवाएँ, बच्चों के खाने की चीजे, उस्तरे, ब्लेड्स, मक्खन, संरक्षित फल आदि भी विदेशी ही होंगे । इतना ही नहीं हम लोगों के गरीब मजदूरी पेशे वाले लोगों के घरों में भी विलायती चीजों की भरमार मिलेगी । आरी, वसूला, हथौड़ा, निहार्ड, सुई, तागे, सीने की मशीन, चाकू, कैंची, आदि सब विलायती चीजें होंगी । धनी घरों की मोटर, लारियों, हवाई जहाजों आदि की तो बात ही दूर है ।

कलों की मार

हम लोगों की लड़ाई असल में बड़े पैमाने के उत्पादन से है जो धनी को तो और धनी बनाता है और गरीब को और निर्धन । हमारा लक्ष्य धनी के पास और धन पहुंचाने और गरीब के पास की बची रकम भी छीनते जाने का नहीं है । किन्तु कलों का यही

नतीजा होता है। एक उदाहरण लीजिए। एक बोरा धान हाथ से कूटे जाने पर उसे कूटने वाली तीन औरतों को फी आदमी एक सेर चावल और एक आना मज़दूरी मिलती है। उनका काम मुश्किल होता है किन्तु मन उचाटने वाला और बहुत देर का नहीं होता। वे तीन बजे तड़के आकर दिन के तीन बजे काम खतम कर छुट्टी पा जाती हैं। छुट्टी पाकर वे गाती बजाती, गप शप करती खुशी खुशी घर जाती हैं। इस तरह हर एक औरत अपनी मिहनत की कमाई से खुद अपना, अपने पति का तथा दो बच्चों-कुल चार आदमियों का निर्वाह करती हैं। इस तरह एक बोरा धान 3×4 वा वारह प्राणियों के निर्वाह का साधन है।

अब कल की बात लीजिए। धान कूटने की एक मिल रोज़ ६०० बोरा धान कूटती, फटकती है। उसमें कुल ४० मज़दूर और एक आदमी की पूजी लगी होती है। ४० मज़दूरों का अर्थ 40×4 अर्थात् १६० आदमियों से हुआ जिनका निर्वाह उनकी मज़दूरी से होता है। यदि ६०० बोरे हाथ से कूटे गए होते तो केवल १६० आदमियों की जगह 600×12 अर्थात् ७२०० आदमियों का निर्वाह हुआ होता किन्तु मिल के कारण करीब करीब सात हज़ार आदमियों के निर्वाह का साधन मारा गया और उसकी जगह मिल के अकेले मालिक को मुनाफ़ा मिला और शेष रुपया पेट्रोल, तेल वा कोयला, टैक्स, रिश्वत, कलो में लगी पूजी के व्याज, पुराने पुर्जों की जगह नए पुर्जे लगाने के खर्च और कल की निरंतर घिसाई में पूंजी की कमी होने में ही खर्च हुआ। इस तरह मिल के मालिक को पूंजी की जगह और रुपया मिला और विदेश के उस व्यापारी को अधिक मुनाफ़ा मिला जिसने कल बनाई। इस तरह कपड़ों की मिलों, हज़ारों अन्य चीज़ों को तैयार करने वाली कलों की बात समझी जा सकती है। सवाल यह उठता है कि क्या कलों का बहिष्कार करना आवश्यक है और क्या ऐसा कर सकना संभव है।

विचित्र सत्य

जब गांधी जी ने ग्राम-उद्योगों और हाथ की कारीगरियों की प्रथा प्रचलित करना प्रारम्भ किया तो लोगों ने बड़े विस्मय से पूछना शुरू किया कि क्या कहीं बैलगाड़ी मोटर गाड़ी की दौड़ में ठहर सकेगी। हम लोग कलों के युग में रहते हैं, जिसमें उद्योग धर्मों की भारी दौड़, विदेशों में निर्यात के लिए चीजों का उत्पादन, मंडियों की खोज, राजनैतिक प्रभाव, साम्राज्यवाद तथा सैनिकवाद की धूम है। एक के बाद एक का नंबर आता है। पश्चात्य देशों ने मंडियों की खोज में उपनिवेश, अधीनस्थ राज्य, अपने स्वार्थों और प्रभाव के क्षेत्रों और रक्षित राज्यों की स्थापना की है। किन्तु इन सब का कुछ भी स्थायी फल नहीं निकला है। ये सब उसे विनाश की ओर ही ले जा रहे हैं।

युद्ध जो पूर्व और पश्चिम में समान रूप से ही भाग्य-निर्णय का अंतिम अस्त्र माना जाता है, आर्थिक रूप से निष्फल सिद्ध हुए हैं। इस शताब्दी के पहले दशक में ही श्रीयुत नार्मन एंजेल ने भविष्य-वाणी की थी युद्ध में विजित की अपेक्षा विजयी देश की अवस्था ही अधिक खराब होगी। यह कथन विरोधामास जान पड़ता है किन्तु फिर भी इसमें एक चिरस्थायी सत्य है। और मानों इस कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही पिछला महायुद्ध हुआ था।

पिछले महायुद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड को भारी विजय प्राप्त हुई थी और उन्होंने जर्मनी से क्षतिपूर्ति पाई थी किन्तु ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस बात का अनुभव जर्मनी को १८७१ में हो चुका था जब उसने विजयी होकर फ्रांस से क्षतिपूर्ति ली थी। क्षतिपूर्ति के लिए जो चीजे जर्मनी द्वारा फ्रांस को मिल रही थीं वे या तो फ्रांस में खुद तैयार होती थीं वा फ्रांस में इंग्लैंड से तैयार होकर आती थीं। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस को कोयला और कले

तो जर्मनी से मुक्त मिलने लगी, अतएव बाज़ार में उथल पथल मच गई। फ्रांस और इंग्लैंड के कारखाने तो बंद रहने लगे, बेकारी बहुत अधिक बढ़ने लगी और जर्मनी के कारखाने रात दिन खुले रहने लगे, वहा बेकारी का कोई सवाल ही नहीं था, लंदन में जहा बेकारों की संख्या युद्ध समाप्त होने पर १० लाख थी, वहा बढ़ कर २७ लाख तक पहुँच गई और बेकारों को सहायतार्थ दी जाने वाली रोज़ाना ८१ लाख रुपए की रकम सरकार की जेब से निकलने लगी अर्थात् तीन अरब रुपए वार्षिक केवल बेकार वृत्ति रूप में दिए जाने लगे।

आधुनिक पाश्चात्य अर्थनीति

युद्ध-संगठन वा सैनिकवाद के ये फल हैं। शान्ति के समय का संगठन औद्योगिकवाद है, सैनिकवाद जिसका अग्रदूत है किन्तु इंग्लैंड के लिए औद्योगिकवाद भी सैनिकवाद की अपेक्षा अधिक लाभकर नहीं सिद्ध हुआ। हम यहा पर इंग्लैंड की आर्थिक अवस्था पर कलों के कुप्रभाव के परिणाम का अध्ययन करेंगे। सन् १७८३ ई० में भाप के इजिन के आविष्कार होने और यांत्रिक बल का उद्योग-धंधे में उपयोग होने के बाद से पश्चिमी देशों ने उतनी तेज़ी से उद्योग-धंधों की गति तेज करने की कोशिश की है जितनी उन्हे मडिया मिलती गई है, और विदेशों में निर्यात के लिए माल तैयार कर वे पूर्व में मंडी की तलाश में निकले हैं। अब हम यह देख सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम की जन संख्या में बराबर का अनुपात है क्योंकि अकेले भारत वर्ष और चीन में शेष ससार के बराबर ७५ करोड़ की आबादी है। पश्चिमी देश माल तैयार कर एक दूसरे की होड़ में पूर्व में तैयार माल खपाते रहे हैं और चीन जापान अपने शिल्प धंधों की वर्वादी वर्दाश्त कर पश्चिम की कलों द्वारा तैयार चीजे खरीदते रहे हैं जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जेकोस्लोवाकिया, सयुक्त देश

और अन्य देशों में तैयार होती रही हैं ।

स्वावलंबी अर्थनीति

पूर्वी देशों में ज्यों ही राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई त्यों ही उन्होंने इन विलायती चीजों के आयात के खतरे को महसूस करना प्रारम्भ किया, और भारतवर्ष के पिछले अहिंसात्मक आन्दोलन ने आयात का खतरा ही नहीं बतलाया बल्कि आयात रोकने का लाभ भी दिखा दिया । जब निरस्त्र भारतीयों ने एक बार संसार के प्रबलतम साम्राज्य को झुका दिया और हिंसा के विपक्ष अहिंसा, असत्य के विपक्ष सत्य और अन्याय के विपक्ष न्याय की विजय दिखा दी तो इस पाठ को भारत के पड़ोसी राष्ट्र ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, अरब और मिस्र ने भी सीखा । उन्होंने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया । नतीजा क्या होगा ?

यदि बहिष्कार सफल हुआ तो पाश्चात्य देशों को अपना तैयार माल बेचने के लिए पूर्व में मंडी ही नहीं मिलेगी और वे अपने देशों में ही एक दूसरे से होड़ कर सस्ती बेचने में समर्थ नहीं हो सकते । उदाहरणार्थ डीजल लालटेन लगभग २ या ३ करोड़ प्रति वर्ष भारत में आती हैं । ये सब अमेरिका के संयुक्त देश वा जर्मनी में तैयार होती हैं । यदि हम इनका मँगाना बंद कर दे तो वे इन्हे बनाना बंद कर देंगे क्योंकि योरप का प्रायः प्रत्येक देश ऐसी चीजें अपने लिये तैयार करता है । इसलिए उन्हें इनका उत्पादन इतनी सीमित करना पड़ेगा जितने की उनके देश में ही खपत हो । विदेशों के निर्यात के लिए उत्पादन रोकना पड़ेगा । जब उनके पास निर्यात करने के लिये कोई चीज नहीं रहेगी जिससे वे अपने देश में आयात की कीमत चुका सकें तो उन्हें आत्मनिर्भरता का आश्रय लेना पड़ेगा ।

वास्तव में यही स्वाभाविक परिणाम होगा क्योंकि जहाँ विदेशी

राष्ट्र भारत में ७२ करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात कर रहे हैं वहाँ भारत अपने इस आयात की कीमत रुई और चावल देकर अदा करता है। यदि भारत ने कपड़े का आयात बंद कर दिया तो विदेशी मुल्क भारतीय रुई को लिवरपुल नहीं मँगाएंगे, चावल न खरीद सकेंगे। दूसरे शब्दों में चूँकि भारत को लंकाशायर के कपड़े की आवश्यकता नहीं, इसलिए इंग्लैंड भारत का चावल नहीं पा सकता। भारतीय चावल भारतीय खपत के लिये ही काफी नहीं है। अंग्रेज अधिकारियों के कथनानुसार भी सात करोड़ भारतीयों को आधा पेट भोजन भी नहीं मिलता।

इसलिए यदि भारतीय चावल का विलायत में निर्यात होता है तो उसका कारण यह नहीं कि भारत में चावल अत्यधिक है जैसा कि लंदन में बैठे हुए भारत के हाई कमिश्नर विज्ञापित करते हैं, बल्कि इस कारण होता है कि भारतीय कारीगर, कातने वाले, जुलाहे, कपास ओटने वाले, छीपी, रगरेज, बढई, मोची, कुम्हार, जहाज बनाने वाले, तथा मछली के व्यवसायी—आदि इस युग में अपने शिल्प से रोज़ी कमा सकने से वंचित न रहें, इसलिए जब स्वराज्य भारत के प्रत्येक निवासी को भोजन और वस्त्र प्राप्त कराता है तो भारतीय कारीगर पुनर्जीवित हो उठेंगे, और उन्हें भारतीय चावल की आवश्यकता होगी, और उसे खरीद सकने में समर्थ होंगे। तब भारतीय चावल विदेशों में निर्यात होने के लिए नहीं बच रहेगा, और पश्चिम को अपना चावल स्वयं पैदा करना पड़ेगा। लखनऊ प्रति मास ७०००० अर्धे विलायत खाना कर सकने में समर्थ न होगा जैसा कि वह आज कर रहा है। इसी तरह चाय, कहवा, तेल के बीज भी निर्यात के लिए न बचेगें, और न पश्चिमी देश इसके लिए समर्थ होंगे कि वे अपना तैयार माल निर्यात कर पूर्व के आयात के माल की कीमत चुकता कर सकें।

इसी तरह पश्चिम को अपने कारखानों का माल अपने देश में खत करने भर को ही तैयार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तथा साथ ही अपने लिए खाद्य सामग्री भी स्वयं पैदा करने में समर्थ होने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। एक शब्द में पाश्चात्य देशों को उसी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए विवश होना पड़ेगा जिस तरह भारतवर्ष सदा (ब्रिटिश काल छोड़ कर) आत्मनिर्भर रहा है।

अभी कुछ दिन हुए लंकाशायर मिल संघ के मंत्री ने लोगों को समझाना प्रारम्भ किया था कि लंकाशायर को केवल दूसरे धंधों में पड़ने का ही प्रयत्न नहीं करना चाहिए बल्कि इंग्लैंड को अपनी खाद्य सामग्री अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। जब इंग्लैंड इस प्रकार स्वावलम्बी राष्ट्र बन जायगा तो वह अपने जंगलों और वाटिकाओं को काट और उजाड़ चुका रहेगा जैसा कि उसने पिछले महायुद्ध के समय किया था और उसे भारत से आयात के स्थान पर अनाज स्वयं ही पैदा करना होगा। दूध तथा दूध से तैयार अन्य चीजें दूसरे देशों से मँगाने की अपेक्षा अपने देश में ही उत्पन्न करना होगा। अन्य पाश्चात्य देशों की भी ऐसी ही अवस्था होगी। ऐसी स्थिति हो जाने पर कलो की उतावली गति से चलाने की आवश्यकता तो रह ही नहीं जायगी, किन्तु कलात्मक उद्योग धन्धों के क्षेत्र में कदाचित कलो की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं रह जायगी। चरखा और करघा इंग्लैंड में भी उसी प्रकार घर घर लगे जैसा नावें में उनका प्रचलन हो रहा है। और जहा शेफील्ड में चाकू कैची, स्विटजर्लैंड में घड़िया, वेलजियम में निब, और फ्रांस में गोटे के व्यवसाय केन्द्री भूत होकर एक-देशिक-व्यवसाय हो गए हैं वहाँ उनके स्थान पर पाश्चात्य देशों में ग्राम धंधों को अपना क्षेत्र विस्तृत करना पड़ सकता है। इस प्रकार के भीषण परिवर्तन का मतलब वास्तव में उन्नतसर्वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति:

के विरुद्ध दूसरी क्रान्ति करना होगा और तब हम पाश्चात्य देशों में आज की अवकाश की भावना और समय के विपन्न उन्मत्त दौड़ को समाप्त देखेंगे ।

ठीक आदर्श

इस तरह हम पश्चिम में एक ऐसे युग के आगमन की आशा कर सकते हैं जब एक बार फिर राष्ट्रीय जीवन पर से बुद्धि का प्रभुत्व हट जायगा और उसकी जगह मनोभाव उचित स्थान ग्रहण करेगा, जब कलों का अत्याचार दबा गया दिया रहेगा और शिल्पी का कौशल पुनर्जीवित किया जा चुका रहेगा, जब उत्पादन केवल अपने देश में खपत के लिए होगा, पर-जीवी साम्राज्यवाद का स्थान स्वावलंबी, आत्म-निर्भर राष्ट्रीयता ले चुकी रहेगी, जब प्रतिद्वन्दिता की भद्दी भावना मिट गई रहेगी और सहयोग की सुन्दर भावना के लिए स्थान बना चुकी रहेगी, जब बाजार की नकली तड़कीली भडकीली चीज़ों की चाह की जगह टिकाऊ वस्तुओं का प्रेम आ चुका रहेगा जब सभ्यता एक-चार फिर टुकड़ों के स्थान पर 'पूर्ण' वस्तुओं पर आधारित होगी, जब राष्ट्र के मेधावी रचनात्मक कार्यों में योग देने का प्रयत्न करते रहेंगे और सहारक साधनों की खोज में नहीं लगे रहेंगे, जब विचार और जीवन आगिक न रह कर सर्वांगीण हो गए रहेंगे, जब धर्म दिखावट न रह गया रहेगा बल्कि जीवन की स्थायी प्रेरणा बन गया रहेगा और अततः जब राष्ट्र विश्व-विजय के आकाक्षी न रह कर परमार्थनिष्ठ आत्मा बन गए रहेंगे ।

गाँव राष्ट्रीयता की स्वावलंबी, आत्मनिर्भर इकाई हैं ।

यह सब कुछ अच्छा है और ठीक है । योरप को एक दिन अपना आदर्श बदलना पड़ेगा । डेढ़ सौ वर्षों की औद्योगिक क्रान्ति को

कदाचित्त अपने ही मार्ग पर पीछे लौटना होगा। हम को यह भी मानना पड़ेगा कि जर्मनी के युद्ध की तैयारी का कारण उसके पास विदेशों में विक्री के लिये मंडी का न रह जाना है। और कोई भी औद्योगिक देश उपनिवेश के बिना हाथ पैर रहित लुंज आदमी की तरह है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या कभी भारत इस रूप में रहा है कि वह स्वावलंबी और आत्म निर्भर रहा हो। हिन्दू समाज की रचना का आधार क्या है? इसी उत्तर पर उस योजना का ठीक होना निर्भर है जिसे कांग्रेस ने ग्राम्य उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए तैयार किया है।

हिन्दू समाज

यह प्रायः कहा जाता है कि हिन्दुओं में धार्मिक और सामाजिक-रीतियाँ और संस्थाएँ एक दूसरे में मिली होती हैं। यह बात ठीक है पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे होने के कारण हम लोग व्यवस्थाओं और संस्थाओं के ऐसे वेमेल संयोग का विरोध करते हैं। किन्तु जब हम पश्चिमी पर्दा हटा दे और अपनी प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करें तो हमें इसके अंतर्गत विचार-शीलता समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। यथार्थ बात यह है कि जिसे हिन्दू धर्म कहा जाता है वह मतों और सिद्धान्तों की उसी प्रकार एक गठरी नहीं है जिस प्रकार हिन्दू समाज रीतियों और सूत्रों की ढेरी नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत धर्म और समाज भारतीय जीवन के जाल के ताने बाने की रचना करते हैं और वे स्थूल रूप से हिन्दू संस्कृति द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं। यह संस्कृति ही हिन्दू सभ्यता की यथार्थ अनु-क्रमणिका है। यह हिन्दू प्रतिभा का विकसित रूप है। यह निस्संदेह उस उच्च स्फुरण से रक्षित होता है जो धर्म द्वारा सदा प्राप्त होता है। यह हिन्दू समाज का मूल आधार है जिसने ऊपरी तौर से देखने

स्थान पर युद्ध के भौतिक सिद्धान्तों को ही प्रथम स्थान देगा, और लखनऊ के अधिवेशन में (अप्रैल १९३६) समाज और गान्धीवाद के संघर्ष ने उग्र रूप धारण किया किन्तु साल भर के अन्दर ही फैजपुर (दिसम्बर १९३६ में) लोगों ने अनुभव किया कि समाजवाद को भी भारतीय-करण की आवश्यकता है, और इससे कांग्रेस के अधिक उग्र भाग तथा युवक दल के मस्तिष्क में भी उवार की गति में परिवर्तन हुआ । फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि अब भी उन्होंने उन तीन बातों का अनुभव करना प्रारम्भ किया है, जो समाज का पोषण करती है, अर्थात् कानून, लोकमत और व्यक्तिगत चेतना वा अन्तःकरण । इनमें अन्तिम सबसे प्रबल अमोघ और सबसे अधिक अचूक है, यह अवश्य कहा जायगा कि समाजवाद एक जीवन-यापन के साधन की अपेक्षा गौरव-त्याग रूप में ही अधिक प्रचारित किया जा रहा है । और एक जीवन का सिद्धान्त जो वास्तव में गान्धीवाद है, इस बात को ऐसा अंगीकार करता है, अहिंसा की शक्ति स्वीकार कर लेने पर हमारे सामने शक्ति वा एक नया और अनन्त स्रोत प्रकट हो जाता है, और इस सिद्धान्त को मान कर इसके आधार पर बना हुआ समाज एक ऐसा बिजली-घर होगा जहा पर संचालक गान्धी अपने सत्य और अहिंसा के डायनमों द्वारा अनन्त विद्युत् शक्ति उत्पन्न करेगा जो पहाड़ों को उखाड़ फेंकेगी और साम्राज्यों को निर्मूल कर देगी, रचनात्मक कार्य-क्षेत्र में यह मोटर से चलने वाले ट्रैक्टरों की भाँति भूचाल-पीड़ित राष्ट्र के कूड़ा कबाड़ को खोद डालेगा, और उद्धार के महान कार्य को इस प्रकार पूरा करेगा जिस से एक प्राचीन सभ्यता के लुप्त होते हुए लक्षणों में शक्ति और जीवन का संचार हो सके । गांधी जी का समाजवाद केवल एक भौतिक शक्ति नहीं है बल्कि नैतिक शक्ति है, जो राष्ट्रीय संस्कृति को पुनः उर्वर करती है जो उपेक्षा के कारण ऊसर बन गई है, तथा अन्दर से सूख कर निर्जीव हो गई है और बाहर की ओर फालतू हरियाली के भर जाने के

पर हिन्दू शब्द से बोध होने वाली अनेक जातियों का प्रभेद कर दिया है किन्तु इसी ने जीवन के बहुसंख्यक विरोधों के मध्य एक यथार्थ समन्वय भी विकसित किया है। ये विरोध केवल वर्तमान समय की द्रुतगामी कल्पनाएं नहीं हैं, और न वे ठोस विवाद हैं जो जीवन में समय समय पर उत्पन्न होते हैं, बल्कि हम यदि कह सकें तो वे उन चिरस्थायी भिन्नताओं में से कुछ हैं जो स्मृतिकारों, दार्शनिकों और महात्माओं को कठिन समस्या में डाल देती रही हैं। धन का विद्या से क्या संबंध है, मनुष्य की आध्यात्मिक प्यास का भौतिक लालसा से किस प्रकार सामंजस्य करना चाहिए? विश्वामित्र, वाल्मीकि और बशिष्ठ में कौन सब से बड़ा है? ये इन समस्याओं में से कुछ हैं जिनका उत्तर प्राचीन हिन्दू समाज के संस्थापकों और प्राचीन हिन्दू सस्कृति के पूर्व पुरुषों ने दिया था।

वर्णाश्रम धर्म

वर्णाश्रम धर्म हिन्दू समाज का मुख्य लक्षण है। भारत के चार वर्णों का सगठन उनमें होड़ की भावना मिटाने के लिए हुआ है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण को अपने ऊपर अभिमान करने का उपदेश दिया गया है और वह अपने में ही पूर्ण प्रजातन्त्र रूप है। ऐसा कोई नहीं कहता कि मनुष्य के चार आश्रमों में कभी विवाद खड़ा होता हो। वे धर्म के पालन के उसी प्रकार साधन होते हैं जिस प्रकार वर्ण। यह है कि चारों आश्रमों को एक व्यक्ति एक ही जीवन में पार कर लेता है किन्तु वर्ण को एक ही जीवन में क्रमानुगत अवस्थाओं में पार नहीं करना पड़ता बल्कि जीवन के एक चक्र में क्रमानुगत जन्मों में पार करना होता है। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण और आश्रम के कर्तव्य और कार्य बिल्कुल अलग अलग बटे हैं, अर्थात् उनका पृथक् पृथक् अपना धर्म है।

समय बदला

अब हमें यह देखना है कि आधुनिक काल में इनकी किस प्रकार अधोगति हुई है, और हम उनकी स्थापना नए सिरे से कर सकते हैं वा नहीं, और यदि कर सकते हों तो जीवन की वर्तमान अवस्थाओं का समाज के पुराने संगठन के साथ किस प्रकार सामंजस्य किया जाय। हमने यह देख लिया है कि ब्राह्मण निर्धनता और ज्ञान के प्रतीक रहे हैं और धन कभी भी ज्ञान का सहगामी वा पुरस्कार नहीं माना जाता था। संस्कृति की निस्संदेह मान और प्रतिष्ठा भी होती रही है किन्तु यह सेवा के आदर्श की अनुवर्तिनी बना दी गई रही है और संस्कृति के पुजारियों को राज्य और समाज से आश्रय मिलता था। राजा उन्हें दान देकर निर्वाह कराता था और जनता वृत्ति देती थी। ब्राह्मण राज्य और समाज दोनों की समान रूप से सेवा करता था और एक रूप से जीविका का अधिकारी था।

सम्पत्ति दूसरे वर्णों को दी गई थी, जायदाद और शारीरिक बल दूसरे ही वर्ण को और प्रत्येक को अपना कर्तव्य धर्म मानने, उसी के लिए जीवित रहने, और उसी के लिए मरने का उपदेश दिया गया था। किन्तु समय बदल गया। राजा रानी का संरक्षण नहीं रह गया। हिन्दू संस्कृति का समाज पर प्रभाव नहीं रह गया और विदेशी शासकों ने एक ऐसे दल से, जिसके लोग विद्वान और गरीब थे, अपना मत-लब साधने की आवश्यकता अनुभव की। इन लोगों द्वारा अपने कानूनों को जनता के सामने रखने और जनता की आकांक्षाएं स्वयं समझ सकने के लिए इनसे दुभाषिए का काम लिया। ब्राह्मणों ने बड़ी उत्कठा से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर इस रूप में विदेशी शासकों के द्वारा एक बार विशेष प्रतिष्ठा और धन प्राप्त किया किन्तु थोड़े ही समय में उन्हें मालूम पड़ा कि वे मँझदार में छोड़ दिए गए हैं जहां वे एक तैरते डंडे के ऊपर पड़े से मालूम पड़े जहां न तो उसके पास डाढ़ था, न

पतवार, न पाल । शासकों को दूसरी जातियों और वर्गों को आसमान पर चढ़ाने में सुभीता मालूम पड़ा । वे नई शिक्षा के कारण शक्ति, मान, मर्यादा, और धन की खोज में अपना पुश्तैनी धधा छोड़ बैठें और कुछ समय के लिए धन-सम्पन्न हुईं । इस प्रकार गाव कस्बों की ओर बढ़े, धंधों का नाश हुआ, लोगों में विदेशी शिक्षा, विदेशी उपाधियों, विदेशी नौकरियों, विदेशी प्रशसाओं, और पदवियों का नशा फैला जब तक कि प्रत्येक जाति और वर्ग ने अपने प्राचीन देश और सस्कृति को बेच डालना उचित न समझा ।

छोटा लोक

हम एक क्षण के लिए गावों में चले और समाज में प्रचलित इस नई बिगाड़ के कारण उत्पन्न की वर्तमान और भूत अवस्था पर विचार करें । कुछ समय पहले तक गाव एक संघबद्ध इकाई था, और एक तरह से वह अब भी ऐसा ही है । जिस तरह एक शताब्दी पहले था, उतना अब सामान्य उत्पादन और स्वार्थों के सम अधिकार चाहे न हों, किन्तु गाव अब भी राष्ट्रीयता की स्वावलम्बी और आत्म-निर्भर इकाई बने हैं और यदि भारतीय राष्ट्र को अपना व्यक्तित्व और अखण्डनीयता रखनी है तो उनको सुरक्षित और स्थिर रखना चाहिए । हम भारतीय गाव को एक छोटा लोक कह सकते हैं जो प्रायः अपनी आवश्यकता की सभी चीजें अपने अंदर ही पा जाता है ।

गाव में सब पेशे के आदमी रहते थे । इसलिए जीवन की अत्यधिक आवश्यकता की सब चीजें वहाँ मिल जाती थी । दूसरे गावों के साथ केवल सामाजिक आनन्द के लिए ही सम्पर्क होता था, किन्तु कस्बों के सम्पर्क से गाव का पैसा वकील, डाक्टर, और आढलिए द्वारा खिंच आता है और वहाँ से शहर, शहर से समुद्र पार चला जाता है । प्राचीन समय में हम लोग ससार को अपनी सर्वोत्तम उपज देते थे, और

अपने भोजन तथा वस्त्र के लिए कभी बाहरी दुनियां पर निर्भर नहीं रहते थे, किन्तु अफसोस, सब चीजों का क्रम ही पलट गया हम भिख-मंगे घसकट्टे ही रह गए हैं, भारतवर्ष जहा एक सब से प्राचीन सभ्य देश था, जहा देश भर में दूध दही की नदी बहती थी वहा यह विदेश की सराय हो गया है ।

भारत को भारी जन-संख्या का बल

क्या अब हम अपने समाज का काया-पलट कर सकते हैं ? इसमें बहुत सी कठिनाइया हैं, उनमें से सब से मुख्य देश के लोगों में उत्पन्न असहाय अनुभव करने की भावना है । किन्तु इतना ही नहीं, लोग यही नहीं अनुभव करते कि सब शक्ति हमारे हाथ से निकल गई है । बल्कि उन्होंने अपने में दासता और हीनता के गुण ग्रहण कर लिए हैं ।

हिन्दू समाज का अपने सुधार की ओर ध्यान देना उचित ही है । ब्राह्मण निराशा पूर्वक पूछता है कि सरकारी नौकरियों से वंचित रहने पर उसके भविष्य की क्या दशा होगी, मानो सदा विदेशी शासकों की अप्रार्थीय सेवा करते ही उसकी जिन्दगी बीतती आई है । हरिजन सोचता है कि अब तक सवर्ण हिन्दू एक सदी से उससे आगे बढ़े रहे हैं । उनको वह किस प्रकार पीछे कर सकता है । हमारा वह कहना है कि पुराने समय के हरिजन और ब्राह्मण, जो इस समय का हरिजन बन गया है, दोनों को और बीच की अन्य सभी जातियों उपजातियों को एक बार फिर उस अवनति की ओर ध्यान देना चाहिए जिसमें वे सब पिछली सदी में गिर गए हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वे, जिस हद तक मुमकिन हो, हिन्दू समाज की सामाजिक आर्थिक रचना का पुनर्बुद्धार कर सकते हैं वा नहीं ।

आज की वर्ण-व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था का विगड़ा रूप है । यह कोई नदी चारता कि विकृत व्यवस्था, जाली सिक्के का ही प्रचलन किया

जाय । बल्कि इस व्यवस्था की आत्मा जागृत करना चाहिए । ब्राह्मण, जिसका अभिप्राय आधुनिक समय के सभी विद्वानों से है, अपने बधुओं का नेतृत्व करे, सम्पत्ति को विद्या से पृथक् कर दिया जाय, शिल्प जीवन का पुनरुद्धार किया जाय, गाव राष्ट्रीयता की स्वावलम्बी, आत्म-निर्भर इकाई बन जाय । इतना कर चुकने पर हम भारत का पुनरुद्धार कर चुके रहेंगे ।

लोग यह पूछेंगे कि बैलगाड़ी मोटर गाड़ी की दौड़ में कैसे ठहरेगी । यह ठीक है । इस तुलना का मतलब यह है कि मामूली ग्राम-उद्योगों की ओर लौट चलना और ससार में गावों की बहार देख सकना भारत के लिए सम्भव नहीं है जहां पश्चिम-देशों में औद्योगिक-वाद की बाढ़ इतने विकराल रूप में फैल चुकी है । इस बात को मान लीजिए । किन्तु क्या हम एक सीधा प्रश्न अपने सामने रख सकते हैं कि जिस देश को आज से कल-कारखानों का जीवन प्रारम्भ करना हो वह विलायती कलों का मुकाबला किस प्रकार कर सकता है । लंकाशायर के कारखानों की कलों का गुप्त भेद बहुत कम लोगों को मालूम है जो प्रायः प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती हैं, जिनमें नित्य सुधार होते रहते हैं जो उसके खास व्यवसायी को ही मालूम होते हैं ।

जब हम कोई कल खरीदना चाहें और कलों को बनाने वाला हमें त्रिकुल नए ढंग की कले ही दे, तब भी उन कलों के तैयार होकर यहा खड़े किए जाने और चालू होने तक में छः से दस बरस तक लग ही जायेंगे । इतना समय, कल तैयार करने वाले देशों में नित्य के आविष्कारों में अवनवत होड़ के कारण, उन कलों को पुरानी अप्रचलित सिद्ध कर देने के लिए पर्याप्त है । जो कले इंगलैंड से भारत में आकर खड़ी होगी, और जो खुद इंगलैंड में ही चल रही होंगी उनके मध्य कितनी अधिक प्रतिद्वन्दिता होगी । उदाहरणार्थ एक मामूली कागज की मिल को लिया जा सकता है जो किसी जगह

भारत में खड़ी की जा रही हो वह स्कैंडिनेविया की कागज़ की नई से नई भारी मिलो का क्या मुकाबला कर सकती है ! इस तरह खड़ी की गई हुई असंतोषजनक कर्मचारियों और अपर्याप्त पूंजी से चालू की हुई, कुछ ही पुरानी बन गई आज की कलों को विलायत की नित्य सुधार और आविष्कार से उन्नत की जाती हुई कलों के मुकाबले हम बैलगाड़ी ही कह सकते हैं ।

भारत की प्रबल शक्ति

यथार्थ बात यह है कि चीन को छोड़कर भारत की भाति ससार में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी जन संख्या उस देश को असीम प्रबल शक्ति-सम्पन्न बनाती है । चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जिनमें संसार पर शासन करने की यथार्थ शक्ति है, किन्तु उनमें इस तरह की हीन महत्वाकांक्षा नहीं है, वे अपना ही शासन कर सकने में संतुष्ट रहेगे । भारत की जन-संख्या के बल द्वारा ही ग्राम-उद्योगों का पोषण होता है और वे कलों द्वारा तैयार चीजों के मुकाबले भी ठहर सके हैं । इस बात को दुनिया कबूल करती है कि हमारे देश का जुलाहा मिल मालिकों के मुकाबले अब भी ठहरा हुआ है । असल में उसके लिए जो बात सहायक है वह है मुफ्त की मिहनत । कारीगरों को जब कोई काम नहीं रहता, उस समय वह अपने स्त्री बच्चों के साथ मिल कर अपनी कारीगरी में लगे रहते हैं, इससे चीज सस्ती बनती है, कारीगरों को एक नई चीज़ तैयार करने की खुशी होती है । वह उस कारीगरी को अपनी कह सकने का गौरव अनुभव करता है । सारा परिवार एक ही जगह रहता है, उनके प्रेम और आचार भंग नहीं होने पाते । चीजों की तैयारी में जो थोड़ा अतिरिक्त व्यय बैठता है, वह एक सहायतार्थ धन के रूप में होता है जिसे देश-भक्त ग्राहक एक लोप होते हुए शिल्प के पुनर्जीवन के लिए अपनी खुशी से देता है ।

इस तरह अल्प-संख्यक धनिक उद्योगपतियों के हाथ में जाकर एक जगह संचय होने के स्थान पर धन और मजदूरी का बराबर रूप से बटवारे का निश्चय हो जाता है। ऐसे ही धन के एकत्र संचय होने के कारण पाश्चात्य देशों में एक ओर गगन-चुम्बी भवनों और दूसरी ओर श्रमिकों की गरीबी भोपड़ियों का जन्म हुआ है।

नए समन्वय की आवश्यकता

हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हिन्दू संस्कृति और ग्रामों के पुनरुद्धार का समर्थन करते हुए—वा अधिक प्रचलित शब्दों में भारत में पुनरुत्थान करने के लिए उद्योग करते हुए—हम संस्कृति, अर्थ-शास्त्र और राजनीति की खिचड़ी पका रहे हैं। हा, यह बात जरूर है कि प्राचीन समय में इस तरह का सविभाजन ज्ञात नहीं था। जीवन एक और अविभाज्य है। लोगों के आर्थिक संगठन की रक्षा सामाजिक लोक-मत और एक उन्नत चेतना के अनशासन के प्रयोग द्वारा होता था। इन दोनों को जीवन के रंग रंग में परिव्याप्त एक धार्मिक आदर्शवाद की कुछ भक्ति से सहायता मिलती थी।

इस प्रकार समाज की रक्षा केवल कानून के कड़े अंकुश से नहीं होती थी, बल्कि एक अत्यधिक उन्नत और सतत प्रभावशील लोक-मत द्वारा और इस के ऊपर एक तीव्र सवेदनशील चेतना द्वारा होती थी। इस प्रकार जीवन के कार्य भौतिक, बौद्धिक, और नैतिक थे, इन में नैतिक का सबसे ऊँचा स्थान था किन्तु समय की गति ने विपरीत क्रम से एक दूसरे के ऊपर के प्रभाव को मिटा डाला है। समाज की रचना एक समय इस महत् सिद्धान्त पर हुई थी कि धन जो राष्ट्र को केवल धनी ही नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है, उद्योग धंधों, बुद्धि, और श्रम-जीवियों के कल्याण के लिए अवसर होता है। यह बात विशेष कर उस देश में अवश्य होनी चाहिए जो गरीबों का वास्तविक देश है।

किन्तु, लोवेल के कथनानुसार, सभी मतों, रायों, और राजनीतिक सिद्धान्तों की प्रवृत्ति होती है कि वे जहाँ एक बार सस्थाओं के रूप में व्यक्त हुए होते हैं, अव्यवहृत हो जाते हैं, क्योंकि जो मुख्य और रचनाकारी सिद्धान्त विचार-धाराओं वा शासन-व्यवस्था के भेद प्रभेद रूप में विश्लेषित होने के समय क्रियाशील रहता है, अपनी क्रियाशीलता मिटा देता है, और जो एक समय चिरंतन चित्त का सजीव निस्सरण था, और इतिहास में सुव्यवस्थित रूप में व्यवहृत था, केवल बातचीत में आने वाला व्यर्थ सूत्र और इतिहासज्ञों के लिए नीरस विषय रह जाता है। इस लेखक द्वारा बताई अवस्था हिन्दू संस्कृति की आ पहुँची है। यह एक व्यर्थ सूत्र और नीरस विषय रह गई है। इसके पूर्व गौरव की स्मृति केवल कुछ आस्थाओं, प्रथाओं और रीतियों में रह गई है। अतएव हमें इसके सस्थापकों के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को जानने के लिए पिछली बातों पर विचार करना चाहिए और आज की ठोस बातों और लक्षणों को छोड़ कर उन आदर्शों के वातावरण में पहुँचना चाहिए जिसमें इसके अनेक लक्षणों की उत्पत्ति हुई थी।

ऐसा करने पर हमें तुरन्त यह अनुभव होगा कि किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके धार्मिक अभ्युदय की वाह्य अभिव्यक्ति होती है। यदि धर्म प्रेरक शक्ति है तो संस्कृति उसका प्रत्युत्तर है। और जब धार्मिक स्फुरण दुर्बल हो जाता है तो लोगों पर से संस्कृति का प्रभाव भी मिट जाता है। हिन्दू संस्कृति केवल एक बौद्धिक सूक्ष्मदर्शिता नहीं है बल्कि जीवन की सर्वांगीण व्यवस्था का प्रतिरूप है जिसके अंदर सामाजिक नियम और नागरिक सस्थाओं का समावेश है जो युगों के प्रहार का सामना करती चली आई हैं।

हम लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार समाज की नींव ही इस का मुख्य विषय रही है और सम्पत्ति तथा विद्या, भौतिक तथा आध्यात्मिक के मध्य बड़ी सावधानी से संतुलन स्थापित किया गया

था, किस प्रकार आनुक्रमिक सदियों और आनुक्रमिक आक्रमणों के प्रहारों ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, और किस प्रकार अबोधगम्य रूप से, पिछली डेढ़ शताब्दी के पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क द्वारा संचारित विश्वासघाती प्रभाव समाज की रग रग में व्याप्त हो गए हैं और उसकी नींव तक को हिला दिया है। जीवन की विल्कुल व्यवस्था ही पलट गई है और “उपयुक्त लक्षणों के साथ आदर्शों” की नई व्यवस्था” आ उपस्थित हुई है। संस्कृति और विवेक का स्थान धन और शक्ति ने ले लिया है तथा उन्हें विल्कुल उखाड़ फेका है। सामाजिक मर्यादा का स्थान ठेकों ने ले लिया है, और प्रजातन्त्रात्मक कहीं जाने वाली प्रवृत्तियों ने केवल भेद उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ ही खुली छोड़ी हैं।

अब एक बार फिर हिन्दू समाज को अपनी प्राचीन संस्कृति को ऊँचे आसन पर बैठाने और उसे अधिकार और निराशा के गड्ढे में गिरते हुए लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए प्रकाशस्तम्भ रूप बनाने की आवश्यकता है। एक नए समन्वय की आवश्यकता है जो जीवन के प्राचीन आदर्शों के साथ समाज की वर्तमान अवस्थाओं के संयोग को प्रकट करे और इसके लिए एक संस्था बनाने की आवश्यकता है जिसका मुख्य लक्ष्य और अध्ययन का विषय भारत की तीव्र गति से विलुप्त होती हुई संस्कृति को पुनर्जीवी करना और उसे भारतीय राष्ट्रीयता की वास्तविक कुर्जी बनाना हो।

निष्कर्ष

हम सब बातों का सारांश लिखेंगे। भारत का एक प्राचीन संगठन था, जिसमें देश का सब भाग, सभी गाँव स्वतः पूर्ण थे। ऐसे संगठन का पाश्चात्य औद्योगिकवाद के प्रहार के कारण लोप हो गया। पाश्चात्य औद्योगिकवाद का आधार बड़े पैमाने पर उत्पादन और प्रतिस्पर्-

द्धात्मक मूल्य हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्द्धी औद्योगिक राष्ट्रों के मध्य संसार की मंडिया विवाद की जड़ हैं। पिछले महायुद्ध के कारणों में से एक कारण यही था, दूसरे महायुद्ध का भी यही है। पाश्चात्य औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा आकाक्षित विक्रय-क्षेत्र पूर्व के देश हैं। पूर्व में आत्म-चेतना उत्पन्न हो गई है और वह उस दासता का अनुभव करने लगा है जिसमें वह बंधा है। जापान से मिस्र तक—पूर्वी राष्ट्रों ने अपनी मंडियों पर विदेशी चीजों के आक्रमण के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिया है। इसलिए दो बातें निश्चित रूप से होंगी। पूर्वी राष्ट्र अपना उत्पादन बढ़ाएंगे और जरूरतें कम करेंगे। पश्चिमी अपना उत्पादन कम करेंगे और खाद्य सामग्री तथा कच्चे माल को स्वयं उत्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह पूर्वी और पश्चिमी दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के निकट आ रही हैं—इस समय वे क्षणिक रूप से पृथक दिशाओं में जा रही हैं।

इसके लिए पूर्व को पश्चिम के सम्मुख आदर्श रखना चाहिये। पश्चिम अपने कड़ुवे अनुभव के बिना नहीं सीखेगा। पश्चिम कड़ुवा अनुभव कर चुका है और सीखना प्रारम्भ कर दिया है। एक बार मुख्य बात समझ में आ जाने पर, व्योरे की बातें पूरी करने में समय न लगेगा।

भारत में इस काम को हाथ में लेने वाला बड़ा राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस है। कांग्रेस कभी उग्र रूप का आक्रामक कार्य-क्रम रखती है और कभी रचना तथा पुनर्रचना का कार्य-क्रम रखती है। सन् १९२२ में कांग्रेस को १२ अप्रैल, १९३० तक विश्राम का अवसर मिला। उसे फिर २० मई, १९३४ से शान्त रहने का अवसर मिला है। इन शान्ति के समयों में धारा-सभाओं में जाकर कुछ लोग आदोलन जारी रखते हैं। इनमें न पड़ने वाले लोग रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे ही रचनात्मक कार्यों में पहला काम खहर का था। पहले लोगों

कारण दिखाई भी नहीं पड़ती ।

जब इस देशी रूप में इस समस्या पर विचार किया जायगा तो इस बात का तुरन्त अनुभव होगा कि श्रम और मजदूरी भारत में विचारों के एक विचित्र मिश्रण के रूप में हैं, यद्यपि पाश्चात्य देशों में वे मजदूरी के अभिभाज्य आनुषंगिक अंग हैं । अक्सर यह आलोचना की जाती है कि जब हम इस देश के शिल्प-जीवन की प्रशंसा का बखान करते हैं और इसने देश के लोगों को काम देने की जो निश्चित व्यवस्था की थी बात करते हैं तो हम केवल श्रम, अधिक श्रम, उससे भी अधिक श्रम से ही संतुष्ट हो जाते हैं । और हम श्रमिकों के लिए अवकाश की बात ही नहीं सोचते, हमारा दावा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था की मूल भावना ही भारतीय शिल्प-जीवन में ताने और बाने की बात मानव उद्योगों में श्रम और अवकाश की बुनावट की तरह है । भारत में केवल श्रम और केवल अवकाश नहीं है । श्रम अवकाश है और अवकाश श्रम है, श्रम कला है, श्रम आनन्द और मनोविनोद है, श्रम कलाकार की आत्मानुभूति और उसकी आत्मा की शान्ति है । श्रम और अवकाश भारतीय शिल्पकार के लिए उसी प्रकार विभाज्य नहीं हैं जिस प्रकार उसका शरीर और आत्मा । इस विषय के पहलू का अधिक विवरण आठवें अध्याय 'यंत्रों के दुष्परिणाम' में दिया गया है ।

भारतीय समाज के इस सजीव दृष्टिकोण को ग्रहण करने के स्थान पर हमें पश्चिम की क्रान्तियों के उसके अनेक परिवर्तित रूपों में निर्जीव अनुकरण करने में समय नष्ट करने के लिए आग्रह किया जाता है । यह अनुभव नहीं किया जाता कि पाश्चात्य देशों में भी एक क्रान्ति को पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगता है, और उसके आगे बढ़ने व पीछे हटने की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण नहीं किया जा सकता । क्या हमें यह कहने की आवश्यकता है कि एक क्रान्ति की विभिन्न स्थितियों और रूपों का अनुकरण करना एक पूर्ण सबाक चित्रपट के लाखों चित्रों

को यह विश्वास नहीं था कि खहर विदेशी कपड़े को भगा सकने में समर्थ होगा । किन्तु खहर ने यह लगभग कर दिखाया है । जागृत राष्ट्र की चेतनता होती है और वह सभी राजनीतिक तथा आर्थिक कानूनों तथा प्रतिबंधों से अधिक प्रबल होती है ।

खहर ग्राम-उद्योगों का राजा है । इसने अपना काम कर लिया है, किन्तु एक पुनरुत्थान का अग्रदूत होने के कारण इससे अन्य ग्राम-उद्योगों के पुनर्जीवन का भी प्रयत्न करना चाहिये । इसी काम को गांधी जी कांग्रेस के आदेश से 'अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ' स्थापित कर रहे हैं । हम यहाँ पर कांग्रेस और संघ के उद्देश्य के प्रस्ताव की प्रतिलिपि देते हैं जो बम्बई में वा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में ४८ वें अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था :—

कांग्रेस का प्रस्ताव

चू कि कांग्रेस-वादियों के सहयोग से और सहयोग के बिना भी स्वदेशी की उन्नति करने का उद्देश्य बताने वाली सस्थाएँ देश भर में खुली हैं और चू कि स्वदेशी के सच्चे रूप के सबंध में लोगों में बहुत भ्रम फैल गया है, और चू कि कांग्रेस का उद्देश्य इसके जन्म के प्रारम्भ से ही उन्नति करते हुए रूप में जनता में मिले रहना रहा है और चू कि ग्राम का पुनर्संगठन और पुनर्रचना कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक विषय रहा है और चू कि ऐसी पुनर्रचना का स्वाभाविक मतलब हाथ की कताई के मुख्य उद्योग के अतिरिक्त लुप्त वा लुप्त होते जाते हुए अन्य ग्राम-उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, और चू कि हाथ की कताई के पुनर्संगठन की तरह एक काम केवल केन्द्रित और विशेष उद्योग द्वारा ही संभव है जो कांग्रेस के राजनीतिक कार्यों से अप्रभावित और स्वतंत्र रहे, इस लिए श्री० जे० सी० कुमारप्पा को गांधी जी के आदेश और नियंत्रण में, कांग्रेस के कार्यों

के एक भाग रूप में 'अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सघ' नाम की समिति स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। उपयुक्त समिति उपयुक्त उद्योगों के पुनरुत्थान और प्रोत्साहन और गावों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिये कार्य करेगी, और उसे अपनी नियमावली बनाने, चंदा एकत्रित करने तथा ऐसे कार्य करने का अधिकार होगा जो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

उद्देश्य

इस सघ का उद्देश्य ग्राम पुनर्संगठन, पुनर्रचना, जिसमें ग्राम उद्योगों का पुनरुत्थान, प्रोत्साहन और उन्नति भी सम्मिलित है, तथा भारत के ग्रामों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना होगा।

मिल का कपड़ा बनाम खादी

बहुत से लोग पूछते हैं कि खद्दर और स्वदेशी प्रदर्शिनियों से मिल के कपड़े को क्यों बाहर कर दिया जाता है और मिल का कपड़ा जो स्वदेशी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों को पहनने का क्यों अधिकार नहीं दिया जाता। एक बात यह है कि मिल के कपड़े को, जिस को भारी पूंजी का आश्रय रहता है, उसके विज्ञापन के लिये कठिनाई से चलने वाली प्रदर्शिनियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस संगठन में किसी भी निर्वाचित समिति में स्थान के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए खद्दर पहनना आवश्यक शर्त है।

बहुत से लोग मिल के कपड़े में निहित आर्थिक और नैतिक अभिप्राय को नहीं समझते। मिल का कपड़ा स्वदेशी है, किन्तु सभी स्वदेशी चीजें गरीबों की सहायता नहीं करती। भारतीय शासन-व्यवस्था में केवल इसी बात को नहीं देखना है कि देश की ब्रिटिश साम्राज्य-

वाद से रक्षा की जाय, बल्कि भारतीय पूजापतियों के पजे से भी रक्षा करनी है।

मिलो का संचालन भारी पूजापतियों द्वारा होता है जो गाव से कस्बे में मजदूरों को खींच लाते हैं। और जब हम मजदूरों के जीवन की अवस्था को देखें और उसकी अवस्था से तुलना करें जिन में वे गावों में रहते थे और जहाँ का वास छोड़कर वे कस्बे में पहुँचे हैं तो यह तुलना हमको इतना स्तब्ध कर देगी कि इस पर बड़ी गभीरता से विचार करने की जरूरत मालूम पड़ेगी।

मिल के मजदूरों का कोई ऊँचे दर्जे का काम नहीं होता। उनकी रचनात्मक भावना लुप्त हो गई रहती है। वे कोई भी चीज शुरू से आखीर तक नहीं बनाते। वे कल में कुछ लगाते रहते हैं या तागा खींचते रहते हैं, या पुलिन्दों की सख्या गिनते रहते हैं या किसी पुर्जे पर पानी गिराते रहते हैं; या किसी पुर्जे में तेल लगाते हैं, उसे घुमाते वा मरोड़ते रहते हैं और इतने में ही उनका दिन भर का काम खतम हो जाता है। शाम को उन्हें सिर्फ मजदूरी भर की फिक्र रहती है, उस काम की तरफ ध्यान नहीं रहता जो उन्होंने किया होता है। वे उस जड़ पदार्थ को जिसका कच्चा पदार्थ बना होता है, एक सजीव रूप देकर उसे प्राणयुक्त पूरी तैयार चीज नहीं बनाए होते।

इसकी तुलना एक शिल्पकार से कीजिए जो पत्थर के भद्दे टुकड़े को ले लेता है और उसे गढ़कर एक सुन्दर आकार प्रदान किए होता है। अथवा जुलाहे की बात लीजिए जो दिन भर में एक कपड़े का टुकड़ा बुने होता है। वह उसका मालिक होता है उसे बेच सकता है, कहीं गिरो रख सकता है, अपने पुत्र की शादी के लिये उठा कर रख सकता है। किन्तु मिल का मजदूर दिन भर मिहनत करता है और अप्राकृतिक अवस्था तथा सास भी न ले सकने योग्य परिस्थिति में किए काम की थकान मिटाने के लिए अपनी मजदूरी

का तीन चौथाई नहीं तो आधा हिस्सा जरूर ही शराब पीने में खर्च कर देता है। मानव शक्ति को जीवन प्रदान करने वाली वस्तु मजदूरी की रकम नहीं है, बल्कि काम का आनंद है। मिल के मजदूर के हिस्से काम का आनंद नहीं पड़ता।

नैतिक पहलू पर विचार करने पर हम देखते हैं कि किस प्रकार पुरुष अपने ही परिवार की स्त्रियों से भी पृथक कर दिए जाते हैं और वे दूसरे परिवार की स्त्रियों के सम्पर्क में आते हैं। मिल में काम करता हुआ परिवार एक इकाई, ठोस इकाई नहीं होता जो एक उत्पादक कला के सम्पन्न करने में लगा हो, बल्कि खंडित रहता है। बच्चे तक माताओं की गोद से पृथक होते हैं। मिलों में फौजी संगठन होता है, किन्तु ग्राम-उद्योगों में गृहस्थी की मर्यादा अखंडित रहती है और उत्पादित वस्तु का स्वामित्व भी बना रहता है।

लोग मिल के कपड़ों की सस्ती की बात करते हैं किन्तु यह नहीं देखते कि जिन चीजों की सस्ती को वे खोजते हैं, वही उनके गरीब पड़ोसियों की बर्बादी का कारण है। एक मिल जो प्रति दिन ५०० पौंड कपड़ा, लगभग १५००० गज लम्बा बुनती है। १००० जुलाहों को बेकार करती है। कृषि के बाद बुनाई ही सबसे सामान्य धंधा है। क्योंकि भोजन के बाद जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु वस्त्र ही है। इसलिए जब हम भोजन और वस्त्र दोनों विदेश से मंगवाने लगे तो देश के दोनों मुख्य धंधों को हम बर्बाद कर दिए रहेंगे। इसी कारण हम आग्रह करते हैं कि देशी चीजे ही खाईं जायें और खदर ही पहना जाय। खदर केवल जुलाहे का ही पोषण नहीं करता, बल्कि गाव की विधवाओं, असहाय अबलाओं, पुत्रहीन माताओं और निराश्रय वृद्धाओं का भी सहारा होता है।

छोटी बातों का बड़ा परिणाम निकलता है। इसे हम इस तरह देख सकते हैं। यदि किसी गाव में ३०० चरखे चल रहे हैं तो दो आना

प्रति दिन के हिसाब से कताई करने वाली औरतों की मजदूरी ४०) प्रति दिन और २५ दिन में १०००) हुई। बारह महीने में इन औरतों की कमाई सिर्फ चरखे द्वारा १२०००) हो जायगी। और ऐसे भी गाव हैं जो कताई की पुरानी दर -) प्रति दिन के हिसाब से पिछले १६ वर्षों में एक लाख रुपया कमा चुके हैं। अब कताई की मजदूरी दो आना प्रति दिन कर दी गई है। इसलिए उनकी आय दुगुनी हो जायगी। क्या गाव की आय में यह छोटी रकम है? क्या यह उसके लिए भारी बचत नहीं है? लोग इस बात का अनुभव क्यों नहीं करते?

जब मैंने एक जमींदार से यह किस्सा सुनाया कि एक जमींदारी के गावों को कताई से कितना लाभ हुआ है तो वह उछल पड़ा और उसने अपनी जमींदारी के गावों में चरखा चलवाने की व्यवस्था करवाई। बात यह है कि कताई से कमाए हुए धन के चौथाई हिस्से से ही किसान देन और जमींदार की लगान चुकता कर सकने में समर्थ हो जाते हैं, इसलिए वे अपनी गाड़ी कमाई की पैदावार को रोके रहते हैं और बाजार चढ़ने पर उपज को बेचते हैं जिससे उनको काफी दाम मिल जाता है।

हमने कहा है कि प्रत्येक मिल १००० मजदूरों की रोजी मारती है। प्रत्येक धान कूटने की मिल प्रति दिन १५०० परिवारों की रोजी अर्थात् ६००० पेटों का खाना छीन लेती है। कपास ओटने का हर एक कारखाना प्रति दिन ९६ आदमियों की रोजी मारता है। इस तरह लोगों के बेकार हो जाने का लेखा लगाया जा सकता है जो कलों के उद्योग-धन्धों की भारी उत्पादक शक्ति के कारण बेकारी में पड़ते जाते हैं।

यह सब मुनाफा कहा जाता है? कुछ तो धनी मिल-मालिकों की जेब में जाता है और कुछ विदेशी व्यापारियों के हाथ में जाता है जो

कले बनाते हैं, उसमें जलाने की चीजे, तेल आदि, पुर्जों में लगाने वाले चिकनाई के तेल, तथा कलो के पुर्जे आदि देते हैं और उससे भारी मुनाफा उठाते हैं। इस तरह मिले धनी को अधिक धनी और गरीब को अधिक गरीब बनाती हैं। मिल का कपड़ा न प्रयोग करने के लिए यही विचार है। जो कोई जुलाहा भारतीय मिलो का सूत लेकर कपड़ा बुनता है, वह भी भारत में लगी हुई विदेशी पूजा की ही वृद्धि करता है। इस तरह मिलों का कपड़ा इस्तेमाल करने से ही भारतीय पूंजीपतियों को ही मोटा नहीं बनाया जाता बल्कि विदेशी पूंजीपति मोटे होते हैं और मुनाफा विलायत जाता है।

जो लोग खद्दर खरीद सकते हो उन्हें कभी भी, किसी भी दृष्टि से मिल का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और जो लोग न खरीद सकते हों, उन्हें भी खद्दर का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पड़ोसी की रोज़ी चलाने में मदद हो जाती है। मिल का कपड़ा सस्ता मालूम पड़ सकता है किन्तु खद्दर से आधा भी टिकाऊ नहीं होता। इस तरह दामो की कमी-वेशी पूरी पड़ जाती है। एक दूसरा उपाय भी है। जो लोग खद्दर पहने वे कुछ छोटा कपड़ा और कम सख्या में पहन सकते हैं। इस तरह खद्दर के कुछ ज्यादा दाम का पड़ता पड़ सकता है। किसी भी प्रकार हम खद्दर के लिए जो अधिक पैसा देते हैं वह स्वदेश के एक गरीब कारीगर और लुप्त होते हुए शिल्प के लिए सहायतार्थ दान रूप में होता है, इस तरह इस अधिक खर्च की यह शिकायत करने का मोका नहीं है।

भविष्य का शत्रु विदेशी कपड़ा नहीं है, क्योंकि लंकाशायर के कपड़े की मौत हो गई है, वह लुप्त हो गया है, वह फिर कभी लौट नहीं सकता। लंकाशायर के मिल-मालिक भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि-मंडल के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे

थे कि भारत लकाशायर से १७ करोड़ रुपए का कपड़ा खरीदे, किन्तु व्यापारिक प्रतिनिधि-मडल ने, जिस में नर्म दल और मिल मालिक थे, इस माग को बिल्कुल नामंजूर कर दिया था और कहते थे कि ३५ करोड़ से अधिक का कपड़ा लकाशायर से नहीं लिया जा सकता। ऐसी हालत में अब हम लोगों को गरीबों के दूसरे दुश्मन भारत के धनी मिल मालिकों से लड़ना है।



अध्याय ८

यंत्रों के दुष्परिणाम

१—यांत्रिक बल के उद्योग-धंधों से शुद्ध छिड़ता है ।

अठारहवीं सदी के अंत में भाप के इंजिन के आविष्कार के बाद मानव सभ्यता का एक नया युग प्रारम्भ हुआ जिसमें उस समय तक हाथ से चलाए जाने वाले औजारों को यान्त्रिक बल से चला कर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा । जो चीजे पहले हाथ द्वारा बनती थी उनकी अपेक्षा बड़े पैमाने पर कलों द्वारा बनी वस्तुएं सस्ती होने लगीं । उनकी बिक्री के लिए बड़ी मंडियों की आवश्यकता होने लगी । मंडियों की खोज से देशों के विजय के उद्योग होने लगे जिससे विजित देशों पर राजनीतिक और अनीतिक प्रभाव रक्खा जा सके । विजित देशों में हाथ से बनी चीजों के स्थान पर कल की बनी चीजे बेची जाने लगीं जो ज्यादा सस्ती और अच्छी थी । नए पैमाने के भारी औद्योगिकवाद के लिए फौजों को रखने की जरूरत पड़ी जिससे कच्चे माल उत्पन्न करने के क्षेत्र पर एकाधिकार रक्खा जा सके जिससे कलें चल सके, और मंडियों पर एकाधिकार रक्खा जा सके जहां उन कलों का तैयार माल बेचा जा सके । इसके अतिरिक्त विजित जातियों को विजेताओं की भाषा और रहन-सहन, फैशन और पहनावे, ग्रहण करने के लिये बाध्य किया जाता जिससे उनको पहले तो औद्योगिक देशों की कलों द्वारा तैयार चीजों को बलात ग्रहण कराया जाय, फिर वे चीजे उनमें स्वयं लोक-प्रिय हो जायं ।

यह योजना पहले काम कर गई, कुछ दशकों तक चलती रही। उन्नीसवीं शताब्दी भर इंग्लैंड और जर्मनी सरीखे राष्ट्र खूब सम्पन्न दिखाई पड़े और एशिया तथा अफ्रिका में साम्राज्य स्थापित करते रहे, तथा इन दोनों महाद्वीपों के धन पर मोटे होते रहे। किन्तु शीघ्र ही वह समय आया जब उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में बढ़ने लगा कि पश्चिम की इन दो प्रबल शक्तियों में ही प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। फ्रांस जितना औद्योगिक था, उतना ही कृषि-जीवी, इटली कृषि-जीवी ही अधिक था, रूस उन्नीसवीं सदी के अधिकांश भाग तक इतना कृषि-जीवी था, कि एशिया और अफ्रीका की तरह वह भी इंग्लैंड और जर्मनी की तैयार चीजों की मडी था, और अपने देश में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले गेहूँ से कल द्वारा तैयार चीजों की अदला-बदली करता था। औद्योगिकवाद की तेजी और परेशानी पिछले महायुद्ध के रूप में फूट पड़ी। जिसके छिड़ने का मूल कारण तत्कालीन राजनीतिक घटनाएँ नहीं थीं, बल्कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा थी।

२—युद्ध और उसके दुष्परिणाम

यह सबको ज्ञात है कि योरोप का पिछला महाभारत कलों और उद्योग-धन्धों की पूजा के कारण उत्पन्न हुआ था। उस महायुद्ध की ध्वसलीलाएँ, उसके भीषण आर्थिक परिणाम, और बिल्कुल निर्दोष दिखाई पड़ने वाले भाप के इंजिन अन्य यांत्रिक बल (गैस, इंजिन, तैल इंजिन, तथा पेट्रोल इंजिन और बिजली का डायनमो और मोटर भी) के भंयकर परिणामों का यहाँ पर कुछ विस्तार से अध्ययन करना चाहिए जिससे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र की भीषण परिस्थिति का कुछ अनुमान हो सके।

महायुद्ध की भौतिक हानि पर हम पहले विचार करेंगे। प्रो० एल०

वोगर्ट के अनुमानुसार महायुद्ध की प्रत्यक्ष हानि १८६,००,००,००,०००, एक खरब, छियासी अरब और अप्रत्यक्ष हानि १५१,००,००,००,०००, एक खरब इक्यावन अरब डालर अर्थात् दोनों के योग कुल ३, ३७, ००,००,००,००० तीन खरब सैतीस अरब अर्थात् एक लाख करोड़ (दस खरब) रुपए की हानि हुई। यह ध्यान में रखने की बात है कि जीवन, मनुष्य की जीवन शक्ति, कुशलता, नीति, आचार और मानव संबंध के अन्य रूपों पर जो प्रभाव पड़ा उसकी गिनती इस हानि में नहीं की गई है। युद्ध काल के पाच वर्ष में हुई हानि का यथार्थ लेखा-रूपों में बता सकना असंभव है।

धन की इतनी हानि तो हुई है किन्तु जन की जितनी हानि हुई वह अधिक भयानक है। संसार के इतिहास में कभी इतने अधिक मनुष्य एक दूसरे द्वारा बध होने के लिए एकत्र नहीं हुए। युद्ध काल में कुल ६ करोड़ सैनिक युद्ध के लिए तैयार किए गए थे और लड़ाई में भाग लेने वालों में अस्सी लाख सैनिक मारे गए वा बीमारी से मरे, एक करोड़ ९० लाख घायल हुए ७० लाख बंदी किए गए। ब्रिटिश साम्राज्य के मरो और घायलों की संख्या ३० लाख थी।

उपर्युक्त संख्या केवल लड़ने वाले सैनिकों की है। साधारण नागरिकों की मृत्यु संख्या भी भयानक है। पूर्वी योरप और तुर्की साम्राज्य में नागरिकों की मृत्यु संख्या बहुत थी। अनुमान किया गया है कि प्रत्येक मृत सैनिक पीछे ५ नागरिक भूख प्यास, मैदान में रहने, बीमारी, कत्ले आम, वा बच्चों की मृत्यु संख्या बढ़ने से मरे। साधारण मौत के अलावे ४० लाख आदमी युद्ध के कारण उत्पन्न बीमारिया—युद्ध ज्वर, (इन्फ्लुएंजा) और न्युमोनिया से मरे। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के कारण मरो की संख्या ४ करोड़ बताई जाती है। और यदि संतान-उत्पत्ति में कमी को भी जोड़ा जाय तो यह संख्या ५ करोड़ होगी।

में से प्रत्येक चित्र को लेना है, रूसी राज्य क्रान्ति भी अपने विकासके पिछले दो दशकों में अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरी है और यह हम लोगों के नवयुवक सुधारकों के लिए उचित मालूम पडता है कि वे एक नए आन्दोलन को पूर्ण के स्थान पर अश अंश रूप कार्यान्वित करने के लिए हाथ मे लेने के पहले उसके भाग्य परिवर्तनों की जांच करे और विचार करें । क्या हम कह सकते है कि तब हम लोगों के समाजवाद का अच्छा फल निकलेगा ? जब एक बार हम लोगों की राष्ट्रीय सस्कृति के मुख्य अंगों को ग्रहण कर लिया जाता है तो वह मानव चञ्चुओं के सम्मुख स्पष्ट हो जायगी । जो राष्ट्र अपने पडोसी पर अधिकार करने की नीति नहीं रखता उसके नागरिक भी स्वाभाविक रूप से ऐसे होंगे जो एक दूसरे पर अधिकार न रखना चाहते हों । प्रेम और सेवा इसकी उन्नति के संकेत वाक्य होंगे और सम्पूर्ण राष्ट्र के सामूहिक कल्याण के लिए उसके प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा की हुई प्रार्थना का परिणाम व्यक्तियों के पूर्ण विकास रूप में होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित होगा और अपने को अखिल मानव संघके एक अवयव रूप में बना लेगा जो, सुसंस्कृत प्रवीण, आचार मे उन्नत और जीवन मे पूर्ण होगा तथा राष्ट्र के यन्त्र में स्वचालित कल और उसके भिन्न २ पुर्जों के रूप में न होगा । इनमें पहला गाधीवाद है और बाद वाला समाजवाद ।

मछलीपटम, मद्रास }

डा० बी० पट्टाभि सीतारामैया

जन-सख्या के हास का एक नमूना फ्रांस का उदाहरण लेकर देखा जा सकता है। १९१४ ई० में फ्रांस की आबादी ३,९७,००,००० तीन करोड़ सत्तानवे लाख थी। इस मामूली जन-सख्या में से लगभग ८० लाख युद्ध के समय फौज में बुलाए गए, उनमें से १४ लाख मारे गए, ३० लाख घायल हुए, और ४ लाख से अधिक कैद हुए। घायलों में से ८ और ९ लाख के बीच स्थायी रूप से शारीरिक रूप से लुज हो गए थे। इस तरह पूरे २० लाख मनुष्य जिनमें से अधिकांश देश के चढती जवानी वाले पुरुष थे—मर गए वा लुज होकर असहाय हो गए।

इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि युद्ध में सब से वीर और साहसी व्यक्तियों की ही मृत्यु हुई। मोर्चे पर सामने आक्रमणकारी वा रक्षक सेना में सब से साहसी सैनिक रक्खे जाते हैं। वे ही भयकर युद्धों में भाग लेते हैं, इस लिए मरो और घायलों में उन्हीं की सख्या अधिक होती है, इसलिए युद्ध के बाद देश में शौर्य-हीन जनता ही रह जाती है।

युद्ध का एक दूसरा भयकर परिणाम युद्ध की समाप्ति पर वेकारी की वृद्धि है। वेकारों का लेखा देखने पर पता चल सकता है कि युद्ध के बाद योरप में एक करोड़ ५० लाख परिवारों को वेकार-वृत्ति देकर उनके भोजन का प्रबध किया जाता था।

३—युद्ध के दुष्परिणाम का प्रतिकार

नार्मन एंजेल ने इस शताब्दी के प्रारम्भ में भविष्य-वाणी की थी और साबित किया था कि युद्ध के परिणाम विजित की अपेक्षा विजेता के लिए ही अधिक हानिकर होते हैं। उन्होंने अपने सिद्धान्त की पुष्टि बुअर युद्ध में की। वे अपने सिद्धान्त को दुबारा सच साबित देखने के लिये पिछले महायुद्ध के समय भी जीवित थे। हमने पहले दिखाया है कि किस प्रकार महायुद्ध के पश्चात् फ्रांस और इंग्लैंड

बेकारी की समस्या से परेशान हो गए थे। सच बात यह है कि महा-युद्ध के प्रत्यक्ष और तात्कालिक ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष और बिलम्ब में होने वाला नतीजा यह हुआ था कि पूर्व के देशों ने पश्चिमी देशों, विशेष कर इंग्लैंड और जर्मनी के माल का बहिष्कार करना प्रारम्भ कर दिया था। लंकाशायर का कपड़े का व्यवसाय बहुत ही अधिक गिर गया था। १९३६—३७ में ब्रिटेन से भारत में कपड़े की कुल आयात ३३ करोड़ ४ लाख गज कपड़ा था जब कि भारत की कुल खपत ५ अरब ७५ करोड़ गज थी अर्थात् आयात भारत की कुल खपत का ५.८ प्रतिशत था।

१८१३—१६ और १९३६—३७ ई० के बीच भारत में लंकाशायर के कपड़े की खपत ५८ प्रतिशत से घटकर ५.८ प्रतिशत रह गई तथा भारतीय मिलों के कपड़े की खपत २२ प्रतिशत से बढ़कर ६२.१ प्रतिशत हो गई, जब कि इस व्यवसाय में जापान का भाग जहा पहले कुछ नहीं था, वहा ७.२ प्रतिशत हो गया। और साफ तौर से समझने के लिए यह जान लेना चाहिए कि १९१३ ई० में ब्रिटेन से भारत में आयात कपड़ा ५० करोड़ का था किन्तु १९३७ ई० में वह ७ करोड़ ही रह गया।

हिन्दुस्तानी-ब्रिटिश व्यापारिक समझौते की बैठकों में जिनमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि-मंडल में सर पुरु-षोत्तम दास ठाकुरदास, कस्तूरभाई लालभाई, लाला सीताराम, और घनश्यामदास बिड़ला सरीखे नरम दल के व्यक्ति और व्यापारी और मिल-मालिक थे, लंकाशायर इस बात की प्रार्थना करता रहा कि भारत ब्रिटेन से ९०० लाख गज कपड़ा खरीदे किन्तु ये प्रतिनिधि ६६६ लाख गज से अधिक लेने के लिये राजी नहीं हो रहे थे। ब्रिटेन भारत में कपड़े की खपत के बदले इंग्लैंड में भारतीय रुई की खपत यथाशक्ति बढ़ाने का जिम्मा लेने के लिये तैयार था किन्तु भारतीय

प्रतिनिधि अपनी ही शर्तों पर डटे रहे ।

इस प्रकार यह दिखाई पड़ रहा है कि कलों के साम्राज्य का लोप हो रहा है । परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इसके, लोप हो जाने की बात प्रकट कर रही हैं । किन्तु यह इस युग के आर्थिक और सामाजिक पहलू ही हैं, जो समय की गति के कारण फूट कर बाहर निकले दिखाई पड़ते हैं । इस चित्र का नैतिक पहलू कलों के लिये इस की अपेक्षा बहुत ही अधिक विनाशक है ।

४—कलों की नैतिकता

जब हम कलों का विरोध करते हैं तो हम किसी अधविश्वास द्वारा प्रभावित नहीं रहते । हम जिस बात का विरोध करते हैं, वह है कलों के युग का अत्यधिक प्रभुत्व-स्थापन जीवन पर इसका बढ़ता हुआ प्रहार, गांव के ऊपर लादी हुई इसकी गुलामी की जजीर, मनुष्य के हुनर और व्यक्तित्व की बर्बादी, एक नए वैयक्तिकवाद की वृद्धि जो धनी और धनी तथा गरीब को और गरीब बनाता है, देश भर में घरों और परिवारों में अनैतिकता की वृद्धि, और अततः राष्ट्रों के बीच सतत युद्ध की वास्तविक स्थिति, जो आज के संसार में राष्ट्रीय जीवन का स्थायी रूप हो गया है ।

हम इन बातों का अध्ययन अधिक विस्तार से करेंगे । कलों की तेज़ी के कारण समय और दूरी की बाधा कट गई है । शारीरिक श्रम कम हो गया है, मानव-यातना के ज़ोर की कमी हो गई है । और भौतिक युग की सस्कृति नगरों में ही नहीं, बल्कि गावों के लोगों में लोक-प्रिय हो गई है । अत्यधिक दूर की आवाज सुन ली जाती है, दूर के दृश्य पुनः प्रदर्शित किए जा सकते हैं । एक नई बाजीगरी और इन्द्रजाल जीवन में परिव्याप्त हो गया है जिसका मानव मनोभावों तथा मानव धारणा शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, भारी उद्योगपतियों

का एक दिन मे ही जन्म हो गया है । और सम्पत्ति का भारी संचय हो गया है, बाहर से देखने पर व्यक्तियों ही नहीं बल्कि जन-समूहो और राष्ट्रो के मध्य एक बंधुत्व भावना जागृति मालूम पड़ती है । किन्तु एक नए शैतान, स्वार्थपरता के शैतान का भी जन्म हो गया है जिसके साथ एक दूसरे अवतार, प्रतिस्पर्द्धा के शैतान का भी जन्म हो गया है ।

इन के कारण बेरोक व्यापार के सिद्धान्त का जन्म दिया गया और इसी की लहर उदार दल के नाम के साथ बह चली । किन्तु स्वार्थ-परता के सिद्धान्त पर कतिपय कुलीन वर्ग के व्यक्तियों वा कतिपय मध्य श्रेणी के प्रमुख व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं रह सकता । कुलीन वर्ग ने पूंजी लगाई और माल तैयार किया, मध्य श्रेणी वालो ने उन मालो का वितरण किया, और धनी हो गए । इस तरह समाज मे संघर्ष उत्पन्न हुआ जिसमे समाज के प्रत्येक दर्जे के आदमी अपने दर्जे से ऊपर उठने के लिए उद्योग करने लगे । किन्तु उच्च और मध्य वर्ग, अनुदार और उदार दल, पूंजीपति और खुदरा व्यापारी—सब ने निम्न वर्ग, श्रमिकों को अवेला ही छोड़ दिया । अतएव एक नए आन्दोलन का जन्म हुआ—एक मजदूर आन्दोलन, एक क्षीण समाजवादी आन्दोलन, एक तीव्र उदार आन्दोलन उत्पन्न हुआ जिसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में मताधिकार देकर और आर्थिक क्षेत्र में मजदूरी की वृद्धि तथा पुरस्कार देकर तथा सामाजिक क्षेत्र मे अनेक बीमो, विशेष सुविधाओ और बेकार वृत्तियों को देकर अवस्था में विशेष सुधार किया गया । किन्तु इन उपायो मे कोई भी सम्पत्ति के यथार्थ उत्पादको को अचेतन करने में समर्थ नही हो सका है क्योकि खाने से और भूख बढ़ती है । मजदूरो द्वारा हड़ताल और मालिक द्वारा मजदूरो के बहिष्कार, मजदूरो द्वारा कारखाने के विध्वंस करने के प्रयत्न और मालिको द्वारा मजदूरों पर गोलियों की बौछार ने दोनो को एक दूसरे के प्रति भयभीत रहने की चिरस्थायी स्थिति में डाल दिया है ।

इधर मजदूरो की आवश्यकता कम करते जाने वाली कलों की नित्य उन्नति की जा रही है। यदि कल की तदवीर से एक काम के करने में सौ आदमियों की जगह दस आदमी की ही दरकार रह गई थी तो आज की तदवीर से वहा एक आदमी ही काम पूरा करने के लिए काफी है। नतीजा यह है कि आज के कुछ दिन पहले जहा सौ आदमियों को काम दिया जाता था, उसकी जगह एक ही आदमी की दरकार रह जाने से ९९ आदमी बेकार हो गए हैं। इस तरह आज के आविष्कार कल के आविष्कार के शत्रु हो रहे हैं और ये दोनों १०० आदमियों में से ९९ के शत्रु हो रहे हैं।

जहा यह भीतरी रोग-कीटाणु है जो उद्योग-धधों की जीवन-शक्ति को खा रहा है, वहा स्थूल रूप से यथार्थ बात यह रह जाती है कि नए नगर और कस्बे, जो नए उद्योग-धधों के प्रचलित होने से बसे हैं, केवल अस्वास्थ्यकर और घने ही नहीं हो गए हैं, बल्कि वे गावों और ग्राम-उद्योगों के शत्रु भी हो गए हैं। जमीन और उसकी अटूट संचित शक्ति का त्याग कर दिया गया है। गाव के कारीगरों के हुनर और कौशल को भुलाया जा रहा है, और उनका लोप हो रहा है। बेकारी सब ओर छाई हुई है और उदार सरकार देश की बर्बादी और लोगों के भूखों मरते जाने की समस्या पर आखे मूंदे ले रही है। शिल्प विज्ञान की जितनी ही वृद्धि हो रही है, लोग उतने ही अधिक पहले शारीरिक भूख से, बाद में आत्मिक भूख से मर रहे हैं।

कलों का साम्राज्य बेहिसाब उँचाई और बोझ का हो गया है, इस कारण प्राचीन रोम साम्राज्य की तरह अपनी ही उँचाई और बोझ के कारण भरभरा कर गिर रहा है। यह अधिक दिनों तक नहीं रह सकता। प्रतिस्पर्द्धा जो समाज की जड़ में घुस गया है, श्रमिक वर्ग में आत्म-चेतना उत्पन्न होने से बिल्कुल स्वाभाविक रूप से स्वयं मिट जाने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। इस तरह यह अनिवार्य

हो गया है कि एक राष्ट्र दूसरे पर अवलंबित नहीं रहे । यह नहीं हो सकता कि एक राष्ट्र तो नित्य धन बटोरता ही जाय और दूसरा उसका दास बनने में संतुष्ट रहे । अब वह दिन दूर नहीं है जब प्रत्येक राष्ट्र स्वावलंबी बन जायगा । यह आर्थिक और भौगोलिक दोनों आवश्यकता है । ऐसा आदर्श प्राप्त करने के लिए भारत बहुत उपयुक्त स्थिति में है । जब एक राष्ट्र स्वावलंबी हो तो वह अपने अन्दर दो श्रेणी, एक तो पूजीपति मालिक और दूसरी परिश्रम करता हुआ दास फिर से उत्पन्न नहीं होने दे सकता । यदि संभव होगा तो प्रत्येक प्रान्त स्वावलंबी होने का प्रयत्न करेगा, संभव होने पर प्रत्येक गाव स्वावलंबी बनेगा । भारत में यह बात पाच हजार वर्ष पहले हुई थी, और आज हम प्राचीन युग के समाजवाद की पुनः खोज कर रहे हैं ।

भू-भागों के स्वावलंबी होने और ग्राम-उद्योगों के पुनर्जीवित करने का अर्थ यह नहीं है कि कलों का त्याग किया जाय । यदि ऐसा हो तो मोटरकार, रेलगाड़ी, तार, हम लोगों के चश्मे, कलमे, पेसिले, दवाएं, और अन्य बहुत सी दैनिक व्यवहार की चीजें नहीं दिखाई पड़ेगी । कल को एकागिक रूप से धन बटोरने का साधन न रह जाना चाहिये । श्रम बचाने के यंत्र रूप में इसका समाज में अपना एक स्थान और कार्य है किन्तु श्रम बचाने से एक ओर तो भूखो मरने की नौबत आती है और दूसरी ओर धन का अगाध भंडार जुटता है तो कल चाकर नहीं रह जाती, मालिक बन जाती है । कलों की इस कारण निन्दा करना कि इससे बड़े भयानक रूप की बुराई उत्पन्न हुई है, यह मतलब नहीं है कि प्रारम्भिक या मध्य युग को लौट चला जाय । यदि औद्योगिकवाद की पूजा, मुनाफो की चाह, और कीमते बढ़ाने के उग्र आवेग से यह नतीजा निकले कि लाखों सेर कहवा जला,

डाला जाय,* हज़ारों एकड़ कपास की खेती जुतवा डाली जाय, मनो फल बर्बाद कर दिये जाय और हज़ारों गाये सुखा डाली जाय तो हम इस विध्वंस-लीला को देख हाथ उठाकर “कलों के युग से नाहि नाहि” कह उठेंगे। आज हम उत्पादन की कम चिन्ता करते हैं, कीमतों की अधिक व्यापारिक मदी को हम श्राप देते हैं क्योंकि उससे गल्ला सस्ता हो जाता है। किसी दूसरे समय हम ऐसी सस्ती का स्वागत किए होते। किन्तु हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें मानों हम लोगों की भूख पैसों की ही है, अन्न की नहीं।

एक अंग्रेजी मासिक पत्र सोशल आर्डर (९ जनवरी १९३८ ई०) में एक लेख में लिखा था :—

*जून १९३३ के दो साल पहले की अवधि में ब्राज़ील में १,८५, ५५,२४,००० एक अरब ८५ करोड़ पौंड कहवा नष्ट करवा दिया गया, दुनिया की कुल आबादी १,८४,६५,००,००० एक अरब ८४ करोड़ होने पर प्रति व्यक्ति एक पौंड पडा।

धन का अधिक चलन करने के स्थान पर-पूजी खाद्य पदार्थ को नष्ट करती है। १९३४ में दाम चढाने के लिए दस लाख डब्बे गेहूँ को बर्बाद करवा दिया गया, उसके साथ ही २६७००० बोरा कहवा, ५६० ००० बुशल चीनी और ५०००० किलोज़ चावल और इतना ही गोश्त बर्बाद किया गया।

ट्यूनिस् में १३८०० एकड़ अंगूर का बागीचा उजाड़ दिया गया, और दूसरे ६६०० एकड़ बागीचों को उजाड़ देने के लिए कानून पास किया गया। इसके साथ ही न्यूयार्क की ‘आंकड़ों की खोज करने वाली संस्था (व्यूरो आफ स्टैटिस्टिकल रिसर्च) के आंकड़ों से पता चलता है कि १९३४ ई० में २४,००,००० चौबीस लाख आदमी भूखों मर गए, तथा अपनी दुखी हालत के कारण १२००,००० आदमियों ने आत्म-घात किया।

“हम लोगो द्वारा कलों का अथक विरोध होने पर भी कल अधिकाधिक काम करने की ही जिद्द करती है और हम लोगों का काम करने का घंटा कम करती जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि हम लोगों को विश्राम की आशा होती है किन्तु आजीवन कार्य के लिए इस दुनिया में विश्राम हम लोगो के लिए एक रुचिकर बात नहीं मालूम पड़ती ।

“इंगलैंड में हाल में २०० से अधिक स्वयं, सेवक संगठनों के प्रतिनिधि-शिक्षा-संबंधी अधिकारी और व्यावसायिक धर्मों के व्यक्ति जुटे थे, और उन्होंने अवकाश के उपयोग की समस्या की राष्ट्रीय जाच करने के लिए एक समिति बनाई । इस समिति के सभापति सर विंडहम डीड्स ने बतलाया कि अवकाश “खाली” समय है जिसमें आदमी जो चाहे कर सके और औद्योगिक कीड़ा होने के स्थान पर आदमी बन सके । काम के घंटे कम थे, किन्तु लाखों ऐसे थे जिन के लिए अवकाश एक मखौल की बात थी । औद्योगिक मनोविज्ञान की राष्ट्रीय सस्था के श्री-कैप्टन ब्लैकस्ली ने कहा कि कुल आबादी के नब्बे प्रतिशत व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता से कम दर्जे के काम में लगे हैं । एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि दस प्रति छोड़ कर सभी व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के कम दर्जे के काम में लगे हैं । सोचना चाहिये कि इसका क्या अर्थ हुआ । मानो एक छठी श्रेणी के लड़के को चौथे दर्जे में बैठने के लिये बाध्य किया गया वा एक योग्य वैद्य को जीवन भर आयुर्वेद विद्यालय का एक मामूली छात्र रहना पड़ा ।

“जो कोई भी व्यक्ति जीवित हो, उसे कुछ सीखना, उन्नति करना जारी रखना चाहिये । यदि वह किसी एक जगह ठमक जाता है, तो उसमें कुछ मुर्दा पड़ जाता है । “बड़े पैमाने पर उत्पादन की विधियों से कुछ समय के बाद किसी आदमी पर यही प्रभाव पड़ता है । वे उसे मुर्दा बना देती हैं, उसकी मानसिक योग्यता वैठा देती हैं ।”

कलो के दुष्परिणाम-स्वरूप नैसर्गिक मानव मेधा जड़ हो जाती है, राष्ट्र के जीवन-रक्त का संचार रुक जाता है, शरीर में व्याधि आ घेरती है, लोगो के हृदय को क्षति पहुँचती है, जिससे राष्ट्रीय नाड़ी केन्द्रीय आवेग के सुर में स्पन्दित नहीं होती। इस तरह के असंगठित राष्ट्र के व्याधिग्रस्त होते और मृत होते देर नहीं लगती। भारत इसी प्रकार की करुणाजनक मृत्यु के मार्ग पर है। यह सौभाग्य की बात है कि अंतिम श्वास निकलने के पहले गांधी जी प्रायः अवतार रूप में ही इस मृत्योन्मुख ससार में अवतरित हो गए हैं, जिससे सपत्ति का पाप मिट कर सेवा का धर्म स्थापित हो, प्रतिस्पर्द्धा नष्ट होकर सहयोग भावना की स्थापना हो, घृणा का त्याग कर मानव हृदयो में प्रेम का पुनः संचार हो।



अध्याय ६

नाटक का छठा अंक-समाजवाद

प्रत्येक युग को एक नया युग कहना एक आम बात हो गई है और इसमें सब से विचित्र बात यह है कि अनन्त काल के प्रवाह की प्रत्येक गति को ऐसे एक नए युग का प्रारम्भ बताने वाला कहा जाता है यह आशावाद की अतिशयोक्ति हो सकता है। फिर भी इस बात को मान लेने का कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता कि कांग्रेस के जीवन में ५० वर्ष की समाप्ति को एक नए युग का प्रारम्भ होना कहा जा सकता है। इस प्रगति के साथ-साथ विचारों की प्रगति भी होती रही है आज भारत ऐसे ही नए युग के प्रारम्भ काल में है। नए और पुराने विचारों के टक्कर और दोनों के अदर के आदर्शों के संघर्ष से निश्चय ही एक दिखावटी विश्व खला उत्पन्न होगी जिससे एक नए लोक की उत्पत्ति होनी है।

जो व्यक्ति एक परिवर्तन की छोटी बातों पर ध्यान रखता है उसे प्रत्येक वस्तु में छः या सात बातें दिखाई पड़ती हैं। प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीयता भी जिसका राष्ट्रीय कांग्रेस की निहाई पर पुनर्निर्माण हो रहा है, अपने विकास की नई अवस्था से गुजर रही है या नहीं।

५० वर्ष पहिले हम लोग सोचते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए जिससे वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सके अंग्रेजी का ज्ञान अंग्रेजी राज्य के अनिवार्य परिणाम के रूप में समझा जाता था और अंग्रेजी राज्य अमिट और चिरस्थायी माना जाता था। आज हम

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
१—समाजवाद का कार्य-क्षेत्र और दृष्टिकोण ...	१
२—समाजवाद से डरे क्यो ? ...	१०
३—निरोधक और प्रतिकारक समाजवाद ...	१६
४—एक दिवालिया सभ्यता ...	२६
५—गांधीवाद या समाजवाद ...	४४
६—भारतीय राष्ट्रीयता का सयोजन ...	६१
७—राष्ट्रीयता और समाज की रचना ...	८१
८—यंत्रों के दुष्परिणाम ...	१०९
९—नाटक का छटा अक—समाजवाद ...	१२१
१०—भारतीय समाजवाद की पुनः खोज ...	१२७
११—दुष्ट मंडलियां और उनको तोड़ने के उपाय ...	१३५
१२—रचनात्मक कार्यों की व्याख्या ...	१४३
१३—मद्य-निषेध ...	१६०
१४—अस्पृश्यता-निवारण के लिए ऐतिहासिक अनशन... १६७	
१५—ग्रामीण जीवन मे साम्प्रदायिक द्वेष गहरा नहीं है १७५	
१६—राष्ट्रीय शिक्षा ... १८३	
१७—ग्रामोद्धार ... १९४	
१८—शान्ति सेना ... २०४	

अपने राष्ट्र और अपनी भाषा की बात करते हैं। इस जागृत आत्म-चेतना के कारण हम अपने राजनीतिक भाग्य-निर्माण और राष्ट्रीय भाषा की पुनः परीक्षा में ही नहीं लग गए हैं बल्कि अपनी सांस्कृतिक अवस्था, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अपने नागरिक नियम और नैतिक आदर्श की परीक्षा करने लग गए हैं। हम यह मानते हैं कि अपनी राष्ट्रीय परम्परा और प्रकृति की रक्षा करने के साथ ही साथ इन दोनों में एक ऐसी प्रबल धारा प्रवाहित करनी है जो समाज का रूप परिवर्तित करने और एक नई सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने से नहीं रुक सकती जो न पश्चिमी अवस्थाओं की नकल है और न पूर्वी अवस्थाओं को फिर से प्रस्तुत करने से बनी है। सामंतशाही के पुराने आदर्शों को स्वतंत्रता और समानता की आधुनिक धाराओं की बाढ़ के आगे झुकना पड़ेगा। 'मर्यादा' की पुरानी भावनाओं को ठेके के नये नारों के लिए स्थान बनाना पड़ेगा जब पद-मर्यादा लुप्त होगी तो शून्य स्थल में जीवन की समाजवादी व्यवस्था उमड़ पड़ेगी।

नाटक का छठा अंक

जब हम कांग्रेस नाटक के विकास और कथा-वस्तु का अध्ययन करते हैं तो हमें योजना और उसकी पूर्ति में एकता दिखाई पड़ती है। जो देश विदेशी आक्रमण के प्रहार के कारण विलकुल असंगठित हो गया था और भौचक्का होकर खड़ा था उसमें जीवन का पुनर्संचार करना पड़ा और आत्म-चेतना की पहिली झलक में उसे अपनी आख के सामने विदेशी शासक द्वारा उत्पन्न की हुई एक नई परिस्थिति ही दिखाई पड़ी।

शासन एक ठोस सत्य बन गया था और उस वक्त जो कुछ भी किया जा सकता था वह यही था कि इसके सुधार का प्रयत्न किया जाय शिकायतों की फिहरिस्त बनाई जाय और उसे दूर करने के उपाय

किए जायें । सामान्य अवस्था नहीं लाई सकती थी और रोगी को क्षणिक इलाज करने से ही सतुष्ट किया जा सकता था । वह नाटक का पहला अंक सुधारों का युग था ।

पहिली जागृत का जोश ठंडा होने पर और मस्तिष्क संतुलित होने पर लोगों ने यह अनुभव करना शुरू किया कि वे ग़लत रास्तों में भुलाए जा रहे हैं और उन्हें अपना विलुप्त राज्य देने के स्थान पर भरवेरिया और मालपुए दिये जा रहे हैं अतएव उन्होंने १९०६ ई० में स्वशासन की माग पेश की जो नाटक का दूसरा अंक था किन्तु वे इसको स्वराज्य नाम से पुकारने से डरते थे, हाला कि उस साल के सभापति दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ते कांग्रेस में इस शब्द का प्रयोग किया था, इस प्रकार नाटक का दूसरा अंक **स्वराज का युग** प्रारम्भ हुआ, जो अपने भाग्य-परिवर्तनों के साथ १९१७ ई० तक चलता रहा जब कि श्री मती एनीबीसेन्ट के आगमन से एक नया दृश्य उपस्थित हुआ । उन्होंने अपने आदर्श हो "होमरूल, (देशी शासन) नाम से पुकारा फिर भी यह आन्दोलन सरकार के साथ जोरों से संघर्ष कर सका । नाटक का यह तीसरा अंक १९२१ तक चला जब कि गांधी जी मंच पर आ उपस्थित हुए और उन्होंने चौथा युग स्वराज्य का प्रारम्भ किया किन्तु स्वराज्य शब्द की लोग तरह तरह से व्याख्या करते रहे इसलिए १९२९ में इस बात की आवश्यकता हुई कि इसकी व्याख्या पूर्ण स्वतन्त्रता रूप में की जाय, यह पाचवा अंक था । यह हम नहीं कह सकते कि विशेषण के कारण शब्द में कितनी उन्नति हुई ।

लोक स्वभावतया ही पूछ सकते हैं कि अब छठा अंक क्या होगा यह नाटक का अन्तिम दृश्य होगा वा उसके पहिले का अंक । अब समय है कि राष्ट्र यह देखे कि स्वराज्य के अन्दर किस प्रकार के समाज

की रचना होगी जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता की रक्षा हो सके ।

यह यथार्थ में पूर्ण स्वराज्य होगा । उसके रूप और रक्षण क्या होंगे ? वह प्रजातंत्र होगा वा धनिकों का राज्य होगा वा कुलीन वर्गों का शासन वा फैसिस्ट राज्य होगा वा समाजवादी संगठन ? यदि अंतिम प्रकार का हुआ तो क्या यह आस्ट्रेलिया की तरह समाजवाद का अनुकरण होगा वा यह वस्तु-स्थिति को देखकर समाजवाद का प्रचलन कर उसके अंतिम रूप वौल्शेविकवाद का अनुसरण करेगा, यह स्वाभाविक प्रश्न हैं जो सामने आते हैं और इनका जवाब देना चाहिये ।

बुद्धों की अपेक्षा नए लोग अधिक उत्सुक होते हैं । पुराने लोग अपनी कुछ सफलताओं से सन्तुष्ट हो जाते हैं और नये लोग आगे भी देखते हैं । आज के बुद्ध देशभक्त भी किसी समय युवक थे और जब उनके बुजुर्ग सुधारों की बात कर रहे थे तब वे स्वशासन का स्वप्न देख रहे थे । यह बात पीछे पड़ गई जिसने होमरूल का स्थान लिया अब उसके भी पुराने हो जाने से उसके स्थान को स्वराज्य ने ले लिया है । तथा अब स्वराज्य के अर्थ के विस्तार की भी आवश्यकता हो रही है इस तरह यदि आप कांग्रेस की तहो को उलटे-पलटे तो आप देखेंगे कि इसके ढाँचे में अनेक पर्त हैं और उनमें सतत विकास हुआ है । समाजवादियों की माग इस ढाँचे की केवल सब से ऊपरी पर्त है ।

किन्तु जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हमें केवल पश्चिम की शब्दावली से प्रभावित न रहना चाहिये । हम लोगोंने अत्यधिक रूपों में पश्चिम की बातों की नकल की है किसी भी रूप में हम लोगों का समाजवाद वह भक्ति-प्रदर्शन नहीं होगा जो धन के अवगुण द्वारा निर्धनता के गुण को मिलता है । यह वह खूनी कीमत भी न होगी जो गरीबी अमीरी से वसूल करना चाहती है । समाजवाद को उतना

ही भारतीय होना चाहिये जितना स्वराज्य, खदर, राष्ट्रीय शिक्षा, धर्म की पूजा और दर्शन में विश्वास। भारतीय समाज की बनावट और उनके कार्यों की जाच पड़ताल और फिर से खोज की जानी चाहिए।

प्राचीनों ने सतयुग की बात कही है जब कि जायदाद और बुनियादी धन्धे जाति की समान रूप से सम्पत्ति थे और जहा लोग खरी-दना बेचना, नफा व नुकसान, अमीरी व गरीबी, चीजों की भरमार व कमी जानते ही न थे। काल-चक्र ने ऐसे युग का अंत देखा और उसके बाद त्रेता तथा द्वापर आए तथा उनके बाद कलयुग का आगमन हुआ है जिसमे हम लोग पड़े हुए हैं कलयुग ने ही आज जीवन में ऊंच और नीच का वर्तमान भेद उत्पन्न किया है और ऊंचे महलों तथा टूटी भोपड़ियों का साथ साथ जन्म दिया है। समस्या यह है कि जीवन में स्त्री और पुरुषों की सुविधाओं में किस प्रकार समानता लाई जाय और सब को भोजन और वस्त्र मिलने का निश्चय हो, हम अपने गावों और उनके धन्धों का पुनरुद्धार करें तथा उनकी विक्री का जिम्मा ले वा हम अपने गावों को उजाड़ डालें और कस्बों की बस्तियाँ और घनी करें तथा बेकारी की वृद्धि करें तब मिलों को तोड़ने, जायदाद के फिर से उजाड़ने और सम्पत्ति के बटवाने की बात उठावे। हम देखते हैं कि बहुप्रशंसित सोवियट भी व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार करने की ओर लौट रहा है जिसमे व्यक्तिगत कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत हो सके। रूस में लटकन केवल दूसरे किनारे की ओर भूल गया है और केवल शक्ति द्वारा ही वर्तमान लुढ़कती हुई अवस्था में नहीं रक्खा जा सकता। इसलिए हमें प्रत्येक रूप से पूंजीवाद तथा उसकी स्वार्थपरता, औद्योगिकवाद और उसके भयानक परिणाम कल-कारखाने और उसके दुष्कर्म की निन्दा करनी चाहिए किन्तु हमें अपनी सभ्यता की मिट्टी भी उलटना चाहिए और उन्हीं परिवर्तनों को ग्रहण करना चाहिए जो उसी अवस्था और

परम्परा के अनुकूल पड़े। समाजवादियों को पहले ऐसे ही तिरस्कार का सामना करना पड़ा है जिस प्रकार असहयोगियों, होम रूल के अनुयायियों और स्वराजवादियों को सामना करना पड़ा। प्रत्येक नए सिद्धान्त को आरम्भ में आलोचना का सामना करना पड़ता है किन्तु वह शीघ्र ही अपने निन्दकों की निन्दा और बदनामी से पार हो जाता है और उसके सिद्धान्तों को सब लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही समाजवाद की दशा होगी।

समाजवादियों ने यह बड़ी बुद्धिमानी की है कि देश में एक तीसरे दल को अपनी चालबाजी दिखाने में शह नहीं दी है। हम लोगों के आपसी झगड़ों ने ही जो भूमि-गत, जातीय, वंशीय वा साम्प्रदायिक होते आए हैं, विदेशियों को अपनी जड़ जमाने का अवसर दिया है और यह बड़ी अच्छी बात है कि शत्रुओं को अपने बीच मौजूद देखते हुए समाजवादी भारतीय सामाजिक दर्शन को भंगट में नहीं डाल रहे हैं। विदेशियों से सुलभाव कर लेने के बाद हम लोगों को सुलभाव करने का अवसर मिलेगा। किन्तु इस मध्य काल में हमें शिक्षा देते रहना चाहिये। यदि समाजवादी अहिंसा में विश्वास रखें तो वे समाज को ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकेंगे जो मन्द गति का किन्तु स्थायी होगा किन्तु वे यदि हिंसा में विश्वास करेंगे तो उनके परिवर्तन शीघ्र होंगे किन्तु वे बहुत अव्यवस्थित और क्षणिक होंगे। इस बीच हमें लोगों को साथ हो जाना चाहिए।

अध्याय १०

भारतीय समाजवाद की पुनः खोज

भारतीय सभ्यता की भांति भारतीय पुनरुत्थान को भी विशाल और बहुमुखी होना चाहिए। भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक प्राचीन धारा है जिसने नागरिक नियमों और सामाजिक संगठनों की ऐसी व्यवस्था की है जो देखने में ऐसे विचित्र रूप के हैं कि यद्यपि उनके मिलने के स्थान पर एक मुख्य एकता नहीं है किन्तु बहुत से लोग आख से दिखाई पड़ने वाली विचित्र भिन्नता को देख कर चकित रह जाते हैं और उनके मूल में व्याप्त सूक्ष्म सादृश्य को नहीं देख पाते। समाजवाद के साथ ही साथ शादी के कानूनों और उत्तराधिकार की व्यवस्था की बात चीत करना आम बात हो गई है किन्तु भारतीय सभ्यता के पुनर्जन्म में समाज शास्त्र के विद्वानों और विद्यार्थियों के सामने युगों से प्रचलित और असीम शताब्दियों से मर्यादित ऐसी बातें आती हैं जिसे ऊपरी आलोचक देख ही नहीं पाता वा देख कर भी उसे पागलपन की बात कह कर टाल देता है।

श्रद्धेय डा० भगवानदास ने, जिन्होंने अपनी विस्तृत संस्कृति और साधुस्वभाव के कारण ख्याति प्राप्त की है, प्राचीन वैज्ञानिक समाजवाद की उसके आधुनिक प्रतिरूप से तुलना कर इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर एक महान कार्य किया है। उन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण निबन्ध में इतिहास की भौतिक व्याख्या के आधार पर स्थित समाजवाद और उसकी आध्यात्मिक, भौतिक व्याख्या, की तुलना की है। एक जो वर्ग-

युद्ध उत्तेजित करता है और दूसरा जो वर्गों का सहयोग प्रतिपादित करता है, तथा फिर एक जो समानता का समर्थन करता है और दूसरा जो अन्याय का प्रतीक है। के मध्य उन्होंने तुलना की है, दूसरे शब्दों में यह तुलना एक ओर तानाशाही और दूसरी ओर समाज में शक्ति के सन्तुलित विभाजन में है, जिससे व्यक्तिगत विशेषता का सामाजिक एकता से सामंजस्य स्थापित किया जा सके, तथा भूतकाल से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद और परम्पराओं की निर्दोष रक्षा जो भूतकाल को वर्तमान में ला उपस्थित करती है और वर्तमान को भविष्य के खींच लाने में समर्थ बनाती है।

प्राचीन समाजवाद की इस व्यवस्था में धर्म, परिवार, और जायदाद का लोप नहीं हुआ है बल्कि पुरोहित, आर्थिक दाव-पेच, और व्यक्तिगत स्वार्थों के नियंत्रण द्वारा परिष्कृत किए गए हैं, वा० भगवान दास के लेख का यह तर्क है और वे अपने लेख में इतना अधिक ज्ञान, विद्वत्ता और बुद्धि का समावेश कर देते हैं कि इस अज्ञानी अध-विश्वासी और पथ-भ्रष्ट संसार को उनके वास्तविक जीवन-प्रद रूप को सिद्ध कर सकने के लिए इस सस्कृति के सागर से जल का नमूना खींच ला सकना असम्भव है, फिर भी इस अनवरत स्रोत की कुछ बूंदों का स्वाद हम लेंगे, और अपने सन्देहशील मस्तिष्क को सन्तुष्ट करेंगे कि हम लोगों की सस्कृति और सस्थाओं में अच्छी तरह और यथार्थ रूप में डाली हुई सामाजिक व्यवस्था की नींव है जो बड़े पैमाने पर पूरे समाज में सयुक्त परिवार का सरल आदर्श प्रयुक्त करती है, उसमें केवल थोड़ा हेर फेर किया गया है, और लेखक के कथनानुसार इसमें चार सयुक्त परिवारों के साथ साथ सध और उसमें से प्रत्येक के साथ अपने अनुविभाजक सयुक्त परिवार और आधीनस्थ विभागीय संघ की व्यवस्था की गई है जो सब संघ आध्यात्मिक वृद्धों की एक केन्द्रीय धारा सभा की देख रेख में रक्खी गई है।

भारत की समस्या यह है कि आया हम इंग्लैंड के समाजवाद की नकल करे जिसमे योरप के देशों द्वारा कुछ सुधार हुए हैं और जो योरप और एशिया के मध्य देश रूस मे पूर्ण हुआ है वा हम अपनी प्राचीन व्यवस्था के भूल की फिर से जांच करे और उसमें निहित युगो-प्राचीन सिद्धान्तों की पुनः खोज करे । जिन्होंने सब सन्तुलन के लिए भोजन और व्यवस्था का निश्चित क्रम रक्खा था और प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, सम्पत्ति और सेवा के मध्य स्थापित किया था । पश्चिम ने परिवर्तन और उन्नति के नाम पर ऐसी परिस्थितिया पैदा की हैं जिन्होंने दोष-पूर्ण वातावरण उत्पन्न किए हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए न तो पश्चिम को ही मार्ग सूझता है और न पूर्व को ही । इसने विश्राम का स्थान जल्दबाजी की, सेवा का धन, को उत्तमता का अधिकता को, देश के अन्दर खपत का निर्यात को, पद-मर्यादा का ठेके को और कर्तव्य का अधिकार को दे दिया है, यहाँ तक कि एक शब्द में यह प्रतिस्पर्द्धा की देवी की पूजा करता है जब कि हम लोग सहयोग की देवी के उपासक हैं यदि इस एक मुख्य भेद को मान लिया जाय तो दोनो सभ्यताओं और दोनो सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन सुगम हो जायगा ।

विषाक्त वातावरण में पड़ी हुई पाश्चात्य सभ्यता द्रुतगामी मोटर कार बनाती है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए अलग सड़के बनवाती है, यह रोगियों व घायलों को ढोने वाली एम्बुलेन्स गाड़ी की व्यवस्था करती है जो स्वयं भी इतनी ही तेज चाल से चलने वाली और ऐसी ही दुर्घटनाएं उत्पन्न करने वाली होती है । यह दोनों गाड़िया शोर-गुल करती है । उनसे बचाव के लिए शहरो मे “निःशब्द क्षेत्र” (साइलेस ज़ोन) स्थापित किए जाते हैं । शहरो के कारण घनी और गन्दी बस्ती खड़ी होती है उनसे उद्धार पाने की योजनाएं भारी खर्चों से की जाती हैं । खर्च को पूरा करने के लिए कर बढ़ाये जाते हैं ।

बढ़े हुये कर को देने के लिये मुनाफा अधिक करने की बात खड़ी होती है और एक और मुनाफा तथा कर बढ़ने और दूसरी ओर कल-कार-खाने तथा निर्यात की आपस में एक दूसरे के पीछे उस गीदड़ की तरह भगदड़ मचती है जो अपनी ही पूछ का शिकार करने निकलता है। निर्यात के लिए उत्पादन के कारण किसी भी तरह निश्चित परिमाण में वस्तुएँ तैयार करने की बात खड़ी होती है और व्यापारिक बचत की चिन्ता के कारण आयात में कमी करने के लिए विवश होना पड़ता है। इन सब बातों का परिणाम साम्राज्यवाद होता है जो सीधे सादे शब्दों में सैनिकवाद और औद्योगिकवाद है। जब सब देशों का लक्ष्य यही साम्राज्यवाद हो जाता है तो वे एक दूसरे का शिकार करने के लिए कुत्तों का झुन्ड बन जाते हैं क्योंकि पूर्व के गीदड़ों ने जो अब तक दूसरों का शिकार बनना मजूर करते आ रहे थे जापान से लेकर मिस्र तक आत्म-सम्मान का विप्लव खड़ा कर दिया है।

योरप ने अब देख लिया है कि प्रत्येक देश सन्तोपजनक व्यापारिक बचत नहीं रख सकता क्योंकि यह इसी प्रकार है कि प्रत्येक परिवार तो शादी में दहेज माग रहा हो किन्तु कोई स्वयं दहेज देने के लिए तैयार न हो। इसका अर्थ यह है कि समाज में दूल्हे तो सभी हो परन्तु दुलहिन का कहीं पता न हो। इसी प्रकार योरप में सभी देश निर्यात करने वाले तो बनना चाहते हैं और कोई भी आयात करने वाला नहीं बनना चाहता, जब कि पूर्व ने योरप के इस माल के निर्यात को लेना नामजूर कर दिया है तो पश्चिम की आर्थिक व्यवस्था ने वहा के निर्यात करने वाले देशों को न्यूकैसिल तक कोयला ढोने को विवश कर दिया है।

पश्चिम का उद्योगवाद तराजू में तौला गया है और हलका सिद्ध हुआ है। इसने केवल शहरों को खड़ा किया है जिसमें उसके साथ की

सभी बुराइयां, गन्दी बस्तिया और दिल दहलाने वाली घटनाएं, तेज दौड़ने वाली गाड़िया, एक पल भी न रुकने वाला शोर-गुल, बीमारियां और चकले, मिले और मज़दूरों का शोषण और अन्ततः धन की चाह, स्वार्थ-परता और पाप पैदा हुए हैं। नगर-रचना की योजनाएं, बालचर, गर्लगाइड्स, निःशब्द क्षेत्र, अनाथालय, अस्पताल, आश्रम, वेश्याओं का रक्षागृह, मज़दूरों के कानून, कारखानों के कानून, धर्म प्रचार के संगठन और समाजवाद यह सब उत्पन्न हुए हैं और हम भारत के लोग जान बूझ कर उन बुराइयों की नकल कर रहे हैं जो बहुत पहले ऐसी शत हो चुकी हैं।

हम इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि धर्म, जायदाद और परिवार भारतीय समाज के आधार रूप रहे हैं और इनमें से प्रत्येक ने अपनी अधोगति की है किन्तु यह हम लोगों को उचित नहीं है कि किसी व्यवस्था का अध्ययन करते समय हम उसके गिरे हुए रूप को ले।

लगभग १००० वर्ष से अधिक दिनों से अर्थात् जब से कि विदेशियों का इस देश में आगमन हुआ भारत की उन्नति रुक गई है, विदेशियों के धक्के से एक नया सघर्ष उपस्थित हुआ है और ऊपर वर्णित तुलना ने वर्णनातीत रूप का विनाश-कार्य किया है। हमें मनु की ओर ध्यान ले जाना चाहिए और भारतीय समाजवाद का उसके शुद्धतम रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा वह जिन पर आधारित हो उन चिरंतन सिद्धान्तों—जिसमें कुछ व्यक्तिवाद और व्यक्तित्व का अंश भोजन, जायदाद और परिवार की प्रधान घटना के साथ अध्ययन करना चाहिए और तब हम समझने में समर्थ होंगे कि प्राचीन समय के लोगों ने आंतरिक शान्ति के लिए व्यवस्था की थी तथा सार्वभौमिक, सामाजिक संगठन की व्यवस्था चलाई थी, उसके साथ ही वह भी व्यवस्था की थी जिसे हम व्यक्तिगत संगठन कहते हैं समाज केवल खड़े-खड़े समूहों में ही विभाजित नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आड़े-आड़े आश्रमों में विभा-

जित हैं जिससे धन की लिप्सा सदा सेवा के आदर्श के आधीन कर दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय शान्ति सामाजिक शान्ति से उसी प्रकार स्वयित होती है, जिस प्रकार सामाजिक शान्ति पारिवारिक और व्यक्तिगत शान्ति से संबंधित होती है। जीवन के मुख्य चार विभाग चार मुख्य सघो के अधिकार में होते हैं जो धार्मिक समर्थन पर आधारिक सामाजिक-आर्थिक नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए पेशे, निर्वाह के साधन, जीवन यापन के ढग, और जीवन के उद्देश्य निश्चित होते हैं, और सघो के आधार पर बने समाज तथा वाह्यसत्ता के आधार पर बने समाज में जो अंतर होता है, वह “एक ओर एक आत्म-पोषित, आत्म-प्रतिकारक, आत्म-नवीकृत, और आत्म-प्रचारक सजीव प्राणधारी और दूसरी ओर एक मृत यंत्र के मध्य सदृश होता है जिसको दूसरे द्वारा बराबर देखने, निरन्तर कृत्रिम सफाई करने, पुर्जों में तेल लगाने, मरम्मत करने, नया करने, पुर्जे बदलने, और कोयला पानी वा पेट्रोल आदि की शक्ति पहुंचाने की आवश्यकता होती है।”

डाक्टर भगवानदास द्वारा व्याख्या किए प्राचीन समाजवाद और पश्चिम में उत्पन्न हुई अनेक व्यवस्थाओं वा प्रचलित अनेकवादों के विस्तार पूर्वक अध्ययन का सारांश यहाँ पर थोड़ी जगह में दे सकना संभव नहीं है। हीगेल के विचारानुसार भारत भी स्वीकार करता है कि “जनता पृथक पृथक व्यक्तियों का जमाव नहीं है जो कृत्रिम रूप से अपने पारस्परिक लाभ के लिए जान बूझ कर रजाबन्दी से संयुक्त हुए हैं, बल्कि आध्यात्मिक एकता है जिसके लिए और जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य का अस्तित्व होता है।” इस विचार से फेसिस्ट भावना उत्पन्न मालूम पड़ती है, जिसमें सघवद्ध राष्ट्र और व्यक्तियों के राष्ट्र के आधीन होने, भाग के पूर्ण के आधीन रहने की बात है, किन्तु इसमें अति कर देने से नतीजा यह हुआ है कि “फैसिस्टवाद की सामान्य धारणा एक दृढ़ अधिनायक-शासनव्यवस्था हो गई है।” इसमें कोई आश्चर्य की बात

नहीं कि इस प्रकार की दृढ़ अधिनायक-व्यवस्था व्यवहृत होने पर निरंकुश नौकरशाही हो जाती है जो फैसिस्टवाद तथा साम्यवाद दोनों तथा भारत में राष्ट्रीय पूंजीवाद का भी सामान्य रूप हो जाती है किन्तु बाबू भगवानदास कहते हैं कि व्यक्तियों की यह निष्ठुर पराधीनता इस अर्द्ध-शक्ति की अतिशयोक्ति है कि **'प्रत्येक सब के लिए है।'** सत्य का दूसरा अर्द्धांश भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि **'सब प्रत्येक के लिए हैं।'** अर्थात् सूत्रात्मा जीवात्मा के लिए भी है और जीवात्मा सूत्रात्मा के लिए भी। मनु ने इन दोनों को परस्पर संमिश्रित किया है। उनके व्यक्तियों के **आश्रम धर्म** और समाज के **वर्ण धर्म** ताने और बाने रूप हैं, व्यक्ति भी एक पूर्ण वस्तु है खड नहीं।"

लेखक निर्देश करता है कि मार्क्सवाद के सिद्धान्त के अनुसार सामंतशाही को दबा कर जमींदारों और धनिकवर्ग की मध्यवर्ग की व्यवस्था स्थापित होती है तथा मध्यवर्ग के शासन का अधिकारच्युता कर श्रमजीवी वर्ग की शासन-व्यवस्था प्रचलित होती है। वह भी अंत में स्वयं विलुप्त हो जाती है। किन्तु भारत के विभागों से संबंधित व्यवस्थाओं में एक दूसरे को अधिकार-च्युत करने की बात नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है कि पुरोहितशाही के बाद सामंतशाही का जन्म हो, फिर इसकी जगह पूंजीशाही का जन्म हो, फिर श्रम-जीवीशाही शासन-प्रथा-प्रचलित हो। क्योंकि भारत में सब सहायक साधनों के रूप में हैं जो केवल परस्पर सामंजस्य स्थापन योग्य ही नहीं हैं। बल्कि एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं। और विद्वान पुरुषों के नेतृत्व में अनेक वैज्ञानिक साधनों द्वारा जान बूझ कर और दृढ़ता पूर्वक अपने को संतुलित करने का उद्योग करती हैं जो सर्वांगतः उनके अभिप्राय को पूर्ण करते मालूम पड़ते हैं। विदेशी आक्रमणों ने समाज पर प्राचीन व्यवस्था के प्रभुत्व को आवश्यक रूप से मिटा दिया। आप चाहे फैसिस्ट राज्य

में जाय वा सोवियट राष्ट्र मे, आप को चार श्रेणी के व्यक्ति-विद्वान लोग, पराक्रमी व्यक्ति, सम्पत्तिशाली व्यक्ति और सेवक लोग मिलेंगे जो राष्ट्र और वर्गों का सहयोग सगठित करते हैं ऐसा राष्ट्र केवल सगठन वाला, केवल एक व्यवस्थित शक्ति नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के सभी रूपों की मुख्यतम अभिव्यक्ति, राष्ट्रीयता का संयोजन होता है जिसमे चार श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जो चार पेशेवर विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे यथोचित रूप से इस प्रकार शिक्षित संतुलित और प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे राष्ट्र और समाज सभ्य बने तथा अधिक से अधिक सार्वजनिक हित का निश्चय हो सके। ये चारों विभाग प्राणधारी शरीर के चार अंग हैं जो व्यक्तिगत रूपों में पृथक नहीं किए जा सकते। वे समाज के सिर, भुजा, धड़ और पैर हैं। उनके बीच समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि न्याय का है। यह समाज का ऐसा रूप है जिसने धन्धों के स्वार्थों का सतुलन कर वर्ग-युद्ध को मिटा दिया था। विद्या और शौर्य, सम्पत्ति और श्रम जो चार वर्गों के प्रतीक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं।

अध्याय ११

दुष्ट मंडलियां और उनको तोड़ने के उपाय

पिछले अध्यायो मे यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि विदेशी शासन के अविच्छिन्न प्रभावो ने भारतीय सभ्यता की नीव और ढांचे को ही उलट देने का उद्योग किया है हम लोगो के सामने उस आदमी का सा काम है जिस के पास ऐसा मकान हो जो भूडोल में हिल डुल गया हो और न रहने लायक ही न रह गया हो बल्कि उसमे प्रवेश करना भी सम्भव न हो, विहार के भूचाल पीड़ित स्थानो मे बहुत से ऐसे मकान देखने को मिल सकते हैं । नगरो मे सड़कों पर म्युनिस्पेलिटी की किसी गड़ी हुई लालटेन मे किसी शरारती लड़के के पत्थर मारने से शीशा टूटा हुआ हम देख सकते हैं उस शीशे को जोड़ने वाला एक मसाला बाजार मे मिल सकता है एक बढ़िया लकड़ी के चौखटे द्वारा भी उन टूटे हुए टुकड़े को मिलाकर रक्खा जा सकता है । आज भारतीय सभ्यता और समाज इस टूटे हुए शीशे और चौखटे के रूप मे है और राष्ट्र-निर्माता के सामने पुनर्जीवित राष्ट्रीयता के भारी मसाले से उन टुकड़े के जोड़ने का काम है । हम लोगो की अकाक्षा इस राष्ट्रीयता को इस रूप से विकसित करने की है जिससे स्वांगीण आत्मानुभूति उत्पन्न हो किन्तु बीसवी शताब्दी मे राष्ट्रो की प्रवृत्ति पूर्ण और स्वावलंबी होने के स्थान पर सबल होने की है । इसी कारण गावो के लिए हानिकर रूप मे नगरो की

उत्पत्ति हुई है। एक विनोदी व्यक्ति ठीक कहा है कि आधुनिक सभ्यता नगरीकरण है। यह ऐसा मार्ग है जिसने नगरों के मनोविनोद और आमोद-प्रमोद तथा सुख-सुविधाओं की वृद्धि के लिए सभी शक्तियों और धन कोपो और बुद्धि को सोख लिया है और गाव नगरों की त्यक्त स्त्री की भांति हो गए हैं। उनका एक मात्र कार्य नगरों को जीवन-निर्वाह सामग्री पहुंचाना और अपने मत द्वारा नगरनिवासियों को ऊंचे पद और अधिकार पर पहुंचाना है जिसमें वे गावों के मत-दाताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी दासता को और मजबूत करते हैं। जो नगर अनेक प्रकार की विदेशी वस्तुओं को दरवाजे २ वेचकर और बेरोक तथा निर्वाह महसूल द्वारा गावों की निर्वाह-सामग्री, रोज़ी और कारीगरी को चौपट कर देते हैं उन्हीं के प्रति गावों की यह पराधीनता आधुनिक सभ्यता की सबसे शोचनीय बात है जिससे गांधीवाद देश का छुटकारा कराना चाहता है। यूरोपीय सभ्यता ने हमारे गावों को जहाँ नीच और पराधीन स्थान प्राप्त करा दिया है वहाँ गांधीवाद राजनीति, अर्थनीति और नीति में और सच पूछिए तो संक्षेप में कहने पर राष्ट्रीय जीवन में गावों को नेतृत्व प्रदान करना लक्ष्य रखता है जिसे ईश्वर ने एक सघनपूर्ण बनाया है दो विल्कुल भिन्न टुकड़ों-मालिक और नौकर, स्वामी और सेवक, ऋण-दाता और ऋणी, पूजावादी और कुली वल्क सक्षेपतया प्रकाश और अन्धकार में अलग अलग न बँट जाय।

पश्चिमी सभ्यता दुष्ट मडलियों की एक लड़ी हो गई है इसका पूरा ढग बुराई पैदा करना और फिर उसका इलाज ढूँढना है। तेजी से दौड़ने वाली गाड़ियाँ आविष्कृत होती हैं और उसके बाद धूल के बादल उठते हैं तथा सदा बढ़ती रहने वाली दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। गाड़ी यूरोपीय सभ्यता का प्रतीक है जिसमें गाड़ी के प्रतिचालक चक्र (स्टियरिंग व्हील) के पास बैठा हुआ आदमी आनन्द में

रहता है उसे इस बात से क्या मतलब कि गाड़ी के पीछे के आदमी धूल में भर जाय और आगे पड़ने वाले आदमी गाड़ी के पहिये के नीचे दब जाय, धूल को दवाने के लिए कोलतार की सड़के बनती हैं इस बड़े खर्च को पूरा करने के लिए महसूल बढ़ाए जाते हैं, अतिरिक्त महसूल वसूल करने के लिए बेईमानी पैदा होती है। यह एक मडली है। इसी क्षेत्र में दूसरी मडली यह है कि दुर्घटनाओं को बचाने के लिए तेज़ चाल की गाड़ियों के लिए अलग सड़के बनाई जाती हैं, अलग सड़को के कारण जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर अलग रास्ते बनाने पड़ते हैं जिनमें ज्यादा रुपया लगता है। ज्यादा रुपया, ज्यादा महसूल, बेईमानी, ज्यादाती, भूखो मरना, जुर्म और मुसीबत शराबख्वारी, ज्यादा जुर्म, जेल, फिर इस पर अधिक राष्ट्रीय व्यय और उसके लिए अधिक सार्वजनिक कर, यही सब नतीजे होते हैं तेज चाल और जल्दबाजी के लिए दूसरी दुष्ट मंडली सड़क पर धूल का उठना है धूल बैठाने के लिये सड़क पर पानी का छिड़काव होता है या उन पर कोलतार पोता जाता है। कोलतार पुती सड़को में ककड़ की कुटी सड़क की अपेक्षा कई गुना खर्च अधिक पड़ता है। इससे फिर महसूल की बढ़ी हुई दर में इजाफा करना पड़ता है। इससे म्युनिस्पैलिटी के महसूल असह्य हो जाते हैं। यह सब दर्दनाक बातें हैं।

दूसरी दुष्ट मडली लीजिये। रुपया समाज में जादू की शक्ति हो गया है किन्तु सभी राष्ट्रसमान नहीं हैं। इस कारण संसार में विनिमय शासन करता है। ब्रिटेन सुवर्णमान हटा देता है, विनिमय उतरता है यह इतने नीचे गिर गया था कि १९३२ की फरवरी में विदेशी ऋण चुकता करने में एक करोड़ पैंतीस लाख पौण्ड की हानि हुई। इस प्रकार जब विनिमय उतरता है तो निर्यात बढ़ता है क्योंकि ऋण अधिक हो जाता है इस लिए विनिमय को चढ़ाया जाता है

और ब्रिटेन का अमेरिका को निर्यात गिर जाता है क्योंकि अमेरिका को पौएड की कीमत के लिए डालर के रूप में अधिक दाम देना पड़ता है ब्रिटेन का निर्यात व्यापार अव्यवस्थित हो जाता है इस कारण ऋण का देना रुक जाता है ।

हम तीसरी मडली ले । सोना कागज़ी सिक्के की कोतल अमानत होने के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सन्तुलन करने के साधन के रूप में कीमत भी रखता है । अमेरिका और फ्रांस सोने का सचय करते हैं क्योंकि बहुत से देश सुवर्णमान को छ़ांड चुके होते हैं । वे देश अमेरिका के विदेशी व्यापार के प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी बन जाते हैं । अमेरिका का निर्यात उतर जाता है इसलिए उसे अपने आयात की कीमत सोने में चुकानी पड़ती है ।

इस प्रकार सोने का सचय अपने समाप्त होने का मार्ग भी स्वयं ही खोल देता है ।

दूसरी दुष्ट मडली विनिमय के गिराने निर्यात के बढ़ाने के सम्बन्ध की ऐसी थी जिसे एक देश ने किया तो दूसरे देश ने भी उसकी नकल की । यदि कुछ ऊंचाई पर एक तालाब हो उसके बाध में कोई होशियार आदमी छेद कर अपने खेत में पानी पहुंचा ले और दूसरे दिन यह मालूम पड़े कि गाव के अन्य सभी व्यक्तियों ने ऐसा ही किया है तो जो तालाब साल भर काम आए होता वह एक ही हफ्ते में सूख गया होता ।

इसी प्रकार बैंक का दर भी सुगम व्यवसाय के मार्ग में एक वास्तविक हौवा बन गया है । जब यह गिरता है तो धन सुलभ हो जाता है उद्योग-धन्धों की वृद्धि होती है किन्तु विदेशी व स्थानीय साहूकारों द्वारा अमानत की रकम खतम हो जाती है । भरमार की जगह कभी पड़ जाती है और माग को रोकने के लिए बैंक दर बढ़ता है, राष्ट्रीय ऋण चुकता करने का समय आ जाता है और बैंक दर कागज़ी सिक्के के नीचे उतर

जाता है इसका नतीजा यह होता है कि कागड़ी सिक्के और जमानत को कम फी सदी दर के सूद पर फिर से चालू करना पड़ता है ऐसा करने पर बैंक दर फिर चढ़ जाता है इंगलैंड कर को बढ़ा कर अपने बजट का संतुलन करता है। कर पहले से ही एक सीमा तक पहुँच गए हैं उनको कम करने के लिए शोर गुल मच रहा है अर्थ-मंत्री के लिए उसे कम करना जरूरी है किन्तु वह नहीं जानता कि बजट का किस तरह संतुलन किया जाय।

आयात-निर्यात-कर के सम्बन्ध में एक बात देखनी है। अपने उद्योग-धन्धो की रक्षा के लिए हम कर की वृद्धि करते हैं किन्तु उधर साम्राज्य के लिए विशेष सुविधा के नियम से भी बढ़ हैं और ओटावा का सम-भौता भी करते हैं।

इंगलैंड अपनी जरूरत का सब गोहूँ उपनिवेशो से खरीदना चाहता है। रूस सरीखे अन्य देश अब तक इंगलैंड को गोहूँ देते थे वे अब इंगलैंड के हाथ अपनी उपज नहीं बेच सकते, इस कारण जहा पहले गोहूँ बेच कर वे उस कीमत में ही इंगलैंड से ही कले खरीदते थे वहां उनके अनाज की कीमत गिर जाती है और उनकी क्रय-शक्ति भी घट जाती है इस कारण साम्राज्य-गत विशेष सुविधा के नियम के कारण ब्रिटेन के निर्यात में कमी होती है इंगलैंड दो करोड़ तीस लाख पौण्ड का मक्खन साम्राज्य के अन्दर से ही मंगाता है और दो करोड़ चालीस लाख का मक्खन अन्य देशो से मगाता है (सब मिला कर सत्तर करोड़ रुपये का मक्खन लिया जाता है) यदि वह बेल्जियम और हालैंड से मक्खन नहीं खरीद सकता तो उनके हाथ वह अपना तैयार माल भी नहीं बेच सकता। इस कारण उसके निर्यात व्यापार को धक्का लगता है इस प्रकार चाहे ब्यक्तियों की क्रय शक्ति देशो की उपज या उपजो की कम कीमत के कारण घटे वा देशो की क्रय शक्ति विदेशो से अदलाबदली न हो सकने से घटे और सोने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अभाव

अन्त में विश्लेषण किए जाने पर चीजों की अदला बदला ही है, नतीजा अनि वार्य रूप से यही होता है कि जितने ही अधिक रास्ते निकाले जायें उतनी ही अधिक असफलता होती है प्रत्येक इलाज रोग को खराब ही कर रहा है क्योंकि कार्य और कारण एक दुष्ट मडली में होते हैं ।

युद्ध आधुनिक और औद्योगिक परिस्थितियों से उत्पन्न परिस्थितियों को और भी पेचीदी बनाते हैं । औद्योगिक परिस्थितियाँ स्वयं ही अधिक पेचीदी हो गई हैं । ब्रिटेन द्वारा चुकता किया जाने वाला सयुक्त देश अमेरिका का युद्ध ऋण दो अरब अट्टाइस करोड़ बीस लाख पौण्ड था जो बासठ वर्षों में चुकाया जाने वाला था, जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षति पूर्ति की रकम ६५७६००००००० पौण्ड थी जो ५८ वर्ष में चुकती की जाने वाली थी । जर्मनी ने कुछ दिनों तक चीजों के रूप में अपने देन को इंग्लैंड और फ्रांस को चुकाया । और जहाँ फ्रांस ने इंग्लैंड से मगाए जाने वाले कल-पुर्जों को लेना बंद कर दिया था, वहाँ इंग्लैंड को भी चीजे विदेशों से मिल रही थी, इस कारण उसको अपने कारखाने खोले रहने की आवश्यकता न थी । इस कारण विजयी देशों में बेकारी का बोल-बाला हो गया था, और विजित जर्मनी के कारखाने दिन रात चल रहे थे । इस तरह विजित जर्मनी ने विजेता इंग्लैंड और फ्रांस को फसा लिया था, और इंग्लैंड में बेकारी की संख्या एक करोड़ दस लाख तक पहुँच गई । जर्मनी में बेकारी का नाम न था । किन्तु जर्मनी को कारखानों को चलाने के लिए पूँजी कहा से मिलती थी ? उसके साहुओं को ही यह पूँजी देनी पडती थी, नहीं तो कारखाने बंद रहते, क्योंकि जर्मनी के पास आदमी तो थे, किन्तु उनकी जेबों में एक भी पैसा नहीं था । इंग्लैंड और फ्रांस खूब खुल कर अमेरिका से ऋण ले रहे थे और उसे जर्मनी को अगाऊ रूप में दे रहे थे । इसके कुछ बाद ट्रिटलर का उदय हुआ । जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड को क्षति-पूर्ति की रकम चुकाना बंद कर दिया, इसके बदले में फ्रांस ने अमेरिका

की किश्त रोक ली। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अपने ही ऊपर अपनी जनता का दो अरब पौण्ड का ऋण लदा पाया।

ये घटनाएँ और पूर्व में पश्चिमी देशों द्वारा मडियों के खोये जाने के सम्बन्ध की घटनाएँ स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं कि शोषण का युग चला गया, फिर कभी न लौटने के लिए चला गया। पूर्व के सिर जीवन व्यतीत करने के पश्चिमी देश के परोपजीवी जीवन का अन्त आ पहुँचा है। पश्चिम के देश में आपस में गुट बना कर अपना संहार करने के लिए एक दूसरे के साथ कट मर रहे हैं। भारत शान्ति पूर्वक अपनी राष्ट्रीय इमारत की पुनर्रचना कर रहा है और प्रसन्नता के साथ न तो गगन-चुम्बी महलों की आवश्यकता होगी न टूटे भोपड़ों की।

इस परिणाम पर पहुँचने के लिए हमें न तो सामाजिक ठेके का अनुसरण करना चाहिये जिसने बहुमत का शासन प्रचारित किया, ऐसा बहुमत जो हाथ उठाने भर का हो, दिमाग वा दिल से उसे कोई मतलब न हो, और न मानव-परिवार के श्रेणियों और वर्गों के विभागों के संघर्ष को दी गई कानूनी मर्यादा का अनुसरण करना चाहिये। दो शताब्दियों के खडहर के साथ उसे साम्राज्यवाद वा शोषण की आवश्यकता नहीं है। उसकी सभ्यता स्वावलम्बी और आत्म निर्भर होगी। अतिशय विपमता सदा ही मानवता के सर्वोच्च आदर्शों के विरुद्ध होती है। वह एक ओर दानवाकार द्रुमराज और दूसरी ओर नन्ही नन्ही वनरपतिया खड़ी करना नहीं देख सकती। हम इस करुणा-जनक प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते।

“विचार इसलिए ठीक है कि उसके अनुयायी अनेक हैं, उनके जीवन या आचार का आदर्श चाहे जो हो।” “मानव-आत्मा का संचित अनुभव कि भलाई और सच्चाई रवतंत्र वस्तुएँ हैं, चाहे जितनी संख्या के व्यक्ति इन को ग्रहण करे वा विशेषता प्रदान करे, उनकी

म० गाँधी का समाजवाद

संख्या का इन पर प्रभाव नहीं” हमे अगक्रीर करना पड़ेगा और इसे गौरव प्रदान करना पड़ेगा। यह बात नहीं है कि हम प्रजातंत्र को हीन बतलाते हैं वा उस पर सदेह करते हैं, बल्कि प्रजातंत्र स्वयं अपने असली रूप का खोटा रूप बन गया है। वह पूंजी-वादियों, धनिक वर्ग और साहसी व्यक्तियों के स्वार्थ-पूर्ण छल-छद्मों को छिपाने के लिए एक प्रकार का मौखिक पर्दा बन गया है। इस दृढ़ तक इसका परिष्कार होना चाहिये और इसका परिष्कार सत्य और अहिंसा के प्रयोग द्वारा निरंतर ध्यान रखने से ही हो सकता है। ऐसी सावधानी के रहने पर लोग एक भूठे बचाव में न फँसा दिए जायेंगे जो मथुरा किन्तु निद्रालु शब्द, प्रजातंत्र से उत्पन्न होता है। हम लोगो को अपने अधिकार के लिए लड़ने की बात अब आगे न उठाते रहेंगे, हम लोगो को अपने पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करते रहेंगे और उन्हें सत्य तथा अहिंसा का मार्ग दिखायेंगे, मनुष्यों को केवल अधिकार ही नहीं बतायेंगे बल्कि उन्हें उनका कर्तव्य भी समझाते रहेंगे, जीवन की नई योजना में अधिकार और कर्तव्य एक तथा अविभाज्य हो जायेंगे जिससे भेद और भेदिया एक ही तालाब में पानी पी सकेंगे, और वाज तथा पड़क एक एक ही घोंसले में निवास करेंगे।

अध्याय १२

रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था

तीन कड़ियां जिन पर गांधी जी ने स्वाधीनता की इमारत खड़ी की है।

कांग्रेस अनेक अवस्थाओं को पार कर चुकी है पीछे की पीढ़ी के लिए अपने पूर्ववर्तियों द्वारा उपयुक्त साधनों को तुच्छ बतलाना आसान होता है फिर भी इसे मानना ही पड़ेगा कि पाश्चात्पूर्व काल की खोजे उन धारणाओं और विचारों का विकास ही होती है जो किसी किसी आन्दोलन के इतिहास के पूर्व-वर्ती दशकों में अंकित हुए रहते हैं। कांग्रेस की उल्लेखनीय और गौरव पूर्ण विजय विशेष कर भारत की दृष्टि में वह है जो सदा मानवता के लिए एक उदाहरण रूप जाज्वल्यमान रहेगी और जिसे भारतीय क्षेत्र के राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने में हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय कहा जा सकता है। भारत रूप में एक प्राचीन काल का प्रसिद्ध प्रबल पूर्वीय देश एक नन्हे आधुनिक टापू के विरुद्ध खड़ा है जिसने अपने बाहु-बल, अपनी सहसिक्र भावना, अपनी कूट-नीति और परिस्थितियों के भौगोलिक दबाव तथा ऐति-हासिक बल जीवन के लिए निरे संघर्ष द्वारा एक साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त करली है जिसमें कहा जाता है कि सूर्य कभी नहीं द्रवता विन्दु परिहास में यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य में

कांग्रेस को जो सफलता मिली है, उसे राजनीतिक सफलता के माप-दंड से नहीं तौलना चाहिए बल्कि उसे दुर्वोध और स्पष्ट निर्णय-शक्ति के माप से नापना चाहिये केवल जिसके ही द्वारा हम किसी सम्पूर्ण देश की दासता की भावना और उतना ही अपनी मुक्ति की शीघ्रता की भावना के निश्चय को माप सकते हैं। कांग्रेस ने इस दासता से मुक्ति पाने के लिए भूतकाल में अनेक प्रकार के उद्योग किए थे। एक सुधारों का युग था, विरोध प्रदर्शन का भी समय था, फिर होम रूल का भी जमाना दिखाई पड़ा, उपनिवेशों के ढग पर स्वशासन स्थापित करने का आन्दोलन भी दिखाई पड़ा, यदि संभव हो तो साम्राज्य के अन्तर्गत और आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर स्वराज्य और अंत में पूर्ण स्वतन्त्रता व पूर्ण स्वराज्य के आन्दोलन का समय आया। जिस समय योरप में साम्राज्य विध्वंस हो रहे हों, राजा बध किए जाते हों, जहां राजनीति केवल दृष्टि-कोण में ही कलहमय नहीं हो गई हो, बल्कि भाव में कड़वी हो रही हो, ऐसे समय में पूर्ण स्वराज्य उद्देश्य रखने की घोषणा करने के लिए केवल वाक्पटुता और एक राजनीतिक की युद्धकला की ही आवश्यकता न थी, बल्कि आदर्श और चरित्र की अदम्य पवित्रता की आवश्यकता थी जिसे वैसे ही एक महात्मा, दार्शनिक और पूर्ण उन्नत पुरुष ने प्राप्त और व्यवहृत किया हो।

अहिंसा के सिद्धान्त की खूबी संसार के अन्य देशों को समझना है और भारत में बहुसंख्यक जनता द्वारा आचारित होना है जो पश्चिमी सभ्यता और राजनीति के पश्चिमी आदर्शों के प्रभाव में आ गए हैं। और यह सिद्धान्त नितान्त रूप से मनुष्य की स्वाभाविक उत्तमता पर आधारित है जिसके बिना संसार का कुशल प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घड़ी खतरे में है। इसलिए इसका अंगीकार किया जाना और लोक-प्रिय होना इस निर्बिवाद रूप पर निर्भर करता है कि इस संसार में मनुष्य का कर्तव्य

शत्रु को विजय करना नहीं है, बल्कि उसे अपने मत का बना लेना है। यह इस बड़े सत्य पर भी निर्भर करता है कि इस संसार में कर्तव्य का उतना ही स्थान है जितना अधिकार का। अधिकार की धारणा संभव नहीं हो सकती जो एक ही समय अपने में ही अनुमानित होने योग्य कर्तव्य की भावना भी नहीं रखती। जब एक बार लोग यह मान लें कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होता है तो जिसे कर्तव्य माना जाता है वह वास्तव में अपने दृष्टिकोण से देखने पर अपने पड़ोसी का अधिकार मालूम पड़ेगा। इस आवश्यक सिद्धान्त पर आधारित होकर भारतीय स्वराज्य के दर्शन की पुनर्रचना की गई है जिससे यह परिणाम अनिवार्य हो गया है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए हम एक राष्ट्र के प्रति दूसरे राष्ट्र की दासता को उखाड़ फेंक रहे हैं, जिसका फिर यह अर्थ है कि प्रत्येक पुरुष या स्त्री को अपने पड़ोसी पुरुष या स्त्री के प्रति अपनी दासता को उखाड़ फेंकना चाहिए। जब व्यक्ति अपना जुआ फेंकेगा, गांव वाले भी अपना जुआ फेंकेगा और इस प्रकार प्रत्येक गांव स्वावलंबी और समाज कहे जाने वाले व्यक्तियों के समूहों के लिए निश्चित स्वाधीनता युक्त बन जायगा।

आधुनिक राजनीति का परिष्कार

समाज तुरन्त भय और लालच के दो भारी दैत्यों से मुक्त हो जाता है, जो संसार के सब अवगुणों के जनक हैं। आदमी को उस समय भय घेर लेता है जब उसकी आकाक्षाएं पूरी नहीं होतीं। और जब मनुष्य अपने पड़ोसियों से भय खाता है तभी वह लालची बन जाता है। इस प्रकार लालच से भय उत्पन्न होता है और भय से लालच। जब दोनों मिटा दिये जाते हैं तब मनुष्य को यह अनुभव करने का अवसर मिलता है कि उसके पड़ोसी की भलाई उसकी ही भलाई है, पड़ोसी की तन्दुरुस्ती से उसकी तन्दुरुस्ती बनती है, पड़ोसी के सुख से

उसका कुशल होता है और मनुष्य एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे पर आश्रित हैं, तब ऐसा होगा कि पारस्परिक हित और हिन्दुओं की नित्य की पुरानी प्रार्थना कि सारा ससार शान्ति-मय और सुखी रहे, सत्याग्रह को समझने के लिए कुजी बन जाएंगे। इसी कारण कांग्रेस ने अहिंसा की भावना से ग्राम-उद्योगों और कारीगरियों के पुनस्तथान, स्वावलम्बी ग्राम-जीवन की पुनर्स्थापना और हम लोगों की आधुनिक राजनीति के परिष्कार के लिए जोर दिया है।

इस प्रकार गांधी जी ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक तीनों क्षेत्रों में एक साथ ही पूर्व काल के पद पर पहुँचाने का प्रयत्न किया है। कुछ दिनों तक आन्दोलन चलने के बाद खहर भारतीय स्वराज्य का केन्द्रवर्ती सिद्धान्त बन गया, अब खहर एक विद्रोहात्मक सस्था का चिन्ह नहीं रह गया है, बल्कि पुनर्जन्म होती हुई राष्ट्रीयता की मुहर हो गया है। इस परिणाम तक पहुँचने के लिए गांधी जी ने कितने अनशन किये हैं। किन्तु जिस दूसरे सुधार के लिए गांधी जी ने अपना जीवन अर्पित कर देना चाहा और आमरण अनशन करने की घोषणा की वह अस्पृश्यता का निवारण है। अपने जीवन में इन दो विस्मय-जनक कार्यों को कर गांधी जी के सामने तीसरा सुधार मद्य-निषेध का है। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में खहर, सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण और नैतिक क्षेत्र में मद्य-निषेध ये तीन कड़ियाँ हैं जिन पर अहिंसा के इस शिल्पकार ने स्वराज्य का भवन खड़ा किया है।

अहिंसा की कलानिपुणता

बहुत से लोग कहते हैं कि साधारण लोगों के व्यवहार के लिए अहिंसा की कलानिपुणता बड़ी दुष्कर है। हमें इस प्रश्न का उत्तर

देना है। धर्म की कलानिपुणता और ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण साधारण व्यक्तियों की बुद्धि में आने के लिये बहुत दुष्कर है, फिर भी वे सभी लोगों के लिए स्फूर्ति और प्रेरणा उत्पन्न करने के प्रबल साधन हैं जो इस संसार में अपने विविध कर्तव्यों का पालन केवल सुव्यवस्था की भावना से ही नहीं, बल्कि बन्धुत्व की भावना से भी करते हैं। जब बुनियादी सिद्धान्त समझ लिया जाय तो सत्याग्रह सरल मार्ग हो जाता है। निदान जिन सिद्धान्तों पर भूत कालों में सभी धर्मों की स्थापना की गई थी, वे नितान्त सरल थे, फिर भी उनके चतुर्दिक अत्यधिक जटिल दर्शनों का जन्म दिया गया किन्तु दर्शनों की जटिलता ने सिद्धान्तों की सरलता को सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन और उस पर आधारित धर्मों की विजय के जीवन में व्याप्त होने से नहीं रोका।

हम लोगों ने अपने समय में ही देखा है कि किस प्रकार सत्याग्रह के भद्दे प्रारम्भ ने पहले निष्क्रिय प्रतिरोध का रूप धारण किया, जो एक गर्व और कड़ुवाहट का आन्दोलन था, वह कुछ घृणा और हिंसा तथा शायद प्रतिकार की भावना से भी बचा नहीं था, किन्तु यह शीघ्र सविनय अवज्ञा रूप में विकसित हुआ और गांधी जी को लोगों को यह समझाने में बड़ा प्रयत्न करना पड़ा कि आन्दोलन के इस पहलू का यथार्थ प्रेरक सिद्धान्त अहिंसा है। लोगों ने जब यह अनुभव किया कि विशेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी संज्ञा, तब सत्याग्रह का संचालन किया गया। अतएव अहिंसा केवल निषेधात्मक बात ही नहीं रह गई बल्कि एक निश्चित शक्ति बनी जिसने अपने को उस प्रेम में प्रदर्शित किया “जो दूसरों को नहीं जलाता, बल्कि स्वयं जल कर भस्म हो जाता है।”

सत्याग्रह उत्पत्ति और दृष्टिकोण में नितान्त रूप से भारतीय है।

समय समय पर प्राचीन ऋषियों के सत्य और अहिंसा से चिपके रहने और राजाओं तथा योद्धाओं द्वारा प्रचंड रूप से किए गए अपने प्रति-प्रहारों का शमन करने के लिए सरल मार्गों को निकाला था। इस को प्रबल अस्त्र रूप में व्यवहार करने के लिए केवल इतनी ही आवश्यकता है कि सत्याग्रही अपने को निश्चित रूप से सत्य का पुजारी समझे और इस कारण मनुष्य, सरकार, समाज, निर्धनता और मृत्यु का भय विल्कुल छोड़ दे। ऐसी साधना की सहायता से ही आत्म-त्याग और विनम्रता की सच्ची भावना उत्पन्न होती है और इन दोनों से उसके अनुयायी में साहस का संचार होता है। और जो राजनीति इस नए सिद्धान्त से प्रतिपादित की जायेगी वह तुरन्त परिष्कृत और आध्यात्मिक भावना पूर्ण हो जायगी, इसी कारण वर्षों की कैद के बाद काकोरी के कैदियों और ऐंडमन के बंदियों में सब ने अपने आतंकवादी सिद्धान्तों को छोड़ कर अहिंसा के बल को अंगीकार करने की तुरन्त घोषणा की। एक नया युग प्रारम्भ हो गया है—जो केवल भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे ससार के लिए है और यह हम लोगों की आशा है कि युद्धों के बीच हम अपने ही समय में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को घृणा और युद्ध के स्थान पर प्रेम और शान्ति के निर्णय द्वारा निर्णीत होते देखेंगे।

लुप्तप्राय ग्रामबंधों की पुनर्स्थापना

हमें इस सिद्धान्त की बातों को बताने की आवश्यकता नहीं जिन पर ग्राम-उद्योगों और उनमें सर्वश्रेष्ठ खद्दर द्वारा राष्ट्रीय जीवन के पुन-निर्माण की संयोजना और संचालन पिछले वर्षों में किया गया है। फिर भी लोग इस मामूली बात को नहीं जानते कि किसी समय केवल हाथ से काते और हाथ से बुने कपड़े से इस देश की सारी आवश्यकताएं पूरी होती थीं, वे यह अनुभव नहीं करते कि ईस्ट इन्डिया

कम्पनी का इस देश में आगमन इस देश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में बुने कपड़ों के संग्रह करने के लिए हुआ था जहाँ कम्पनी की कोठिया बनी थी जिसका अर्थ गोदाम वा भंडार होता है। उस समय इंजिन वा कारखाने नहीं थे। १६३२ ई० तक भाप का इंजिन आविष्कृत नहीं हुआ था। उन कोठियों में कपड़े जुटा कर रक्खे जाते और बेच कर लाभ उठाने के लिए विलायत भेजे जाते थे। उन्हें इस देश से ले गए कपड़े पर भारी मुनाफा, यहाँ तक कि ३०० फी सदी तक, मिलता था, वे कपड़े जहाँ पहले इंग्लैंड के धनिक घरों में फर्श पर बिछाये जाते थे महारानियों की लज्जा टकने लगे। जिन व्यापारिक कम्पनियों के कारण इंग्लैंड के माल की कीमत बहुत घट गई उनका लोग मखौल उड़ाते थे, किन्तु बाद में मुर्शिदाबाद के रेशम ने अंग्रेजी समाज में घर किया और इंग्लैंड के बड़े-बड़े सरदारों और अमीरों ने रेशमी पहनावा पहनना प्रारम्भ किया।

भारतीय माल की बिक्री पर दंड

यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि सन् १७०० ई० में प्रत्येक अंग्रेज को भारतीय रेशम पहनने पर ५ पौंड जुर्माना किए जाने का कानून पास हुआ था। सन् १७३५ ई० में एक कानून बना कि भारतीय रेशम बेचने वाले प्रत्येक अंग्रेज पर २५ पौंड जुर्माना होगा। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में लोग और भी आगे गए, और यह कानून पास किया कि जो कोई इंग्लैंड में उन के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज़ का कपड़न मुर्दे के ऊपर रक्खेगा उस पर ५ पौंड जुर्माना होगा। उन्होंने इंग्लैंड में भारत के रेशम के आयात का प्रतिकार करने के लिए आयात-निर्यात-कर निर्धारित किया।

इस प्रकार उन्होंने विदेशी कपड़े को बाढ़ से अपने देश की रक्षा की। इसी समय भाप के इंजिन का आविष्कार हुआ और सूत कातने

तथा बुनने की कलों में इजिन का इस्तेमाल हुआ। उसका परिणाम सरकार की आयात-निर्यात-कर नीति की अपेक्षा बहुत ही अधिक प्रभावशाली और विस्मयजनक हुआ।

इंगलैंड में सूती कपड़े का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा क्योंकि कले गजो में कपड़े नहीं तैयार करती, बल्कि गाठ की गाठ तैयार करती हैं। वे विकराल दैत्य हैं जिनके भोजन के लिये तोला रत्ती वा सेर पाव में जरूरत नहीं पड़ती बल्कि सैकड़ों हजारों मन की आवश्यकता होती है। इसलिए पहले-पहल भारत में कपड़ा आना प्रारम्भ हुआ। जहाँ १८०३ ई० में केवल ३ लाख का कपड़ा आया वहाँ १८२९ ई० में २९ लाख का और १९२९ में ६६ करोड़ रुपये का कपड़ा और ६ करोड़ रुपये का सूत आया। इस प्रकार भारत लकाशायर की एक अच्छी मडी बना। और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में कानून और व्यवस्था, भू-कर की व्यवस्था वा विश्वविद्यालय की शिक्षा-पद्धति वा कचहरियो, कालेजों, और धारा-सभाओं वा विहित स्वार्थों युक्त कुलीन वर्गों द्वारा साम्राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि लकाशायर तथा यात्रिक बल द्वारा चालित करघो द्वारा की।

भारत का व्यापारिक अपहरण

इंगलैंड द्वारा भारत का अपहरण अनेक प्रकार है, केवल भूमिगत, सास्कृति और व्यापारिक ही नहीं है। कदाचित्त व्यापारिक अपहरण इंगलैंड के लिए सब से बड़ा लाभ है क्योंकि इंगलैंड में लोगों को अपने देश की सीमा के अंदर की उपज से केवल ५ सप्ताह के लिए ही भोजन मिल सकता है, बाकी ४७ सप्ताह के लिए देश के भोजन की सामग्री बाहर से मगानी पडती है। इस के लिए उन्हें दाम देने की आवश्यकता है और सोने चादी रूप में असीम काल तक मूल्य चुकाते जाना एक असंभव बात है इस कारण वे चीजों रूप में ही देते हैं।

वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पड़े पैमाने पर चीजों की अदला बदली ही है, जिस में माल की कीमत माल द्वारा ही चुकाई जाती है अर्थात् जिस में निर्यात आयात की कीमत चुकाता है। इस प्रकार यह केवल इंग्लैंड के लाभ की ही बात नहीं है बल्कि मुख्य आवश्यकता है कि वह भारत द्वारा विलायती माल खरीद करावे। अन्यथा उसे भूखों मरने की नौबत आवेगी क्योंकि खाद्य सामग्री विलायत में आयात न की जा सकेगी। इंग्लैंड द्वारा भारत के व्यापारिक उपहरण का यही रहस्य है।

इस बात का अनुभव हम लोगो ने एक प्रकार से १९०५ ई० में किया जब बंग-भंग के विरोध-प्रदर्शन रूप में हम लोगो ने स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का निश्चय किया। उस समय केवल इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया गया था—कपड़ा, साबुन, मोमबत्ती और कलई के बर्तन। बाद में जब बहिष्कार-आन्दोलन ज़ोरों पर हुआ तो नर्म दल के नेताओं ने लोगों का जोश ढंडा करने के लिए बहिष्कार के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का प्रचार करना प्रारम्भ किया। यह १९०८ में श्री गोखले की स्थिति थी। उस समय भी लोगो को स्वदेशी के लिए त्याग करने को कहा जाता था, क्योंकि सरकार इन उद्योगों की सहायता नहीं कर सकती थी। और लोगों द्वारा त्याग करने की बात इसमें कही जा रही थी कि वे महँगे दाम पर भी घटिया कपड़ा, ज्यादा दाम देकर भी मोटे कपड़े पहनें।

अतएव कपड़े को गैरसरकारी राष्ट्रीय सहायता देने का यह सिद्धांत कांग्रेस के नम्रदल के प्रस्ताव में भी था जिस पर उनका प्रभुत्व १९०८ से १९१५ तक रहा, होमरूल आन्दोलन में भी स्वदेशी का ही आन्दोलन था। किन्तु जब गांधी जी सामने आये तो स्वदेशी का आन्दोलन अधिक व्यवस्थित हुआ और उसके लिए अधिक त्याग की माग की गई, लोगो को केवल हाथ से बुने कपड़ों को ही इस्तेमाल

11

करने को नहीं कहा गया, जैसा बग-भग के समय और होमरूल आन्दोलन के समय होता था बल्कि हाथ से कते और हाथ से बने कपड़े पहनने की माग रखी गई, सरकार भी भारत के हाथ के करघे से बुनने वाले जुलाहों को सहायता करने की आवश्यकता से असावधान कभी नहीं रही है और पिछले दिनों में हाथ की बुनाई के धन्धे को सहायता देने और दृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा १५ लाख रुपया सालाना की अच्छी रकम दी गई है।

खादी की सहायता

किन्तु जब उसी जुलाहे को हाथ से कते सूत से कपड़ा बुनने को कहा जाता है तो क्या होता है ? वह सूत, वह कपड़ा, जुलाहा, सग-ठन-कर्त्ता, और इस प्रथा को चलाने वाली राजनीति विद्रोही घोषित की जाती है, सौभाग्य से जैसे दिन व्यतीत हुए और ऐसा भी समय आया जब स्वयं सरकार के ही कांग्रेसी मंत्री वही खदर पहनने लगे, और सभाओं में भारी जन-समूहों को वैसा ही कपड़ा पहनने और गरीबों की सहायता करने के लिए उत्साहित करने लगे ताकि धन का प्रवाह गावों से कस्बों की ओर, कस्बों से नगरों और नगरों से समुद्र-पार न बह कर नगरों से कस्बों और कस्बों से गावों तथा गावों से गरीब विधवाओं, असहाय स्त्रियों और वृद्धा माताओं की ओर बह सके।

लोगों ने उपहास के साथ पूछा है, कि क्या एक आने की मजदूरी की ओर भुका जा सकता है जब कि हाईकोर्ट में एक वकील किराए की गाड़ी बुला लाने के लिए नियुक्त लड़के को चार आने मजदूरी देता है। यह बिलकुल ठीक है। ऐसी नौकरी में लगा हुआ लड़का अच्छी मजदूरी पाता है। लेकिन हाईकोर्ट हर एक गाव में नहीं होते वे केवल ५, ६, नगरों में ही पाए जा सकते हैं। इस देश में जहां

साढ़े सात लाख गाव और दो हजार आठ सौ कस्बे हैं इनमें रहने वाले लोगों पर क्या बीत सकती है जब कि आप हाईकोर्ट वाले कुछ शहरो मे किराए की गाड़ी बुलाने वाले नौकर की चार आने मजदूरी पाने की बात ही सोचे, क्या आपको मालूम है कि हम लोगों के लेखानुसार प्रत्येक भारतीय की औसत आमदनी तेइस रुपया है और लार्ड कर्जन ऐसे प्रतिक्रियावादी वाइसराय के हिसाब से अड़तालीस रुपया है । और उनका तखमीना चार रुपया महीना या दो आना रोजाना होता है । यदि ऐसी बात है तो क्या उन दो आना में एक आना और जोड़ने से और वह आना उन लोगों को दिलाने से कुछ खो सकते हैं जो अपने घरों की पर्दगी में पड़े रह सकते हैं और अपनी फुरसत के समय मेहनत कर सकते हैं जो उनके लिए काम के बजाय मनोरंजन ही हो ? और हाल ही मे महात्मा गाधी ने कताई की मजदूरी एक आने की जगह दो या तीन आना तक बढ़ा देने पर जोर दिया है । उन्होने कहा है कि आठ घण्टे कताई और एक घण्टे धुनाई की रोजाना मजदूरी आठ आने से कम नहीं होनी चाहिए, और अपने सहकारियों द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर व्यावहारिकता के कारण ही मजदूरी आठ आने की जगह दो, तीन, चार आने करवा दी है ।

श्रम और सम्पत्ति

यह दरे अनेक स्थानो मे चालू कर दी गई हैं, और खदर के कार्यकर्ताओं को लोगों की इस आलोचना के विपक्ष भी कि खदर का दाम जहा पहले ही अधिक था वहा अब और भी अधिक किया जा रहा है नई दरे स्वीकार करनी पड़ी हैं, फिर भी वे बढ़ रही हैं, गरीबों की सहायता के लिए धनिकों को त्याग करने की आवश्यकता है धनिकों की सम्पत्ति गरीबों की मजदूरी से पैदा होती है, और धनी व्यक्ति के लाभ के दृष्टिकोण से भी मजदूर को मजदूरी के योग्य होना

चाहिये और उसकी मजदूरी उसके श्रम के योग्य होनी चाहिये, यदि श्रम सम्पत्ति उत्पन्न करता है तो यह उचित ही है कि श्रम दृढ और समर्थ हो जिससे धनिक वर्ग में वह अधिक धन खड़ा कर सके। इस दृष्टिकोण से भी किसी को कताई की मजदूरी बढ़ने पर कदापि एतराज नहीं करना चाहिये, इस प्रकार अर्थ-शास्त्र, नैतिकता और राजनीति के दृष्टिकोण से देखने पर खद्दर को अपने लिए पिछले अनेक वर्षों में दिए गए ध्यान और तत्परता के लिए लज्जित होने का कोई कारण नहीं।

खद्दर की परिभाषा

अखिल भारतीय चर्खा-संघ ने जो खद्दर के उत्पादन और वितरण के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त संस्था है, कुछ नियम निश्चित किए हैं, जो इस धंधे की उन्नति के लिए निश्चित हैं और वास्तविक रूप में खद्दर की यह परिभाषा की है कि वह केवल ऐसा ही कपड़ा नहीं है जो हाथ के कते सूत से हाथ के करघे पर बुना गया हो, बल्कि वह कपड़ा है जिसके तैयार करने में प्रत्येक कारीगर को चाहे वह धुनिया, कातने वाला, बुनने वाला, छीपी, रगरेज, वा धुलाई करने वाला हो उचित मजदूरी दी गई हो। इसलिए खद्दर की कानूनी परिभाषा चाहे जो कुछ हो किन्तु राजनैतिक परिभाषा जो आर्थिक परिभाषा भी है यह है कि—खद्दर वह कपड़ा है जो कि अखिल भारतीय चर्खा-संघ द्वारा नियुक्त व स्वीकृत मजदूरी पाने वाले कारीगरों द्वारा तैयार किया गया हो, इसी कारण जनता से प्रमाणित दुकानों का ही खद्दर खरीदने की बात कही जाती है, लोगों में सब तरह का कपड़ा बाजार में रखने का बहुत अधिक प्रलोभन हो रहा है, ऐसी जटिल अवस्था में खद्दर के प्रमाणित रूप में उत्पादन और वितरण करने के नियंत्रण का अतिरिक्त कष्ट अखिल भारतीय चर्खा संघ ने

अपने ऊपर लिया है, प्रान्तीय सरकारों में भी इसकी माग उत्पन्न हो रही थी। अखिल भारतीय चर्खा संघ या उसकी प्रमाणित संस्थाओं द्वारा आज कुल जितना खद्दर तैयार हो रहा है वह किसी एक प्रान्तीय सरकार को भी भिन्न २ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, यदि सरकारों ने अपने अस्पताल, पुलिस और उनके द्वारा बर्दा दिए जाने वाले नौकरों के लिए खद्दर लेना निश्चित किया होता।

यह बात विश्वस्त रूप से मालूम हुई है कि डि० बोर्ड, म्युनिस्पल बोर्ड जब खद्दर खरीदना चाहते हैं तो वे अप्रमाणित संस्थाओं से भी तखमीना मागते हैं, यह बात रोकी जानी चाहिए। डि० बोर्डों के काग्रेसी प्रेसीडेन्ट इस बात को निःसंदेह जानते हैं कि ऐसी अप्रमाणित संस्थाओं को प्रश्रय व प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसी संस्थाओं से इस प्रकार तखमीना मागना य मंजूर करना उनके लिए अनुचित है, इसलिए हम लोगों ने इस सम्बन्ध के सभी अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि वह ऐसी अप्रमाणित संस्थाओं से खद्दर न लें।

अब इस अवस्था में खद्दर की प्रशंसा का बखान करना व्यर्थ है, खद्दर ने समय के प्रहारों और परिस्थितियों को सहन कर लिया है, या सार्वजनिक आलोचना के प्रहारों को पार कर चुका है, यह उपहास और व्यंग के दिन देख चुका है जो प्रारम्भ होने के काल में प्रत्येक प्रगतिशील आन्दोलन को भोगना पड़ता है, इसने निरपेक्षता और उदासी भी अपने प्रति देख ली है, इसने सर्वसाधारण द्वारा अपने प्रचार का समय देखना प्रारम्भ किया है। वह समय शीघ्र ही आ सकता है, जब लोग तुरन्त यह अनुभव करने लगेंगे कि उनके हृदय गरीबों की सहायता के लिए गावों की ओर जाने चाहिए, तथा धनिक यह अनुभव करने लगेंगे कि उन के पास जो बच्चा हुआ धन है वह गरीबों के सुख के लिए धरोहर की भाँति है, और यह गरीबों का अधिकार है कि वह अपने लिए भोजन, वस्त्र और रहने का अधिकार प्राप्त करें, तथा यह

धनिक वर्ग का कर्तव्य है कि वह अपने गरीब वन्धुओं को जीवन की यह आवश्यक वस्तुएं प्रदान करे ।

अपनी रचना का मालिक

खदर घर की पवित्रता रक्षित रखता है, परिवार को एक साथ रहने देता है, और कारीगरी की तैय्यार वस्तु कारीगरी की जायदाद बनाता है जिसे वह चाहे इस्तेमाल करे, जमा रखे, बेचे, गिरो रखे, वा जिस ढंग से वह चाहे वैसा करे, वह रचयिता होता है और अपनी रचना का मालिक होता है, वह अपने ही घर में रहता है, किन्तु उसका घर सिर्फ कारखाना ही नहीं होता है बल्कि एक स्कूल भी होता है जिसमें उसके बच्चे अपने माता-पिता की गोद में पुश्तैनी कारीगरी को सीखते हैं, घर का हर एक आदमी उस धन्धे से संबन्ध रखने वाले किसी न किसी भाग से सम्बन्ध रखता है और वहा ऐसी कोई बात नहीं होती कि केवल कोई बेजोड़ बेमेल मशीन सम्बन्धी निर्जीव काम का कोई निश्चित भाग कारखाने में करना पड़े और सिर्फ मजदूरी से मतलब हो, कारीगर अपना ही मालिक होता है और उसे जब जरूरत हो छुट्टी ले सकता है, उसे दूसरे के पास आवेदन पत्र भेजने की जरूरत नहीं होती, शादी हो, मौत हो, कोई बीमारी हो, या सिर्फ कुछ तबीयत भारी हो, उस दशा में वह एक दूर के ऐसे मालिक की दया का भिखारी नहीं होता जो एक दूर की जगह में रहने वाला, अविचारशील सहानुभूति-हीन और निष्ठुर हो जिसका एक मात्र ध्यान सिर्फ धन कमाने का हो, वह अपनी इच्छानुसार ही रहता और काम करता है और घूमता फिरता है, उसके समय का नियंत्रण उसके ही हाथ में रहता है, भारतीय सभ्यता की बुनियाद कायम करने वाले ग्राम-उद्योगों के प्रभुत्व को इस बीसवीं शताब्दी में चुनौती नहीं दी जा सकती, जब जापान से लेकर मिस्र तक चीन, अरब, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान,

अध्याय १३

मद्य-निषेध

मद्य-पान ससार का एक बहुत बड़ा अवगुण है। करोड़ों निर्धन और हजारों धनी व्यक्ति इस भीषण अवगुण के शिकार बन कर अपने स्वास्थ्य, सम्पत्ति और जीवन के सुख को बर्बाद कर रहे हैं। पाश्चात्य लोगो की दृष्टि में मद्य-पान आपत्ति-जनक नहीं है, किन्तु हम लोगो के देश में मद्य-पान को कोई अच्छा नहीं कहता वह चाहे समाज के जिस वर्ग का व्यक्ति हो। जो जातियाँ प्राचीन प्रथाओं के अनुसार मद्य-पान करती आ रही हैं वे भी इस सम्बन्ध की दुर्बलता को अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं कह सकती किन्तु पाश्चात्य देशों के सम्पर्क के फलस्वरूप लोगो में से कुछ नए वर्ग विशेष कर समाज के धनिक वर्गों में से कुछ लोग आम तौर पर शराब पीने और विशेष रूप से विदेशी शराब के अभ्यस्त हो रहे हैं। यह बात नहीं है कि प्राचीन काल में हम लोगो के देश में मद्य-पान नहीं था। सचमुच प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे लोगों के उदाहरण मिल सकते हैं जो मादक चीजों का सेवन करते थे। भगवद्गीता के एक श्लोक से यह बात स्पष्ट है, जिसमें शुक्राचार्य ने सब तरह के मद्यों का निषेध किया है। उन्होंने कहा है कि मद्य-पान करने वाले सभी लोग पाप के भागी हैं।

जादू का भण्डाफोड़

इस देश की आवादी पैतीस करोड़ है, जिसमें हिन्दू चौबीस करोड़ और मुसलमान आठ करोड़ हैं। हिन्दुओं में चार करोड़ अछूत कहे जाने वाले लोग हैं। जिसमें से ८०-९० प्रति शत तक पुरुष मद्य-पान के

भीषण चक्र में फँसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो मजदूर पेशा वा चलते-फिरते भिन्नक हैं जो अपनी आमदनी का अधिकांश मद्य-पान में ही खर्च करते हैं और यह बड़े अफसोस की बात है कि किसानों के उच्च वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मद्य-पान की लत के कारण अपनी प्रतिष्ठा, समाज में स्थिति, आचरण और व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सुख को नष्ट कर दिया है।

अंग्रेजों के इस देश में आने के बाद मद्य-पान एक सर्व-प्रचलित अवगुण बन गया और उसके व्यवसाय को देश की हुकूमत द्वारा सार्व-जनिक रूप से अधिकार-पत्र मिलता है बहुत दिनों से शराब वास्तव में सरकार के राजस्व का मुख्य अधिकार बन गई है। मद्य-पान ऐसे घोषित अवगुण को, जो चोरी और जुए की तरह से एक जुर्म माना गया है, क्रय-विक्रय का अधिकार पत्र देना लज्जा और शोक की बात है। शराब, जो समाज के लिए विध्वंसक है, का व्यापार चलाने के लिए अधिकार-पत्र दिया जाना सरकार के लिए उससे कम घृणास्पद नहीं है, जितना उसकी ओर से डकैती और चकलेखानों के लिए आश्रय दिया जाना किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों के शासकों की दृष्टि में न तो मद्य-पान को और न जुए को ही उस रूप में और उस हद तक घृणित माना जाता है जितना हम लोगों के देश में प्राचीन परम्परा के अनुसार माना जाता था।

हिन्दुओं की ही भाँति मुस्लिम समाज में भी धर्म-संस्थापकों और आचार्यों ने स्पष्ट रूप में मद्य-पान और इस अवगुण के विरुद्ध उपदेश दिया है। यह दुःख की बात है कि मुस्लिम समाज में भी हिन्दू समाज की भाँति मद्य-पान का बहुत अधिक प्रवेश हो गया है और जो लोग समाज के हित-चिंतक हों उनका यह कर्तव्य है कि इस भीषण अवगुण को उखाड़ फेंकने के लिए अपने ऊपर अनवरत अथक परिश्रम करने का भार धर्म के नैतिक नियम से ही न समझे वल्कि कांग्रेस की भी

आज्ञा समझे ।

सत्रह करोड़ का राजस्व

ब्रिटिश भारत में केवल इस घृणित व्यापार के राजस्व से सरकार को कुल १७ करोड़ रुपए की आमदनी होती है, मद्रास सरकार के कुल राजस्व १६ करोड़ का चौथाई आवकारी से प्राप्त होता है । क्या यह बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है कि जहाँ मद्यपान में फसे हुए निर्धन व्यक्ति उसके कारण भूखो मर रहे हों वहाँ गरीबों के खून से प्राप्त इस राजस्व की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर धनिक वर्ग हँसी-खुशी मना रहे हों ? क्या यह एक को लूट कर दूसरे को देने तथा गिद्ध को खिलाने के लिए कौबे मारने का उदाहरण नहीं है ।

जीवन के कला और शिल्प में प्रवीण सम्पूर्ण परिवार मद्यपान के प्रभाव के कारण अपने कौशल और कार्य-शक्ति से रहित हो गए हैं । मद्यपान के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मद्य पीने वाले की कार्य-कुशलता कम होती जाती है उनका स्वयम् रक्त पतित हो जाता है और उसमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । यह बात सबको मालूम है कि मद्य पीने वालों में रोग का निरोध कर सकने की शक्ति कितनी कम होती है और उनके वे विनाशक प्रभावों के तुरन्त शिकार हो जाते हैं । मद्य-पान से निर्णय शक्ति कम हो जाती है और शरावी उन प्रलोभनों में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं जो उन्हें अनेक तरह के जुल्मों में खींच ले जाते हैं ।

मद्य-पान का अवरोध करने से मज़दूर-पेशा लोगों की गरीबी तुरन्त ही आधी कम की जा सकती है उनके स्वास्थ्य और सस्कार की उन्नति हो सकती है । देश में जुर्म तो कम होगा ही उनकी जाँच-पड़ताल और रुकावट के लिए सरकार को जो खर्च करना पड़ता है वह भी कम हो जायगा । धन की बचत होगी और उसके बदले

व्यापार बढ़ेगा । उत्पादन अधिक होगा और राष्ट्र की रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी ।

पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की ओर से लोग मद्य-निषेध के आन्दोलन का प्रचार करते आए हैं । कांग्रेस मंत्रिमंडलों के भिन्न-भिन्न प्रांतों में बनने पर इस आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया था । प्रांत के सब जिलों में एक साथ ही मद्य-निषेध कर देने से प्रांतों की बहुत बड़ी आय एकवएक रुक जाती और प्रांत के प्रबन्ध के लिए तुरन्त व्यय जुटा सकना कठिन होता, इस कारण पहले कुछ जिलों में शराब-बन्दी प्रारम्भ की गई थी । अन्य सब महो में जहां तक सम्भव होता खर्च की कमी कर पूरे प्रांत भर में शराब-बन्दी के घाटे को पूरा कर सकने की व्यवस्था धीरे-धीरे की जा सकती थी । कुछ भी हो, हमारा कर्तव्य देश भर में मद्य-निषेध के पक्ष में आन्दोलन करने का होना चाहिए जिससे नैतिक क्षेत्र में देश में सुधार हो सके ।

बंगाल का मामला

जब प्रांतीय सरकारों ने मद्य-निषेध का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था तो इस सुधार की बुद्धिमानी में सन्देह रखने वाले बहुत से लोग कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ बतलाते थे । वे निर्मूल सिद्ध हो सकती थीं । एक आपत्ति यह की जाती थी कि जब लोगों को खुले आम शराब न पीने दिया जायगा तब ग़ैरकानूनी तौर पर शराब चुवाया जाना अवश्य ही बढ़ जायगा, किन्तु यह बात ठीक नहीं है क्योंकि वास्तविक भेद इस बात से पड़ सकता है कि सुधार का कार्यक्रम किनकी तरफ से हाथ में लिया जा रहा है । बंगाल में जहाँ सरकार शराब के पक्ष में नहीं है या कहा जाता है कि अन्य बड़े प्रांतों की तरह से मद्यपान से प्राप्त राजस्व कुल राजस्व का चतुर्थांश या पंचमांश नहीं है । निस्सन्देह बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और भारत के अन्य

महात्मा गाँधी का समाजवाद

अध्याय १

समाजवाद का कार्य-क्षेत्र और दृष्टिकोण

समाजवाद वह वाद है जो वर्तमान सामाजिक अवस्था में परिवर्तन करना चाहता है। यह एक सुधार आन्दोलन की तरह प्रारम्भ हुआ जो समाज की बुनियाद को बढ़ाना और राज का कार्य-क्षेत्र विस्तृत करने का प्रयत्न करता है। अभी हाल तक राज वहाँ प्रारम्भ होता था जहाँ समाज और उसका प्रभाव समाप्त होता था। समाज का काम अधिकतया अपने सदस्यों को भोजन और वस्त्र, और जिन्हें भोजन और वस्त्र की प्राप्ति निश्चित रूप से हो उन्हें अवकाश और मनोविनोद की प्राप्ति कराना था। धीरे-धीरे राज पर सब की जिम्मेदारी डाली जा रही है। अभी हाल तक राज का काम सिर्फ कर वसूल करना और कानून और व्यवस्था की रक्षा करना था। अब इसे बेकारी भी दूर करनी पड़ रही है। कोई संगठित संस्था अपने अंगों की पुकार पर हक की बुनियाद पर कोई बात मानने के लिये तैयार हो जाती है, उसे नीचे के आन्दोलन की बात छोड़कर भी वही बात कर्तव्य की भाँति पूरा करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि किसी आन्दोलन के अत्यावश्यक और प्रभावशाली मुख्य सत्य, जो एक हलचल और अशान्ति की तरह उत्पन्न हुए होते हैं, एक मत, दृढ़ सिद्धान्त का रूप धारण कर लेते हैं जो उस संगठन के कार्यों का नियंत्रण करता है। इस प्रकार आज जिस रूप में राज

प्रातों की अपेक्षा उसकी जन-संख्या अधिक है। फिर भी वास्तविक वात यह है कि वहा शराव से प्रात राजस्व बहुत कम है। इसका कारण यह है कि बंगाल की सरकार मद्यपान को सदा निरुत्साहित करती रही है और बंगाल की देहाती जनता मे मादक द्रव्यों की परहेज़ी का स्वभाव सर्वत्र होने से मद्यपान का राजस्व बहुत कम, —विहार मद्रास और बंगाल की अपेक्षा बहुत ही अधिक घटा हुआ है। यथार्थ मे बंगाल मे ताड़ के पेड़ों से निकली हुई सब ताड़ी गुड़ बनाने के काम मे आती है।

कारणों की छान-बीन

इस सम्बन्ध मे गरीब लोगो मे प्रचलित मद्यपान के सम्बन्ध मे कुछ आकड़ो का अध्ययन करना मनोरजक होगा। कुछ आकड़े जो न्यूयार्क के अस्पताल के कुछ रोगियो से तैयार किए गए हैं, यह वात प्रकट करते हैं कि वे रोगी अनेक कारणो से शराव पीने की ओर झुके, सामाजिक कारणों से ५२५ प्रतिशत मद्य पान मे लिप्त हुए १३ प्रतिशत घरेलू झगड़ों के कारण, ९३ प्रतिशत इलाज के लिए, ७ प्रतिशत पेशे के कारण, ७ प्रतिशत बड़ो द्वारा बहकाए जाकर, ५ प्रतिशत बेकारी के कारण, १२ प्रतिशत खेल मे लगे होने के कारण, और ५ प्रतिशत लोग यह नही बता सके कि उनमे शराव पीने की लत किस प्रकार आई।

विनाश का चक्र

अब मद्य-पान के सामाजिक दुष्परिणाम को लीजिए, तलाक अधिक-तया घरेलू झगड़ों के कारण होते हैं जो मद्य-पान के कारण उठते हैं। यह कहा जाता है कि अमेरिका मे १८८७, १९०६ सालों के बीच एक लाख चौरासी हजार शादियों का अन्त तलाक रूप मे हुआ, इनमे ४५ प्रतिशत मद्य-पान के कारण हुई थी, शहरों मे हम प्रायः

चकलों की बात मुनते हैं, और इन चकलों में जुटने वाली ८० प्रतिशत त्रिया मद्य-पान के प्रभाव के कारण ऐसा करती हैं। हमारे ही देश में पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत में मद्य-पान का औसत खर्च प्रति व्यक्ति कहा जाता है कि तीन आना आठ पाई है, बम्बई में दो रुपया है, तथा अन्य प्रांतों में यह रकम इन दो रकमों के बीच ही कम ज्यादा है।

कार्य करने की शक्ति पर मद्य-पान की प्रतिक्रिया पर विचार कीजिए, शराब के प्रभाव के कारण निशाने-बाज हाथ के कापने के कारण निशाना लगाने में चूकता है, छापेखाने का कम्पोज़िटर अपनी अंगुलिया अस्थिर अनुभव करता है, और खेल के मैदान में खिलाड़ी यह अनुभव करता है कि उसके अंग लगभग कमजोर हो गए हैं, आदमी सप्ताह भर काम करते हैं। और एतवार को छुट्टी पाते हैं। उस दिन वह खूब शराब पीते हैं। सोमवार को वह काम करने के अयोग्य होते हैं। चिकित्सा-शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमने प्रायः देखा था कि अस्पताल में सोमवार के दिन डाक्टर पर बहुत कम विश्वास किया जा सकता है, जो आदमी शनिवार के दिन ८० प्रतिशत ठीक निशाना मार सकता है वही सोमवार के दिन केवल ७० प्रतिशत निशाना मार सकता है, जो कम्पोज़िटर शनिवार के दिन ८ स्टिक कम्पोज़िंग कर सकता है वह सोमवार के दिन केवल ६ ही स्टिक कम्पोज़िंग कर सकता है, जो व्यक्ति लम्बी कुदान में शनिवार के दिन १० फीट तक दूढ़ सकता है, वह सोमवार के दिन केवल ८ या ९ फीट ही दूढ़ सकता है, आश्चर्य की बात यह है कि सोमवार से मंगल तक तथा मंगल से बुध तथा वृहस्पति तक इन सब लोगों की कार्य शक्ति धीरे-धीरे बढ़ती रहती है, और वृहस्पति के शाम तक वे अपनी सामान्य कार्य-शक्ति व सफलता तक पहुँच जाते हैं। शुक्रवार के दिन वे पूर्ण रहते हैं, शनिवार के दिन भी वे वैसे ही रहते हैं। किन्तु फिर रविवार

मद्य-पान का दिन आता है, और सोमवार से एक क्षीणता प्रारम्भ होती है ।

इस प्रकार विनाश का चक्र तेजी से चलता रहता है, जब तक कि अन्त में कल इतनी अधिक टूट नहीं जाती कि फिर उसका उद्धार न हो सकता हो, मद्य-पान के विरुद्ध बात को अनेक रूप से समझाया जा सकता है ।

नैतिक रूप से विचार करने पर यह ईश्वर के विरुद्ध एक पाप है । सामाजिक रूप से विचार करने पर यह सभ्यता के ऊपर यह एक धब्बा है, दैहिक रूप से विचार करने पर यह हम लोगों के दैनिक कार्यों के करने में एक बाधा है, आश्चर्य की बात यही है कि यह सभ्य सरकार इतने समयों तक राजस्व के इस साधन को परिश्रम पूर्वक संचालित रखती आई है ।

जब मद्य पान का निषेध कर दिया जाता है तो सरकार को दी जाने वाली मद्रास प्रान्त की ही रकम चार चरोड़ बचा सकने में ही जनता समर्थ नहीं होती है, वल्कि उनका कुल सत्रह करोड़ रुपया बचता है जो मद्रास प्रान्त में खपत होने वाली खुद शराब की ही खपत है । इस प्रकार केवल मद्रास के ही सब जिलों में शराब-बन्दी जारी हो जाय तो लोगों को कुल २१ करोड़ रुपए की बचत हो जाय, इस तरह सरकार को राजस्व देने वालों की शक्ति इतनी बढ़ जाय और खुद सरकार के भी बहुत कुछ खर्चों की कमी हो जाय, लोग जो इस प्रकार सम्पन्न हो चुके रहेंगे सरकार और समाज की अनेक रूप से सहायता करेंगे, और शराबबन्दी का आन्दोलन सफल होने पर सब ओर सुख और सम्बृद्धि का नया युग स्थापित हो गया रहेगा ।

अध्याय १४

अस्पृश्यता-निवारण के लिये ऐतिहासिक अनशन

अस्पृश्यता-निवारण कोई नया विचार नहीं है, राजनैतिक कार्यक्रम के रचनात्मक कार्यों के तीन मुख्य विभागों में एक इसको माना जाना नई बात है, गाँधी जी के रचनात्मक सुधार का कोई भी विषय हाथ की कतार के पुनरुद्धार को छोड़कर नयी खोज नहीं है, किन्तु यह आर्थिक सामाजिक और नैतिक बातों का समुच्चय है, जिससे यह कार्यक्रम कुछ समय की खोज समझा जाता है, देश भर में तूफानी दौरों में गाँधी जी के पास पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए लोग पहुँचते रहे हैं। और भिन्न २ लोगों की मुसीबतें भिन्न २ प्रकार की पड़ी गईं, एक स्थान पर वेश्याओं ने उनकी सहायता चाही और दूसरे स्थान पर अछूतों ने, एक स्थान पर शराबी और ऐय्याश लोगों के असहाय परिवार सहायता माँगने आए और दूसरे स्थान पर निर्धन परिवारों के भूखे मरते हुए बच्चे हाथ पसारे आए। दाएं, बाएं, आगे, पीछे सब ओर विपत्तियों के दृश्य ने उन्हें निराशा में न डाला और न जगल में तपश्चर्या करने वा निष्क्रिय योग में लीन होने के लिए उन्हें प्रवृत्त किया, किन्तु महात्मा जी जिस प्रकार के मनुष्य हैं, रंग २ मनुष्य हैं, उन्होंने वेश्याओं और अछूतों, भूखे मरनेवालों, शराबियों, और ऐय्याशों को त्राण देने के मार्ग निकालने के लिए सोचना प्रारम्भ किया, उनके विचारों और अनुभवों से अनेक प्रकार के निवारक साधन और एक सूत्र में विकास का जन्म हुआ है, जिसको देश ने सर्वाङ्गीण रचनात्मक कार्यक्रम रूप में स्वीकार कर लिया है अस्पृश्यता-निवारण की उत्पत्ति इस प्रकार हुई।

पृष्ठ भूमि

लगभग एक शताब्दी पहले राजा राममोहन राय ने इस क्षेत्र में प्रयत्न किया, और उन्होंने जो झुंडा उठाया उसे उनके उत्तराधिकारियों ने आकाश में उड़ते ही रक्खा, विशेष कर उन लोगों ने जो ब्रह्म समाज के संचालक रहे हैं। कोड़ियो ऐसे दृष्टान्त हैं, जिसमें हरिजन बालिकाओं का उद्धार किया गया है। और हरिजन बालकों का पालन-पोषण किया गया है, ये दोनों ही ईमानदार नागरिक रूप में वयस्क हुए हैं। और सुखी तथा सुन्दर जीवन व्यतीत किया है, कोई भी बड़ा आन्दोलन पृष्ठ के बिना अकस्मात् उठ खड़ा नहीं होगा और भारत में एक शताब्दी पहले जब तब और जहाँ-तहाँ हुए, इन स्फुट उदाहरणों ने सामाजिक धार्मिक सुधार के एक कार्य-क्रम में कुछ योग दिया है, जिसे रामानुज ऐसे महात्माओं ने जन्म दिया था, यह सब बातें आधुनिक पीढ़ी की कीमती विरासत हैं। और गान्धी जी ऐसे नेता के लिए स्फूर्ति हैं, जिन्होंने एक सामाजिक राजनैतिक कार्य-क्रम को जन्म दिया है, जिसमें अछूत कहे जाने वाले वर्गों—जिनको उन्होंने हरिजन नाम दिया है, के सामाजिक और आर्थिक सुधार का महत्व-पूर्ण स्थान है।

सारे देश में एक उल्लेखनीय लहर प्रवाहित हो गई है, और यथार्थ में महत्व की बात केवल सफलताओं की सूची नहीं है, बल्कि उस भावना की है, जो कांग्रेस के नए कार्य-क्रम के परिणाम-स्वरूप हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गई है, सहायता की भावना तथा अवरणों के प्रति सबरों द्वारा अपने कर्तव्य की स्वीकृति ने अपना विस्तृत कार्य-क्षेत्र बना लिया है, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये छात्र-वृत्ति, उच्चम की शिक्षा देने वाली संस्थाएँ, जैसे जूता बनाना, सिलाई, चमड़ा कमाना, बढईगिरी, बुनाई, होम्यो-पैथिक, आयुर्वेद, चटाई बुनना, छापने का काम, ताड़ के काम, टीन

साजी, कसेरे (बर्तन जोड़ने) का काम, बाल पाठशाला, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, चिकित्सा के केन्द्र और हरिजनो के लिए चिकित्सा-शास्त्र की परीक्षाएँ, और उनके लिए नए कुएं खुदवाना, कारखाने, व्यापारिक गदियों और दूकानो तथा सवर्ण हिन्दुओ के घरों में हरिजनो को नौकरी देना तथा उन्हें अखबार बेचने वाले आदमियों का काम देना और उन्हें सवर्णों के लिए धोबी और नाई का काम करने की शिक्षा देना, हरिजन कामों में बैल भेजवाना, हरिजन मजदूरो, उनकी मजदूरी की वृद्धि तथा उनकी बस्तियों में पुस्तकालय अखाड़ा तथा सामाजिक संघों की स्थापना, हरिजन बच्चों में कपड़े बटवाना, तथा वयस्क हरिजनों में कम्बल बटवाना-ये सब कुछ देश-भक्ति और वास्तविक सेवा के कार्य हैं जो गान्धी जी द्वारा स्थापित हरिजनो में भारी संगठन द्वारा किए जा रहे हैं ।

इसके बाद कुछ प्राचीन प्रतिबन्ध हैं जिनके आधीन हरिजन पड़े हुए हैं । उदाहरणार्थ—गढ़वाले जिले में हरिजनो की वारात में डोली और पालकी ले चलने की मनाही है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट से उनके इस अधिकार के पक्ष में निर्णय किया गया है, मध्य देश में भंगियों को लारी हाकने वाले अपनी लारियाँ में नहीं बैठाते किन्तु शाजापुर के भंगियों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है यह सब कुछ कैसे हुआ है:— समाज सुधारकों के जहाँ-तहाँ के दृष्टान्तों द्वारा वा अर्थ-शास्त्र के आग्रहों द्वारा वा धर्म संस्थापकों के उपदेशों द्वारा नहीं हुआ बल्कि एक नेता के ऐतिहासिक अनशन द्वारा सारे देश में व्याप्त प्रबल शक्ति द्वारा हुआ जिसने अपने जीवन को नगरय समझा और बीस करोड़ भाइयों से चार करोड़ हरिजनो के पृथक् हो जाने को रोकने के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया ।

ऐतिहासिक अनशन

जब आज के राजनैतिक क्षेत्र में जगमगाते हुए पुरुष अपना कार्य-

कर चुके रहेंगे और लुप्त हो चुके रहेंगे तथा जब कि आज की राजनीतिक कल के इतिहास रूप में स्थापित हो रहेगी और भारतीय जनसंख्या के पंचमाश के एक लुप्त वर्ग माने जाने का विचार तक भूतकाल की विस्मृत परम्परा बन गया रहेगा तब २० सितम्बर का महात्मा जी का अनशन भविष्य में शताब्दियों तक बाद में आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में एक ऐतिहासिक घटना बना रहेगा जिसने राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए भारतीय आन्दोलन के पूर्ण रूप को ही परिवर्तित कर दिया। यह अनशन एक सामाजिक बुराई के राजनैतिक शोषण के विरुद्ध किया गया था जिसके लिए अल्प मत और बहुमत कही जाने वाली जनता के बीच एक स्थायी दीवाल खड़ी कर उन्हें पृथक २ कर देने का प्रयत्न किया गया था जिन्हें भगवान ने यथार्थ में विशाल हिन्दू जाति में संयुक्त कर दिया है हरिजनो को एक राजनैतिक दल में प्रथक २ करना “भेद डाल कर शासन करने” की नीति के प्रयोग का स्वाभाविक मार्ग था जिसने पहले मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग किया। बाद में सिक्खों को, उसके बाद हरिजनो को, इस राजनीतिक धूर्तता के काम में महात्मा जी को पूरा हिला दिया जो हरिजनो को एक पृथक रूप में किए जाना कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि “सिक्ख इस रूप में अनन्त काल तक रह सकते हैं। उसी प्रकार मुसलमान भी चिरस्थायी रूप से रह सकते हैं। मैं अस्पृश्यता के रहने की अपेक्षा हिन्दुत्व के लोप हो जाने को सहन कर सकता हूँ” दूसरे स्थान पर द्वितीय गोल मेज सभा के प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा था “मैं भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी अछूतों के मुख्य स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता।”

महात्मा जी का अनशन व्रत उसके उद्देश्य, हिन्दू समाज तथा स्वयम् मानव प्रकृति में तथा सरकारी हल्कों में पूर्ण विश्वास रख कर किया गया था जो उपवास उत्पत्ति में इतना निर्मल, अभिप्राय में इतना

सर्वाङ्गीण और लक्ष्य में इतना ऊँचा हो उसका सब प्रकार से विश्वास उत्पन्न कराने वाला अपने पक्ष में मिलाने वाला और विजय प्राप्त करने वाला आवश्यक था अन्यथा हम हरिजन-सेवक-संघ के १९३६ ई० के विशद विवरण का कारण क्या बता सकते हैं ? उस साल सभी प्रान्तों में व्यय हुए चार लाख रुपये में से एक लाख आठ हजार रुपया अकेले मद्रास प्रान्त में व्यय हुआ था । केन्द्रीय संगठन के आधीन सत्ताईस प्रान्तीय संघ और दो सौ जिला समितियाँ काम कर रही हैं ।

हम सब जगह हरिजनों की सभाएँ, हरिजनों में धार्मिक शिक्षा, मन्दिरों में हरिजन भजन मंडलियाँ, हरिजन संस्कारों में वैदिक अनुष्ठानों हरिजन केन्द्रों के नागरिक निरीक्षणों तथा उद्यम तथा उद्योग सम्बन्धी हरिजनों की संस्थाओं की बात सुनते हैं । देश में एक बिल्कुल नए वातावरण का संचार हो उठा है, हरिजन वर्ग के कल्याण के सम्बन्ध में एक नई उत्सुकता हो उठी है इस विस्तृत और विशाल हरिजन उद्धार के लिए सब से अधिक स्फूर्ति हरिजन आन्दोलन के लिए महात्मा जी द्वारा साबरमती आश्रम दिये जाने से उत्पन्न हुई थी वही एक संस्था थी जिसको महात्मा जी अपना कह सकते थे या लोग उसे महात्मा जी का कह सकते थे किन्तु उसके तोड़ देने पर यह महात्मा जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त रूप से कहा जा सकता है, कि “आसमान में उड़ने वाली चिड़ियों के घोसले होते हैं । और जगल में चरने वाले पशुओं के भी माँदे होती हैं । किन्तु मनुष्य के पुत्र को सचमुच ही स्थान नहीं होता जहाँ वह अपना सिर रखे ।”

एक नई सभ्यता

काठियावाड़ की अपनी एक यात्रा में मैं मोरवी राज्य में गया और एक हरिजन बाड़ा देखा जो दक्षिणी प्रान्तों के ब्राह्मण मन्दिरों के मुकाबिले का था, भाव नगर में मैंने एक भोजनालय और चमड़ा

कमाने का कारखाना देखा । पोर वन्दर मे एक सुन्दर हरिजन सस्था है प्रत्येक स्थान पर लोग अपनी हरिजन संस्थाओं मे यात्रियों को लिवाने जाने मे गर्व का अनुभव करते हैं । यह सभ्यता के नए चिन्ह, राष्ट्रीय जागृति के नए लक्षण और राष्ट्रीय पश्चात्ताप के वास्तविक प्रमाण हैं ।

समस्या

आज देश के सामने यह समस्या है कि क्या ग्रहण किया जाय और क्या त्याग किया जाय, भविष्य की समस्या केवल समाज-सुधार वा धार्मिक उन्माद नहीं है, अन्ध देश के हरिजन खेतो मे काम करने वाले मज़दूर हैं, जो सवर्ण जमींदारो के लिए खेत जोतते, बोते, काटते और खलिहान लगाते हैं—उनकी दशा बड़ी दयनीय है । स्पष्ट शब्दो मे कहने पर उन्हें आधा पेट खाकर रहने वाला कहा जायगा आज भी वे दूर रखे जाते हैं और महात्मा जी के हाल मे प्रयुक्त शब्दों के अनुसार उनसे बात-चीत के करने के स्थान पर उनके विषय मे ही अधिक बात-चीत की जाती है । बात की जगह उन्हे गाली ही सुनाई जाती है । वे अब भी अछूत ही समझे जाते हैं सिर्फ गर्दन दवाने और पीटने के समय ही उनका स्पर्श किया जाता है । उनके पास अधिकतया जमीन नहीं है और सुधार की पहिली योजना इन हरिजनों के समूहो की सहयोग के आधार पर जमीन देने की होनी चाहिए ताकि वे सहयोग समिति से पट्टे पर जमीन ले सके । जमीन का असली मालिक सहयोग समिति होनी चाहिए जिससे वे जमीन को साहूकार के हाथ मे न जाने दे ।

ऐसी योजना हम लोगो ने १९२१ ई० मे कृष्णा जिले मे बनाई थी किन्तु मद्रास सरकार के उस वक्त के मन्त्रि मडल ने इसका विध्वंस कर दिया । जो जमीन पहले के वर्षों मे अछूतों को दी गई थी उसमे से अधिकांश उनके हाथ से निकल गई है और सरकार इसमे कुछ दिल-

चस्पी नहीं रखती रही है। आज भारत में खेती करने वाली जमीन प्रति व्यक्ति आधे एकड़ हैं, और उनमें पैदा की हुई उपज लोगों की आवश्यकता के लिए काफी नहीं है। हरिजन किसानों को गावों में वास्तव में गुलामी में दिन बिताते कहा जा सकता है जहां जरायम पेशा कानून लागू है उन जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों में सिर्फ उनके शारीरिक हरकत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह बात नहीं है कि अपने मालिकों की नौकरी में खुश रहने वाले लोग नहीं हैं बल्कि जब कोई चारा नहीं होता तो अत्याचार की सहन शक्ति अर्थात् हो जाती है। बस्ती के बहुत बढ जाने पर भी यह अभागे लोग शताब्दियों से रहने की थोड़ी जगहों में ही रहते आ रहे हैं इसलिए गाव की बस्ती फैलाई जानी चाहिए। उसमें और जमीन मिलाई जानी चाहिए और जहाँ सम्भव हो सबकों के बीच में हरिजनों के रहने की सुविधा उत्पन्न की जानी चाहिए। पृथक घर उसी प्रकार बुरे हैं जैसे पृथक स्कूल, छात्रावास, तालाब, और कुएँ वा निर्वाचना-धिकार। वे वास्तव में अस्पृश्यता को प्रोत्साहित करते हैं और उसे समाज के स्थायी रूप की भाँति स्थिर बनाते हैं। इन लोगों द्वारा आर्थिक अवनति जैसी अनुभव की जाती है वह वर्णनातीत है। उनकी स्थिति में यह आदर्श वाक्य अन्य सभी की अपेक्षा अधिक लागू है “संसार के श्रम-जीवियों, मिल जाओ क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए ज़मीन छोड़ कर और कुछ भी नहीं है” एक गाव का हरिजन संसार में क्या चीज खो सकता है वास्तव में कुछ भी नहीं इसलिए जब कभी उसके पेट में आग लगती है वह डाका डालने वा अन्तिम साधन रूप में वगावत में भाग लेने में हिचकिचाहट नहीं करता।

एक राष्ट्रीय अन्याय का सुधार

अतएव हम लोगों का कर्तव्य हरिजनों को छूने से समाप्त नहीं हो

स्थित है उसमें सामाजिक व्यवस्था की विपमताएँ, और अन्याय दूर करने के लिए अनाथालयो, कुष्ठ-आश्रमों, असहाय अवालाश्रमों की स्थापना, वृद्धावस्था में सहायता पेशन की व्यवस्था, अस्पताल और निशुल्क पाठशालाओं का निर्माण, बीमारी, अशक्तता और दुर्घटनाओं के बीमे, वच्चा उत्पन्न होने पर माताओं की विशेष रूप से सहायता तथा निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाने का जिम्मा लेने की व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह सब दीवारों को सहारा देने वाली थूनी की तरह ही हैं जिनका निर्माण धनी और सम्पन्न लोग अपने सुचारु रूप से बने किन्तु तेजी से ढहते जाने वाले किल्लों की रक्षा करने के लिए किया है। ये कृपा-भाव दिखाने की भावना से किये हुए धर्मार्थ के काम हैं। किन्तु इन जमींदारों का धन गरीब किसान की मिहनत से पैदा होता है। व्यापारी की सम्पत्ति भूखों मरते हुये श्रमिक के उद्यम से जुटती है, महासागरों में अपनी जान को खतरे में डालने वाले खलासियों की मिहनत से ही जहाज का मालिक धनवान और अमीर बनता है। कारखानों में रात-दिन मरता हुआ शिल्पकार ही व्यवसायी को बणिकसम्राट बनाता है। इस प्रकार जमींदार, जहाजी व्यापारी सेठ साहूकार और बणिकसम्राट उन लोगों द्वारा ही बनाए जाते हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी कर अपना पसीना बहाते हैं और कुत्तों की तरह जिन्दगी बिताते हैं। इस पर समाजवादी स्वभावतया ही प्रश्न करता है कि यह हालत कितने दिनों तक बनी रहेगी? गरीब धनी के दिए सहायता र्थ टुकड़ों पर कब तक गुजारा करता रहेगा? श्रमिक कब तक अभागी जिन्दगी बिताता रहेगा जिसके न तो रहने का एक टूटा छुप्पर तक हो, न रोज एक वार नहाने धोने तक का सुभीता।

ये उचित प्रश्न है, किन्तु यह जब भारत में उठाए जाते हैं तो यद्यपि उनमें अटल जोर सा होता है तथापि उनमें एक निश्चित वास्तविकता नहीं होती। भारत में हम पश्चिम की नक़ल करते हैं, हम उसकी

जाता । इसलिए हमें एक पग और आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें एक परिवार के रूप में ग्रहण करना चाहिए तथा उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार करने का उपाय करना चाहिए । उनको अपने भाई-बहनों की तरह से समझिए और इस महान् राष्ट्रीय सेवा-कार्य में जुट जाइए । तब भारत की स्वाधीनता अन्य मार्गों की तरह शीघ्र ही प्राप्त होगी । महाराजा द्रावकोर और लाथी के राजा द्वारा किया गया उनके मन्दिर में प्रवेश कराने का महान सुधार भी आर्थिक क्षेत्र में उपेक्षा की न्यूनता पूरी नहीं कर सकता । हरिजन समस्या आत्म-सशोधन और साथ ही साथ सामाजिक सहायता की भावना का एक संयुक्त रूप है । यह इस रूप से बहुमुखी है कि इसके सम्बन्ध की समस्याएँ उतनी ही आर्थिक हैं जितनी सामाजिक, उतनी ही नैतिक हैं जितनी धार्मिक, इसलिए हमें इस राष्ट्रीय अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए और अपने भाइयों को अपने साथ नागरिक उन्नति और राजनीतिक स्वतंत्रता के ऊँचे दर्जे तक उठाना चाहिए । महात्मा गांधी कहते हैं कि “अस्पृश्यता-निवारण हृदय के परिवर्तन का विषय है हृदय का परिवर्तन धन के व्यय से नहीं होता वह चाहे जितनी चतुरता से किया गया हो परिवर्तन उस समय होगा जब हम लोगों के पास आत्म त्यागी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले कार्य-कर्ता होंगे । ऐसे व्यक्तियों के होने की ठोस जांच आर्थिक सहायता होगी क्योंकि हृदय के परिवर्तन का एक परिणाम हरिजनों में अन्वर्त कार्य होना चाहिए । पर्याप्त धन के बिना यह नहीं हो सकता । स्कूल और छात्रावास नहीं खोले जा सकते और न काफी धन के बिना कुत्ते ही खोदे जा सकते हैं इसलिए मैं आशा करता हूँ कि धनी और गरीब सभी द्वारा उनकी शक्ति के अनुसार यथेष्ट सहायता सघ को प्राप्त होगी ।”—

अध्याय १५

ग्रामीण जीवन में साम्प्रदायिक द्वेष गहरा नहीं है

जन-सम्पर्क कार्य-क्रम स्वागत योग्य आन्दोलन है ।

जो बात सबसे आसान मालूम पड़ती है, वही प्रायः पूरा करते-समय सबसे कठिन निकल आती है । ऐसी आशा की जा सकती थी कि इस राष्ट्रीय विचारों के युग में योरप मानव-जगत के लिए एक आदर्श रूप होगा, जहा विरोधी स्वार्थों का एक सामान्य एकता में सामजस्य होगा, और सभी विरोधी भावनाएँ शान्ति में लीन कर दी जायंगी । उस समय शेष संसार को अपनी २ सीमाओं के अन्दर इसी प्रकार की भावना स्थापित करने और संसार भर में राष्ट्रीयता की भावना स्थापित करने में कोई कठिनाई न होगी । तथापि आज हम देखते हैं कि हम लोगो का देश अलग २ टुकड़ों में कर दिया गया है । तथा भूभाग के अनेक टुकड़ों, जाति के अनेक भेदों, और स्वार्थों की अनेक प्रतिस्पर्द्धाओं में विभाजित कर दिया गया है । इसका कारण यह नहीं है कि वह अनिवार्य हैं बल्कि यह कारण है कि एक विदेशी सरकार—जो अपने निवास-स्थान से छः हजार मील दूर के एक देश पर अधिकार जमाए हुए है—का साम्राज्यवाद की खोज में अज्ञान रूप से अपनी शक्ति और स्थायित्ज की रक्षा करना आवश्यक है । आप भारत के गावों में चाहे जहा जाइए वहा आपको दो सम्प्रदायों के अनुयायियों के बीच सामाजिक वा धार्मिक भेद चाहे जो मिले किन्तु आर्थिक स्वार्थों की अभिन्नता तथा मुसलमान और हिन्दू तथा हिन्दुओं में ही सवर्ण और अवर्ण तथा सवर्णों में ही ऊंच और नीच

जातियो सरीखे विलकुल विरोधी सम्प्रदायो वा जातियो मे बन्धुत्व की वह भावना और आर्थिक स्वार्थों की अभिन्नता दिखाई पड़ना एक विचित्र दृश्य है जिसे देख कर उन लोगो के आश्चर्य हो सकता है जिन्हे इस प्राचीन देश मे यात्रा के लिए आने वाले योरोपियनों द्वारा बताया यह बात ही अपने गले से उतारने का अवसर मिलता है, कि भारत एक महादेश है जिसमे प्रतिस्पर्द्धी धर्म हैं, विरोधी स्वार्थ हैं और कलह-प्रिय विश्वास है। गावो मे हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से मिलते और परस्पर मित्रता रखते हैं उन्हे इस बात का विलकुल ध्यान नहीं होता कि एक की आस्था दूसरे की आस्था से विलकुल भिन्न है।

धर्म उनमे से सवके लिए व्यक्तिगत चीज है और उसका पालन प्रत्येक आस्था में निहित सिद्धांतो पर पूर्ण भक्ति रख कर किया जाता है तथा सामाजिक और आर्थिक मामलो मे ऐक्य का भाव रखा जाता है। यही नहीं, बल्कि लोगो मे स्वार्थों की अभिन्नता की भावना होती है, और लोग यह बात समझते हैं कि बाढ आने पर दोनों जातियो की समान रूप से ही भीषण हानि हो सकती है, तथा तूफान आने पर गाँव के सब लोगो की एक समान ही हानि हो सकती है। जाति, सम्प्रदाय, वा रंग का उसमे कोई भेद नहीं हो सकता, प्रकृति जब इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगो पर अपनी उदारता की देन वितरित करती है, वा ससार के राष्ट्रो पर विपत्तिया डालती है वा प्रलय उपस्थित करती हैं जिनमे उसकी उदारता की देन बिखरी रहती है, तो वह किसी प्रकार का भेद नहीं रखतीं, जब मनुष्य नागरिको के मध्य ऐसी कृत्रिम दीवाल खड़ी करते हो तो यह क्यों कहना चाहिए कि भारत मे आपस मे ही फूट हो।

आपस की फूट

भारत मे दो शताब्दियो तक अंग्रेजी शासन के बाद जिस मुख्य

चात से लोग प्रभावित हुए हैं वह यह है कि हम लोगों के राष्ट्र में आपस में ही फूट है। विदेशी शासन के द्वारा कृत्रिम उपायों से इस प्राचीन देश में जो भेद उत्पन्न कर दिये गए हैं उन पर अक्सर लोगों का ध्यान गया है, भारत का क्षेत्रफल में तृतीयांश और जन-संख्या में चतुर्थांश अलग कर देशी राज्यों के रूप में कर दिया गया है, जिनके लिए खूब विज्ञापन किया जाता है कि वे स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, ऐसे भू-भाग हैं जो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा सधि-पत्रों सनदों और राजीनामों के द्वारा निश्चित संधियों और मित्रता के सूत्र से बंधे हैं। यथार्थ में यह राजा सिर्फ कठ-पुतले हैं जो अपना राज्य ब्रिटेन के सम्राट की मर्जी पर ही पाए हुए हैं।

दूसरी ओर देश ग्यारह प्रान्तों में विभाजित किया गया है और बड़ी धूर्तता से मताधिकार देने और निर्वाचन सगठित करने के इस प्रकार प्रयत्न किए गए हैं जिससे जनता का सच्चा मत फूट न निकले। इस प्रकार देश को भू-भागों में विभाजित करने के बाद भारत को फिर जातियों में विभाजित किया गया है, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, हरिजन, इन सब का अलग निर्वाचन-क्षेत्र बना दिया गया है, और इनमें से हर एक, एक दूसरे के विरुद्ध भिड़ा दिये गए हैं, और प्रत्येक को मंत्रि-मंडल बनाने के समय एक दूसरे के विरुद्ध को अग्नी-अग्नी मागे सामने रखने के लिए उत्तेजित किया जाता है, फिर देश को देहाती और शहराती रूप में विभाजित किया गया है, अब यह सब लोगों को मालूम है कि भारत की सरकार देहाती क्षेत्र के हितों की अपेक्षा शहराती क्षेत्रों के हितों का किस प्रकार अधिक संरक्षण करती है, तथा किस प्रकार देहाती हलकों की अपेक्षा शहराती हलकों में टैक्स लगाने की माप नीची और हलकी रखी गई है।

कबूतर खाना

अन्ततः देश अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया

गया है, जिन्हे मैदानी और एजेन्सी हलका कहा जाता है, एजेन्सी हलकों में मुल्की स्वतंत्रता और मुल्की न्याय के कानून कायदे नहीं बर्ते जाते, वहाँ सक्षित रूप का कायदा कानून बरता जाता है, वहाँ पर के लोग कुछ हद तक निरकुश शासन के अधीन हैं, जो शायद एजेन्सी हल्को की अपेक्षा मैदानी हल्कों में बहुत अधिक क्षीण हो गया है। इनके अतिरिक्त बगीचा लगाने वालों का दल, पोरोपियन व्यापारिक स्वार्थों का दल, विश्व-विद्यालय तथा प्रत्येक जाति की स्त्रियों का एक पृथक क्षेत्र निर्वाचन में बना दिया है।

अतएव ये सब भेद भारत को एक प्रकार का कबूतर-खाना बना देते हैं जहाँ पर प्रत्येक खाने पर लेविल लगा दी जाती है और टिकट लगा कर वह अलग टुकड़ा बना दिया जाता है, इस तरह पैंतीस करोड़ आदमी छाट २ कर टुकड़ों में बाटे जाकर खानों में रख दिए गए हैं, ऐसे खाने जिनमें एक दूसरे में न हवा आ जा सके, न पानी आ जा सके, और न विचार आ जा सके—और उन्हें यह अनुभव करने के लिए यह उत्साहित किया जाता है कि वे विचार, भावनाओं, और आकाक्षाओं में एक दूसरे से विल्कुल पृथक हैं।

सांस्कृतिक चेतना

देश को विभिन्न टुकड़ों में बाँट देने के सन्बन्ध की यही उत्पत्ति कथा और कार्य-प्रणाली है, और तब हम लोगों से कहा जाता है कि यह देश एक राष्ट्र नहीं हो सकता क्योंकि लोग दो सौ भाषाएँ बोलते हैं, अनेक धर्मों के अनुयायी हैं और उनमें हजारों मत मतान्तर हैं। पवित्र रूप से कथित और छल पूर्वक अपने शासकों द्वारा प्रचारित इस वयान को हम लोग मानते आए हैं। और हम केवल मौन ही नहीं रहते आए हैं बल्कि हम इस आन्तरिक भेद की भावना के अधीन अपनी असहाय अवस्था भी अनुभव करते आए हैं। सचमुच ही इन भेदों का उस समय तक देश के राज-

नैतिक जीवन में कोई भाग नहीं था जब तक धारा-सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गौण रूप की थी। सन् १८९३ ई० में पहले पहल भारत की प्रांतीय और केन्द्रीय दोनों धारा-सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लिए जाने की व्यवस्था हुई। उस समय तक उसमें केवल नामज़द सरकार और गैर सरकारी सदस्य ही होते थे। किन्तु जब १८९३ ई० के निर्वाचित सदस्यों की संख्या (मद्रास में ७) बढ़ा कर २८ की जाने लगी तो साम्प्रदायिक चेतना जागृत हुई। वास्तव में यह एक मुख्य कारण था जिससे बंगाल को १९०५ ई० में दो प्रांतों में विभाजित किया गया और उस विभाजन से मुस्लिम चेतना पहले-पहल जागृत हुई। उस समय तक अंग्रेजों द्वारा हिन्दुओं को प्रश्रय दिया जाता था किन्तु जब उन्होंने देखा कि भारत में लाखों हिन्दुओं में राष्ट्रीय भावना व्याप्त होने लगी है तो प्रगति के पहिए में रोक लगाना सुरक्षित समझा गया और पूर्वी बंगाल में एक मुसलमानी प्रांत की स्थापना की गई। बंग-भंग के इस अन्याय का १९११ में सुधार किया गया, किन्तु जातियों के मस्तिष्क में यह पुष्ट भावना जागृत ही रही। एक बार जो कड़ुआहट पैदा कर दी गई थी वह लोगों के हृदय के क्रोध और प्रतिहिंसा की भावना की शह पाकर बढ़ने लगी और १९०८ में प्रारम्भ होने के बाद से हम हिन्दू मुसलमानों के झगड़ों का दृश्य देखते आ रहे हैं जो भारतीय शासन-प्रणाली के विकास के चित्र को धुधला कर रहे हैं।

एक दुःख-पूर्ण कहानी

फिर भी लोग समय पर ही जाग उठे और इस भूल का सुधार करने के लिए १९०६ में उपाय किया किन्तु सयुक्त निर्वाचन के स्थान पर १९१६ के लखनऊ के हिन्दू-मुसलिम सम्झौते में पृथक निर्वाचन के सम्झौते को मानना पड़ा जिसकी भावना एक बार जड़ जमा चुकी थी। उस समय

से पृथकता ही सब वार्तालापो का आधार बनती आई है किन्तु जब सन् १९२१ ई० में खिलाफत आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो कुछ समय के लिए सभी भेदों को भुला दिया गया यद्यपि खिलाफत के मिटने और खलीफा के अधिकारों को टर्की, खलीफाओं की जन्म-भूमि, द्वारा ही अस्वीकार कर दिए जाने पर एकता की यह भावना एकवारगी ही मिट गई और उसकी जगह परस्पर विद्वेष की गहरी भावना खूब जोर से उठ खड़ी हुई, जो एक प्रबल भावना के भार के नीचे दबा दी गई थी। १९२४ से हिन्दू मुसलमानों के भेद की दुःख पूर्ण कहानी अभी तक चली आ रही है कभी ज़ोरदार भगड़े के रूप में वह उठ जाती थी और कभी वह प्रतिस्पर्द्धा की दबी हुई भावना के रूप में रह जाती थी। किन्तु लोग सुगमतया यह बात देख सकने में समर्थ हुए कि यह प्रतिस्पर्द्धा, संघर्ष और भगड़े अगरेजी शिक्षित वर्ग द्वारा ही उत्पन्न किए गए थे जो अपनी निजी व्यक्तिगत उन्नति के लिए लड़ रहे थे, न कि पूर्ण जाति के राष्ट्रीय उत्थान के लिए। कांग्रेस १९३१ में ही इस मामले के सत्य को ही सरलतया समझ सकने में समर्थ हुई। दूसरी गोल मेज़ सभा से महात्मा गांधी ज्यों ही लौटे और कार्यकारिणी समिति के अपने सहयोगियों के सामने उन्होंने जो अपना पहला वयान दिया वह यह था कि भारतीय शासन-प्रणाली के सम्बन्ध की उन्नति या भविष्य में समझौते की बात हिन्दू-मुसलिम एकता पर आधारित होनी चाहिए और यह कि जहाँ वे गोलमेज़ सभा में अनेक मत-भेदों के लिए तैयार थे वहाँ वे उन दुःख-पूर्ण बातों को नहीं देखना चाहते थे जो उन्होंने लन्दन में एक ओर हिन्दू और मुसलमानों के बीच तथा दूसरी ओर कांग्रेस और नरम दल वालों के बीच देखा।

उन्होंने कहा कि एक वस्तु का दृश्य उसकी वास्तविकता से विलकुल भिन्न होता है, और यह कि कड़वाहट की वास्तविकता, द्वेष

और असम्भव भावनाएं जिस रूप में द्वितीय गोलमेज़ सभा में दिखलाई गईं उन्होंने देश की आख खोल कर यह महत्वपूर्ण बात बतला दी कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य के आगे वर्तमान को दवा सकते हैं तथा साम्प्रदायिक बातों के आगे राष्ट्रीय बातों को तुच्छ समझ सकते हैं और सुविधा-जनक बातों के आगे सिद्धांत को धता बता सकते हैं।

जन-सम्पर्क

इसके अनुसार एक नए आन्दोलन का सूत्रपात हुआ है जिससे जनता से कांग्रेस का सम्पर्क स्थापित किया जा सके। कांग्रेस पहले उच्च वर्ग के आन्दोलन रूप में स्थापित हुई थी जो निस्सन्देह नीचे के वर्गों और देहाती जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन इस महान आन्दोलन के जन्म-काल ही से कर रहे थे। किन्तु यह मध्य श्रेणी के लोगों का आन्दोलन हो गया जिसमें कुछ अंग्रेजी शिक्षित लोग सम्मिलित थे और अन्त में १९२१ ई० में यह जनता का आन्दोलन हो गया। जब से कि महात्मा गांधी का राजनैतिक क्षेत्र में आगमन हुआ है। फिर भी इसमें कुछ भूलें थीं और यह कमी थी कि एक सड़क पर का मामूली आदमी कांग्रेस में राष्ट्रीय महा सभा के अखण्ड बुद्धिमान और मुख्य रूप से सहायक रूप में ग्रहण नहीं कर लिया जाता था किन्तु जन-सम्पर्क बढ़ाने का कार्य बड़ी तत्परता से किया जा रहा है। जन-सम्पर्क में हिन्दू और मुसलमान जनता दोनों सम्मिलित हैं इसलिए उस शब्द में मुसलमान जनता के साथ सम्पर्क बढ़ाने की भावना भी निहित है। इस प्रकार हिन्दू-मुसलमान समझौते का गुस्त्व केन्द्र सुसंस्कृत और अंग्रेजी शिक्षित मुसलमान जनता से हटकर विशाल निष्कपट मुसलमान जनता पर चला गया है, जो कस्बों और गावों में रहती हैं और पारश्रम के क्षेत्र में अपने हिन्दू भाइयों से मिल-जुल कर रहती है।

यह कुछ अश तक आशा-जनक सिद्ध हुआ है। हम आशा से परे आशा-जनक नहीं कहते, क्योंकि यह आशा बराबर की जाती थी कि देहाती कृषक और उद्योग-धन्धों के जीवन की निचली तह में अधिक गहराई में हिन्दू मुसलमानों के बीच विरोध भावना नहीं है। शीघ्र ही हम आशा कर सकते हैं कि मुसलमान जनता राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिक सम्पर्क में आएगी और इस सस्था को देश के भिन्न-भिन्न स्वार्थों का वास्तव में उससे भी बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली बनाएगी जितना कदाचित आज कर रही है। जब वह निकट भविष्य की ही दैवी घड़ी आ पहुँची रहेगी तब हम अच्छी तरह कह सकेंगे कि भारत अपने पुरुषत्व को पुनः प्राप्त कर चुका रहेगा और अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार जता सकने में ऐसे ढङ्ग से समर्थ होगा जो भीख मागने की नीति न होगी, रुक २ कर चालों की न होगी, उन काम में आने वाले सुधारों के कार्य-क्रम द्वारा भी न होगी जिसे इसने रद्द कर देने का निश्चय किया है बल्कि विदेशी शासकों को पुकार कर कहेगी कि खड़े हो और माल-मता को उचित मालिकों, हिन्दुओं मुसलमानों, सिक्खों, पारसियों, ईसाइयों, और हरिजनो के हवाले करो जो एक ही भारतीय नाम से पुकारे जायेंगे।

अध्याय १६

राष्ट्रीय शिक्षा

राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय कार्य-क्रम में १९०५ ई० में ही जिस विषय को महत्वपूर्ण स्थान दिया वह राष्ट्रीय शिक्षा थी जिसका अर्थ “राष्ट्रीय भाग्य-निर्माण की ओर निर्देशित, राष्ट्रीय नियंत्रण में, राष्ट्रीय ढङ्ग से दी हुई शिक्षा” थी। यह परिभाषा थी जिसे कांग्रेस ने कलकत्ता में १९०६ के कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में स्वीकार किया। पूर्वी बंगाल में हाई स्कूल खुले, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में राष्ट्रीय सस्थाएँ खुलीं। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए देश भर में सस्थाओं का जाल बिछ गया। ये संस्थाएँ विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं थीं और न इन्हें उस समय की सरकार ही मान्य करती थी। इस आन्दोलन के इतिहास में १९०७ तक बीच में शिथिलता आ गई जब कि एनी बीसेन्ट के अभ्युदय ने इस आन्दोलन में जान डाला। एक बार फिर सोसाइटी फार दी प्रोमोशन आफ नेशनल एजुकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति) नाम की एक समिति की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा का झंडा ऊंचा किया गया और इस समिति में बहुत से नवयुवक जुटे। यह आन्दोलन १९१९ में शिथिल हो गया। १९२१ ई० में असहयोग आन्दोलन के जन्म ने इस आन्दोलन को पुनर्जन्म दिया। तिरहे बहिष्कार आन्दोलन में स्कूल और कालेजों का बहिष्कार भी एक होने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा का फिर जोर हुआ।

उस समय से देश में महान परिवर्तन उपस्थित हुए हैं। प्रान्तों में

समाजवाद का कार्य-क्षेत्र और दृष्टिकोण

भयानक व्याधियों का अनुकरण करते हैं और उसके लिए बेकार दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। भारत का हर एक उथल-पथल इंग्लैंड में पहले हुए किसी उथल-पथल का पुराना निष्फल अनुकरण मात्र होता है। इंग्लैंड में औद्योगिक युग अठारहवीं सदी के अन्त में प्रारम्भ हुआ। थोड़े ही समय में अर्थशास्त्र राजनीति के एक मुख्य अंग के रूप में विकसित हुआ। जहाँ यह पहले राजनीतिक प्रभाव का स्रोत मात्र था वहाँ यह राजनीतिक विषय रूप में बदल गया। इंग्लैंड में इस राजनीतिक आर्थिक उथल-पथल की प्रमुख उल्लेखनीय घटनाएँ हैं, और एक विचित्र संयोग से हम यह देखते हैं कि उसी के साथ भारत में भी उनके प्रतिबिम्ब रूप में घटनाएँ हुईं पाई जाती हैं। उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड में उदार दल वालों अर्थात् बेरोक व्यापार के हिमायती लोगों का जन्म हुआ। इस तरह राजनीतिक शब्द-रचना का सीधे आर्थिक विषय से संबंध हुआ। औद्योगिकता की जब शीघ्र उन्नति हुई तो मध्य श्रेणी के लोगों का प्रभाव बढ़ा और वे मामूली दूकानदार की जगह भारी आड़तिए बन गए। उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया, एक राजनीतिक दल स्थापित किया और सन् १८३२ ई० में मताधिकार का काफी अधिक विस्तार कराया। उसी साल भारत के लिए 'चार्टर ऐक्ट आफ इंडिया' कानून पास हुआ जिसके अनुसार इस देश में भारतीयों और योरोपीयों को बराबर अधिकार मिले। सन् १८५७ ई० में इंग्लैंड के श्रमिक दल ने किसी प्रकार व्यावसायिक केन्द्रों में मताधिकार की मांग पेश की। भारत में १८५७ ई० में लोगों ने विदेशी शासन का जुआ अपने कंधों से फेंकने की कोशिश की और उसमें असफल होने पर उस जुए को पहले से भी भारी बना लिया। दूसरी किश्त की बारी १८८४ ई० में आई जब इंग्लैंड के खेतिहार मजदूरों ने नागरिक अधिकार प्राप्त किए। भारत में १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का जन्म

नया शासन विधान स्थापित होने से कांग्रेस ने नौ प्रान्तों में मंत्रि-मंडल बना लिया था, जिससे उनके हाथ में उतनी शक्ति आ गई थी जो कुछ शासन-विधान द्वारा प्रान्तीय सरकारों को मिली थी। उस समय प्रश्न होने लगा था कि अब राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ क्या है, और कांग्रेसी मंत्रियों के होने पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न उठाने का क्या अभिप्राय हो सकता था। बात ठीक थी। किन्तु मंत्रियों का अधिकार सीमित था। मंत्री केवल दफ्तर में बैठते थे। उन्हें पूरा अधिकार नहीं था। वास्तविक अधिकार विभागों के प्रधानों के हाथ में था जो पूरी तरह वा आशिक रूप से अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं थे, और न उन मनोवैगों तथा स्फूर्तियों में भाग लेते थे, जिनसे मंत्री अनु-प्रेरित हो रहे थे। हम उस समय भी उस घोड़े की तरह घूम रहे थे जो एक गोलाई में फेरा लगाता हो लेकिन एक कदम भी आगे न जाता हो। मंत्री प्रारम्भ से लेकर स्कूल के अन्त तक मातृ-भाषा द्वारा शिक्षण की व्यवस्था करने में समर्थ न हो सके, परीक्षाओं के लिए चाह उतनी ही बनी रही। केवल किताबी शिक्षा की उत्कठा पहले की ही तरह बनी रही जो हमें कहीं भी नहीं पहुँचाती, और युवकों को केवल बेकारी के लिए प्रमाण-पत्र देती है, और जो उस पवित्र विश्वास के साथ प्राप्त की जा रही है जिसका उपयोग किसी ऊँचे उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और इसी शिक्षा के पीछे अध्यापक, शिष्य, तथा माता-पिता मतवाले हो रहे हैं।

जान बूझ कर बहुत खर्च कर बेकारी उत्पन्न कर हम जोर शोर से शोर मचाते हैं कि देश बेकारी से तबाह हो रहा है। नवयुवक के हृदय का अकर्षण आज विश्व-विद्यालयों की शिक्षा की ओर है जो उद्योग-धधा, शिल्प वा व्यापार की तरफ होना चाहिए जिससे वे प्रतिष्ठा-पूर्वक जीवन-निर्वाह कर सकें। किन्तु फिर प्रश्न उठता है कि कौन से उद्योग, पेशे वा व्यापार के लिए बच्चों को तैयार किया जाय।

अंततः देश के युवकों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा की यही समस्या है जिस प्रकार देश के नागरिकों के लिये राष्ट्रोद्धार की समस्या है। जब तक पूर्ण स्वतंत्रता न प्राप्त हो, तब तक राष्ट्रीय समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापारिक, औद्योगिक और शिल्प विज्ञान संबंधी विशेष सुविधाओं के उपयोग का पूर्ण क्षेत्र नहीं मिल सकता दूसरे शब्दों में जब तक देश औद्योगिक और व्यापारिक संरक्षणों के बिना पूर्ण स्वशासित नहीं हो जाता, जब तक भारत में पूर्ण स्वराज्य नहीं स्थापित हो जाता तब तक भारत की सम्पत्ति के संचय और देश के कल्याण की वृद्धि की समस्याएं जो राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य हैं, लाभप्रद रूप में सब रूपों में सुलभाई नहीं जा सकतीं।

फिर भी हमारे उद्योग एक साथ ही ऐसे होने चाहिए जिसमें एक ओर विदेशी शासन के जुए से देश का उद्धार करने का प्रयत्न किया जाय और दूसरी ओर विदेशी व्यापार और विदेशी उद्योग-धंधे के बंधन को काटा जाय। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमें अपने युवकों के हृदय में ऐसी संस्कृति की उत्कंठा उत्पन्न करनी चाहिये जो देशी हो तथा ऐसी कला और शिल्प का प्रेम उत्पन्न करना चाहिये जो देश के वैभव की वृद्धि करने में सहायक हो। यही राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या की कुन्जी है। भारत के ब्रिटेन द्वारा आधिपत्य में वास्तविक बखेड़ा यही है जो केवल राजनीतिक ही नहीं है बल्कि व्यापारिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। यह अंग्रेजों के लाभ की बात थी कि नवयुवक हृदय को अपने नमूने के साचे में ढाला और ब्रिटिश-पक्षपाती ढंग के नमूने तैयार किये।

इस दृष्टि से देश के युवकों को अंग्रेजी की शिक्षा, अंग्रेजी उपाधि पत्र, प्रशंसापत्र, पदवी, उच्च पद, और पेशनों में खुश रहना सिखाया गया है। उन्हें अंग्रेजी भाषा में ही बात-चीत करने, घर पर अंग्रेजी में ही चिट्ठी लिखने और विवाह का निमंत्रण-पत्र भी अंग्रेजी में भेजने

मे प्रसन्नता का अनुभव करना भी सिखाया गया है। विजेताओं की भाषा की इस चाह ने—वह भाषा जो कालेजों और धारा-सभाओं में प्रयुक्त होती है, तथा जिस भाषा में सभी सरकारी नियमों, उप-नियमों और अस्थायी नियमों के आज्ञा-पत्र निकलते हैं तथा एक दूसरे से बात-चीत भी अंग्रेजी में ही करने के प्रचंड उत्साह ने सभी श्रेणी और वर्ग के लोगो पर अपना अधिकार जमा लिया है और वह सस्कृति का चिन्ह तथा पहचान मानी जाने लगी है। अपने मित्रों को धारा-सभाओं, कचहरियों और कालेजों में अपनी मातृ-भाषा में बात-चीत करने के लिए प्रेरित कर सकना हम लोगों के लिए कठिन हो रहा है। हम लोग इस बात के लिये दलील देते रहे हैं कि विश्व-विद्यालयों की शिक्षा मातृ भाषा के माध्यम द्वारा हो सकती है, तथा प्रान्तों का विभाजन भाषा के अनुसार होना चाहिये, तथा कचहरियों की कार्यवाही मुवकिलों की समझ में आने वाली भाषा में होने से देश में न्याय की व्यवस्था अधिक सुचारु रूप से हो सकती है। यह बात हम लोगों को अखरती नहीं कि इन कामों में विदेशी भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है।

जहा तक भाषा का संबंध है वहा पर जहा ऐसी स्थिति है, वहाँ सस्कृति के क्षेत्र में स्थिति और भी खराब है। हमें यह विश्वास करने की शिक्षा दी गई है कि हमारे देश में चित्र कला नहीं थी, कला का अस्तित्व नहीं था तथा ज्ञान पश्चिम से ही प्राप्त हो सकता है, पूर्व से नहीं। यथार्थवादी शैली में वस्तुओं के अंकित करने की प्रवृत्ति आध्यात्मिक कला की प्रवृत्ति को निस्तेज कर रही है। देश में स्थापत्य में भारी परिवर्तन हुआ है। जिस प्राचीन शैली ने जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, आगरा, बीजापुर, औरंगाबाद, तजौर और मदुरा सरीखे नगरों को सौन्दर्य प्रदान करने में योग दिया था, उसका लोप हो गया है, और उसे तुच्छ समझा जाता है। प्राचीन मंदिरों के स्थापत्य,

तत्क्षण शिल्प और चित्र कला का अध्ययन नहीं किया जाता । बल्कि उनकी उपेक्षा की जाती है । काग्रेसी मंत्रियों ने भी इन तत्क्षण शिल्पों के प्रचार के लिए पाच हजार रुपये तक भी व्यय करना उचित नहीं समझा । तंजौर के पुस्तकालय में जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो शताब्दियों की उपेक्षा के पश्चात् विनष्ट होते जा सकते हैं, उनका कब पुनरुद्धार होगा, इसका कुछ पता नहीं । इन सब पाण्डुलिपियों की शुद्ध प्रतिलिपि करने में भारी और प्रबल उद्योग की आवश्यकता होगी जिससे गलते हुए कागज और ताड़ पत्रों का कूड़ा दिखाई पड़ने वाली हस्तलिखित पुस्तकों में छिपे हुए ज्ञान-भंडार को जनता तक पहुँचाया जा सके ।

आप जहा भी जाइए आपको प्राचीन शिल्प की श्रेष्ठता और गौरव-समय वा विदेशियों के कला-साहित्य के विन्वस-कार्य से अन्तुर्ण और अप्रभावित मिलेगी । हम कहा से प्रारम्भ करेंगे ? इन अद्भुत कार्यों का अध्ययन कहा समाप्त करेंगे ? प्राचीन आदर्शवाद की ये विशाल कीर्ति-स्तम्भ जो पत्थर और ईंटों के बने हुये हैं, शताब्दियों अनवरत परिश्रम कर निर्मित किये गये हैं । कुलशेखर मडप से और त्रिवेन्द्रम के मंदिरों की छतों में बने हुए अब धुँधले मात्र बचे हुये चित्रों से प्रारम्भ कर मदुरा के विशाल स्थापत्य और तंजौर के अपूर्व कमनीय भास्कर शिल्प को देख कर और वहा से देलीवीडी और वेलूर जाकर जहा पत्थर का काम देश की एक महान विस्मयजनक वस्तु है, भोज-दोन के सोने चादी के तार के वारीक कामों की याद कर और तंजौर, मैसूर, लेपाक्षी, वेलूर तथा हैलीवीडी में बने भव्य नन्दी का तुलनात्मक अध्ययन कर हम चकित हो जाते हैं कि इन कामों को पूरा करने में कितना समय लगा होगा और उनके बनवाने में कितना अधिक धन व्यय हुआ होगा ।

लेपाक्षी में मंदिर की छत भव्य चित्रकारी से भरी है जो चार या

पांच सौ वर्ष पुरानी हो जाने पर भी अच्युत रूप से संरक्षित हैं और जिनमें राजाओं और संतों के जीवन के अत्यधिक प्रभावशाली दृश्य रंग और रूप में अंकित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त लेपाक्षी के स्तम्भ वास्तु कला के अलौकिक नमूने हैं जो विशाल आकार के हैं और जमीन पर के नाचते हुए खंभों पर आधारित हुए बिना ही छत से लटके हुए हैं। ताड़पत्री और पेनुगोंडा मंदिरों से भरे हुए हैं जो उस परिश्रम और व्यय के प्रमाण हैं जो किसी समय कला और स्थापत्य में अवश्य ही लगाया गया होगा और वे अपेक्षाकृत उस विध्वंस का भी परिचय देते हैं जिसमें वे आज के अधिकारियों द्वारा असभ्य उपेक्षा के कारण हाल के समय में पड़े हुए हैं। कल्पना का साहस, कार्य-निर्वाह की विशदता, तथा सूक्ष्म रचना का गभीर प्रेम और कारीगरी की सर्वोच्च पवित्रता, शक्ति और व्यंजकता, स्थापत्य संबंधी सौन्दर्य के साथ वैज्ञानिक कौतूहल का संयोग तथा मंदिरों के मानव नेत्रों को सूझन पड़ सकने वाले अत्यधिक अंधेरे कोनों में अत्यधिक भव्य चित्रकला और भास्कर शिल्प के लिए इन विभिन्न संस्थाओं को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है।

वेलूर और हैलिवीडी में मंडपों के प्रस्तर-स्तम्भों को केवल एक भीगे कपड़े से गीलाकर देने की आवश्यकता है जिससे वे चारों ओर की वस्तुओं की प्रतिबिम्बित (reflected) और विवर्तित (refracted) करने का अत्यधिक विचित्र दृश्य उपस्थित करती हैं। एक में का देखा हुआ प्रतिबिम्ब (reflection) और विवर्तन (refraction) दूसरे में देखे हुए से बिलकुल ही भिन्न होता है। मंदिर के अंदर, जो घना अधकारमय है, विदर्भ स्वामी की मूर्ति एक बहुत प्रचंड विजली बत्ती के प्रकाश में ही देखी जा सकती है, वह भी केवल कुछ भाग ही, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह ३० फीट लंबी है। पश्चिम की ओर बढ़ते जाने पर हम वीजापुर पहुँचते हैं

जहाँ पर मनोहर गुम्बज तथा मन्दस्वर ने वार्तालाप करने वाला छज्जा है और बादामी और उदवल्ली की गुफाओं में पहुँचते हैं जिनका हाल में ही अनुसंधान हुआ है। हैदराबाद में वारगल के मंदिर का भव्य स्थापत्य और एलौरा तथा अजंता की गुफाएँ तथा रचना जिन के आधिपत्य का सौभाग्य निजाम सरकार को प्राप्त है तथा सब के अतिरिक्त एलीफंटा की गुफाएँ जिनका सौष्ठव कल्पनातीत है, दर्शनीय हैं अजंता की २७ गुफाओं पर विचार कीजिए जिनके तैयार करने में शताब्दियाँ लगी होंगी, और बताइये कि कौन कल्पना कर सकता है कि इनके निर्माण में कितना धन व्यय किया गया होगा ! धन का विचार नहीं रखा जाता था। उस सेवा-कार्य की कल्पना कीजिए जो इसमें लगाया गया होगा। कलाकार और शिल्पकार योजनाओं और तयमीनों, टेंडर और ठेकों, तथा रुपये के निश्चित पावने और निश्चित समय में काम कर देने की प्रतिभा द्वारा अपना कार्य नहीं करते थे। वे अपनी आत्मा को संगीत, पत्थर और रंग में उल्लेख देते थे और तब अपने कार्य को पूर्ति में आसद का अनुभव करते थे। वे प्राचीन काल में अपनी निजी आत्मानुभूति लक्ष्य रखते थे, न कि धन संग्रह करने का शान विक्रय की सामग्री नहीं था। पुस्तकें व्यापार की सामग्री नहीं थीं। सत्कृति और विद्वत्ता की प्राप्ति के लिए धन की प्राप्ति आकर्षण नहीं था।

हैं बल्कि अलौकिक हैं। अंत में आगरा और दिल्ली के महलों की शोभा के पास पहुँचते हैं। ताज महल की भव्यता, रुचि की कमनीयता, सूक्ष्म रचना की सावधानी, उसमें लगे हुए श्रम और उसके मूल में स्थिति कल्पना इसके रहस्यों का उद्घाटन करने के सभी प्रयासों को विचलित कर देती है। इस का प्रतिद्वन्दी हमें केवल अजंता में मिल सकता है, जो विस्तृत घुमावों और दीर्घ मेहरावों सहित निर्मित किया गया है और जिसकी शोभा और विस्तार का देश भर में कहीं जोड़ नहीं है। पूर्व की ओर जाने पर हम जगन्नाथ, भुवनेश्वर और कनरक के मंदिरों को देखते हैं जो अपने ही अनुरूप हैं।

इस विद्या का किस प्रकार जन्म हुआ था ? इन सब की प्रेरणा कहा से मिलती थी ? वे विद्वान कहा हैं जिन्होंने इनकी योजना तैयार की, वे शिल्पकार कहा हैं जिन्होंने इन योजनाओं को कार्यान्वित किया ? इन सब बातों का अध्ययन यथार्थ राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य-क्रम का विषय है। यही अद्भुत बातें हम चिकित्सा, चित्रकला, काव्य और नाटक के क्षेत्र में देखते हैं, हम लोगो की नाट्य कला अंग्रेजी नाट्य कला की अपेक्षा कम से कम आठ सौ वर्ष पुरानी है। चिकित्सा और शल्य विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले इतनी अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी जितनी पाश्चात्य विद्वानों और वैज्ञानिकों को केवल छः दशक पहले प्राप्त किया है। वास्तु-विद्या, चिकित्सा, कानून तथा साहित्य के इन विभिन्न विभागों की कला और विज्ञान के रहस्यों का हमें उद्घाटन करना पड़ेगा। यही वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा होगी। राष्ट्रीय विद्यापीठ के स्नातको के रूप में जीवन में हम लोगों का कर्त्तव्य केवल उन धंधों का करना नहीं होगा, जिन के लिए हमने प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, बल्कि ज्ञान और विद्या के उन क्षेत्रों का अनुसंधान करना होगा जिन्होंने प्राचीन काल में बहुत उच्च कोटि की श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। किन्तु कुछ ही शताब्दियों पहले जिन की उन्नति अवरुद्ध

हो गई, विदेशी आधिपत्य के अन्दर कोई देश राजकीय व सरकारी संरक्षण के अभाव के कारण संस्कृति और सामाजिक नियम की कला और नागरिक सस्थाओं के क्षेत्र में उतना ही अवनत होता है जितना विशुद्ध राजनीति के क्षेत्र में ।

राजा केवल ऐश्वर्य और भोग विलास की प्रतिमूर्ति नहीं होता । और न कानून तथा व्यवस्था के लिए साधन मात्र होता है । बल्कि समाज का प्रधान होता है । तथा प्रथा और परम्परा पर आधारित मामलों पर लोगों का उपदेशक तथा परामर्शदाता होता है । जहा पर प्रथाए अटल हो जाती हैं और स्थिर तथा अपरिवर्तनीय व्यवहार के रूप में स्थापित हो जाती हैं वहाँ उन्नति रुक जाती है । विदेशी शासकों के आधीन केवल प्रथानुसार कानून में ही यह बाधा नहीं उठानी पड़ी है बल्कि समाज की परम्परा और अधिकार में हस्तक्षेप करने की शासकों की अनिच्छा के कारण अनेक सामाजिक मामलों में भी उठानी पड़ी है यदि लोकमत की प्राचीन प्रतिमूर्ति के अस्तित्व का विलकुल लोप नहीं हो गया है तो कम से कम वह भूतकाल का केवल चिन्ह अवश्य रह गई है, इस प्रकार प्रथा निर्जीव बन गई है । और ज्ञान तथा विद्वत्ता गतहीन हो गए हैं, विदेशी सभ्यता के आगमन से केवल नई नफासत और नई शैलिया नही प्रचलित होती हैं बल्कि प्राचीन ज्ञान उपहास की वस्तु बन जाता है । और वह पद्मपात तथा अश्वगुण तक का शिकार बना दिया जाता है । ज्ञान, विद्वत्ता तथा गवेषणा की धाराओं के साथ जो नाला शताब्दियों तक बहता आ रहा होता है उसके प्रतिरोधी और प्रतिकूल धाराओं के प्रवाह से टक्कर खाने के कारण उसमें अचानक बाधा उपस्थित होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनकी प्रगति ही नहीं रुक जाती बल्कि वे सूख जाते हैं और वर्षों की जमा मैल और कूड़े करकट से भर जाते हैं । ऐसी परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य यह है कि हम कूड़ा-करकट उखाड़ फेंके और यह पता लगावें कि प्राचीन

अध्याय १७

ग्रामोद्धार

यह क्या है, क्या नहीं है ?

ग्राम-सुधार के प्रेमी उत्साही नवयुवक प्रायः ग्रामोद्धार की समस्याओं के संबंध में सलाह और तर्जवीज पूछते हैं। इस समस्या का रूप और उसकी स्थिति ऐसी बातें हैं जिनका गभीरता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है जिससे इसके हल के सिद्धान्त ठीक रूप से उसी प्रकार ग्रहण किए जा सकें जिस प्रकार ठीक तरह इलाज करने के लिए रोग की जड़ पकड़ी जाती है।

हम लोगों के गावों में क्या खराबी आ गई है ? निश्चय ही आज गाव के लोगों को दुनिया का पता अधिक रहता है, अच्छा पहनते हैं और राष्ट्रीय सवध की समस्याओं पर अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक योग्यता से बात-चीत और तर्क कर सकते हैं। फिर भी यह सब जगह आवाज उठ रही है कि ग्राम-सुधार एक अलग ही समस्या है, और इसके अनेक पहलुओं का अध्ययन करना चाहिये और उसको हल करना चाहिये जिससे राष्ट्रीय जीवन की यथार्थ रूप से और ठीक तरह नींव डाली जा सके। जान और सावधानी, विश्लेषण तथा विवेचना के लिए यह माग एक पीढ़ी पहले गैरसरकारी राजनीतिज्ञों द्वारा उत्पन्न हुई थी, इसमें बाद में सहयोग आन्दोलन के नेताओं ने भाग लिया और उसके बाद कुछ उत्साही सरकारी अफसरों ने इस पर जोर दिया।

प्रान्तीय सरकारों मे कांग्रेस मंत्रिमंडलों के स्थापित होने पर ग्रामो-द्धार और उसकी समस्याएं विशेष रूप से सामने आईं । लोगों ने तरह तरह की योजनाओं का प्रस्ताव करना प्रारम्भ किया । सहगामी धंधे जैसे मुर्गी पालना, शहद की मक्खी पालना, शिल्प जीवन की उन्नति, विशेष कर कताई और बुनाई, कलों का लोप जिससे हाथ से चावल की कुटाई, कोल्हू से तेल पेरने, गुड़ बनाने, हाथ से कागज बनाने, हाथ से आटा पीसने इन सब बातों की ओर लोगों का ध्यान गया । कुछ अधिक नरम विचार के लोगों की पुकार यह हुई कि खेती के लिए अच्छा बीज, अच्छी खाद, खेती की उपज की बिक्री का अच्छा प्रबंध और अधिक कीमत होनी चाहिये । सरकारी विभागों ने लोक-शिक्षा और प्रचार के लिये जिन बातों को उठाया, वे हैं मैजिक लैंटर्न द्वारा लोक-प्रिय शिक्षा, ध्वनि-क्षेपण (ब्राडकास्टिंग) द्वारा विचारों का तीव्रता से प्रसार, सिनेमा द्वारा उन्नति का दृश्य-प्रदर्शन, चलते-फिरते व्याख्यान, चलती-फिरती दूकानें और विश-सियों की भरमार ।

इस प्रकार विचित्र प्रकार के विचारों और आदर्शों के बीच युवक प्रचारक और वयस्क उत्साही व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं और कोई मार्ग ढूँढ़ नहीं पाते और यह नहीं तै कर पाते कि ग्राम-सुधार के उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा काम पहले हाथ में ले । इस लिए यह उचित है कि सम्पूर्ण समस्या की सभी जटिल-ताओं पर विचार किया जाय और एक सरल सिद्धान्त निकाला जाय जिसके द्वारा हमें उन गुत्थियों को सुलभाने में सहायता मिले जिनमें गांव के लोग और उनकी बाते उलभ गई हैं ।

हम इस प्रश्न को फिर दुहराते हैं कि हम लोगो के गावों में क्या खराबी आ गई है । इसका जवाब चाहे जो हो, वह निश्चय ही सर्वांगीण होना चाहिए जिसमे ग्राम जीवन का पूर्ण रूप से विवेचन

हुआ। सन् १९१७ ई० में रूस ने सोवियट प्रजातंत्र स्थापित किया। भारत में उसी वर्ष होम रूल (स्वशासन) आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और सन् १९२१ ई० में इसने तेज़ी से स्वराज्य की मांग पेश की। इस तरह इंग्लैंड तो वास्तविक प्रजातंत्र की प्राप्ति की ओर तेज़ी से क़दम बढ़ाता जा रहा है और भारत मन्द गति से विदेशी शासन से अपना छुटकारा करने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार भारत के राजनीतिक आन्दोलन इंग्लैंड के समकालीन आर्थिक उथल-पथल के प्रतिबिम्ब मात्र हैं। इंग्लैंड अर्थ-शास्त्र में जहाँ तेज़ी से पग बढ़ा रहा है वहाँ भारत इंग्लैंड की पिछली पीढ़ी की राजनीति के लहंगे की डोर में लटका हुआ है।

इसलिए इस में आश्चर्य क्या है जब रूस से यहाँ तक पहुँचने वाली दासता से छुटकारा पाने की कहानियाँ सुनकर हम मुग्ध हो जायें ? किन्तु नकल करने से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। इंग्लैंड का समाजवाद वहाँ की ही नवजात औद्योगिकता के अत्याचार के प्रति प्रतिरोध है। रूस का साम्यवाद शताब्दियों के निरकुश शासन का आवश्यक परिणाम है। प्राचीन या नवीन सभी इतिहास में एक-तंत्र शासन के विरुद्ध सशस्त्र और खूनी क्रान्ति निश्चित बात रही है। हाँ यह जरूर बड़े सदेह की बात रही है कि इस से क्रान्तिकारियों को लाभ हुआ या नहीं, इस से एक नये रामराज्य का श्रीगणेश हुआ वा नहीं, इस से उन लोगों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था में सुधार हुआ वा नहीं जिन के लिये खून की नदियाँ बहाई गईं। यदि प्रत्येक क्रान्ति से उस का अभिलषित उद्देश्य पूरा हो तो उस के बाद फिर दूसरी अनेक क्रान्तियों की जरूरत न पड़े। इसलिये किसी क्रान्ति की योजना और प्रचार करने के पहिले, वह चाहे हिंसा के सिद्धान्त पर हो वा अहिंसा के, उन लोगों को, जो दुख भेलती हुई जनता के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हों, यह विचार कर लेना

किया गया है, वह ग्राम-जीवन जो इसके अभ्युदय काल में था, वह ग्राम जीवन जो सुव्यवस्थित, सुनिर्मित राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक नींव रहा। देश पर होने वाले विदेशी आक्रमणों ने हमारे ग्राम-जीवन की समान गति को उस समय तक प्रभावित नहीं किया था, जब तक कि पाश्चात्य राष्ट्रों ने हमारे देश में पैर नहीं रक्खा। उस समय भी हम लोगों का ग्राम-जीवन तब तक अव्यवस्थित होना प्रारम्भ नहीं हुआ जब तक कि साम्राज्यवाद के बीज अपने दुहरे अंकुरों अर्थात् उद्योगवाद और सैनिकवाद के साथ भाप के इंजिन के आविष्कार और सभी हस्तशिल्पों में यांत्रिक बल के प्रयोग रूप में न पनप उठे। इस विषय का विस्तृत वर्णन गांधीवाद बनाम समाजवाद, यंत्र बनाम हाथ की शक्ति, आत्म-शक्ति बनाम पाशविक शक्ति से सम्बन्ध रखने वाले निबंधों में किया गया है। इसलिए उन सब तर्कों का दुहराना यहां पर आवश्यक नहीं है। किन्तु एक या दो पैरों में सरसरी निगाह डाली जायगी और साराश दिया जायगा। अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय बहुमुखी हुई, वह केवल भूमिगत वा राजनीतिक ही नहीं हुई है, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक भी हुई है किन्तु इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भी हुई है। यदि मुगलों ने भारत को विजित किया तो वे यहीं बस गए, और अपनी कला, अपने दर्शन, और अपनी संस्कृति का हम लोगों की कला, दर्शन और संस्कृति से संयोग कर दिया जिससे हम लोगों की राष्ट्रीय सम्पत्ति विस्तार और परिमाण में समृद्ध हुई। ब्रिटेन ने इसके विरुद्ध किया है। उसने अपनी व्यापारिक वस्तुएं, अपनी भाषा और साहित्य, अपनी परीक्षाएं और उपाधियाँ, अपनी संस्कृति और आदर्श हम लोगों के ऊपर लाद दिया है। फलतः भारत के गांव उजड़ कर कस्बों में जा बसे हैं। हाथ की करीगरी की जगह कलों ने ले ली। कौशल के श्रम की जगह कौशलहीन श्रम उत्पन्न हुआ, श्रम अब पूजा नहीं रह

गया, वह एक व्यापार की वस्तु हो गया, वह एक कौशल-हीन इकाई रह गया जिसमें व्यक्तित्व, लचक, और उन्नति तथा विकास के सामर्थ्य का अभाव है।

लंकाशायर और बरमिंघम, डंडी और लिवरपुल के कपड़े और औज़ार, मोजे और नमक के व्यापारों के बाद अंग्रेजी किताबों का व्यापार भी चमका जो शायद भारत के साथ ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापार है, उसके बाद कानून और कानून-निर्माण का व्यापार आया। इस प्रकार भारत के बाज़ार, भारत की कचहरियाँ, कालेज, और धारा-सभाएं भारतीयों को हुकूमत के ज़ोर से नफ़ासत और कपड़े, कानून और संस्थाएं तथा संस्कृति और शिक्षा प्रदान करने वाली बन गईं। गाव के लोगों ने कस्बों में आकर बसते जाने और नई सभ्यता ग्रहण करते जाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। जिस प्रकार किसी समय योरोपीय सभ्यता के आदिम काल में इंग्लैंड पर रोम साम्राज्य का अधिकार होने पर वहा रोम की प्राचीन संस्कृति ही सर्वत्र व्याप्त हो गई थी उसी प्रकार ब्रिटेन की संस्कृति भारत में सर्वत्र दिखाई पड़ने लगी।

इन नए विपैल विचारों के आगमन का क्या परिणाम हुआ है ? विजित जाति की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा राजनीतिक उच्च पद प्राप्ति की होती है, उसके लिए चाहे अति घृणित और दासता-मय संघर्ष भी क्यों न करना पड़ जाय। पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था के सामने झुक गई। खेती के प्रति अनुरक्ति शीघ्र चली गई। ग्रामीण लोगों के लिए नागरिक जीवन एक अपरिहार्य आकर्षण बन गया है। सादा जीवन और ऊंचे विचार का सिद्धान्त पलट कर ऊंचा जीवन और सादा विचार हो गया है। पुराने उद्यमी जीवन के स्थान पर आरामतलवी की चाह उत्पन्न हो गई है। सरकारी नौकरियों की चाह ने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता की प्राचीन भावना को नष्ट कर दिया

है। विदेशी भाषा के अध्ययन की चिन्ता में देशी संस्कृति का लोप हो गया है। देश की परम्परायें तक भुला दी गई हैं। वर्तमान समृद्ध और आह्लादपूर्ण भविष्य का अकुर-स्थल बनने के स्थान पर स्वयं ही अतिम लक्ष्य बन गया है।

पहले जहां विवाद के स्थल पर ही तुरन्त जल्दी में ही न्याय कर दिया जाता था, उसकी जगह शानवान वाली कचहरिया खड़ी हुई हैं जिनमें कायदे कानून की पावटी के बनावटी तरीके बने जाते हैं और उनमें व्यक्तिगत तत्व का अभाव होता है तथा वे कृत्रिम सी होती हैं। शिक्षा फौजी व्यवस्था हो गई है और न्याय का पालन अवनत होकर केवल कानून का पालन रह गया है जिसके सिद्धान्त विदेश से आए हैं। प्रयाण निर्जीव हो गई हैं और उनका विकास रुक गया है। न्याय के मन्दिर में मुकद्दमों का ढङ्ग जुए का सा हो गया है। भूठ कहना फायदे की बात हो गया है। सच्चाई की पूछ नहीं रह गई है। गवाही एक कहानी के रूप में नहीं दी जा सकती, बल्कि वह धूर्त वकील द्वारा जिरह कर असम्बद्ध प्रश्नों द्वारा मुह से निकलवाए उत्तरो के टुकड़े जोड़-जोड़ कर बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप जो बुरा है वह भला दिखाई पड़ने लगता है, इस कारण वादम् (अभियोग) के जोर पर नहीं बल्कि वादी (मुद्दई) के जोर पर जीत होती है।

विदेशी शासन की अनुरक्ति और भक्ति में प्रतिस्पर्द्धा के कारण लोगों में ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है और उनमें वर्ण और सम्प्रदाय की एक गहरे और विषैले रूप की मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई है। दुर्भावना बहुत अधिक जागृत हो गई है, और राष्ट्रीय जीवन के सब रूपों में, विशेष कर चुनावों और नौकरियों में तनाव और दूषण फैल गया है। ग्राम शिल्प नष्ट कर दिए गए हैं। कले प्रधान शक्ति बन गई हैं। अधिकार ने कर्तव्य का, प्रतिस्पर्द्धा ने सहयोग का और घृणा ने प्रेम का स्थान ग्रहण कर लिया है। गाव के लोगों में एक

विपाद और निराशा की भावना छा गई है जो मद्मनों के बढ़ने, आमोद-प्रमोद की कमी होने, प्रकृति की अनिश्चित व्यवस्था और मनुष्यों की अविश्वस्तता विलम्बित आशाओं और भ्रम प्राकाशनों के कारण उत्पन्न हुई हैं। समाज में जीवन के ऊंचे दर्जे तक पहुँचने की अनवरत अभिलाषा ने इस 'आदर्श वाक्य' को जन्म दिया है कि "अपने जीवन-यापन का माप-दण्ड ऊँचा करो" किन्तु वह ऊँचे होने के स्थान में नित्य नीचे गिर रहा है। मजदूरी अम पर हार्ज हो गई है, धन ने सेवा को पीछे कर दिया है। यदि माइव और रेस्टिन्स द्वारा की गई लूट ने इंग्लैंड में मजदूरी की दर बढ़ा दी तो वह कोई दलील नहीं है कि वैसे ही भारत में माग की जाय। देहात और शहर के स्वार्थों में उसी सरकार द्वारा भेद उत्पन्न कर दिया गया है जो देश का शासन कर रही है। आशा का संचार उनी समय हो सकता है जब कि ला (हानून) कालेज तोड़ दिए जाएं, ग्राम-पंचायत स्थापित कर ली जाय, भेद को मिटा कर संघ-नायना उत्पन्न की जाय, श्रौयोगिक और व्यापारिक संरक्षण हटा दिए जाएं, जीवन-निर्वाह के साधन इन प्रकार बढ़ाए जाएं जिससे भूखे मरते और नग-धड़ंग लोगों को काम दिया जा सके।

की बात उदाने में हमने केवल राष्ट्रीय समस्याओं को दुहराया है। यह सच है, क्योंकि क्या भारतीय राष्ट्र गावों में ही नहीं रहता? जहा स्थूल रूप से यह कहना ठीक है कि हम अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण विल्कुल नीव से ही नहीं कर सकते, वहा यह भी कहना ठीक है कि समस्या रूप और दृष्टिकोण मे उतनी ही मनोवैज्ञानिक है जितनी भौतिक, या आर्थिक। ग्रामोद्धार का एक अभीष्ट राष्ट्रीय आदर्शों को ठीक रूप में अनुभव करना है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अधःपतन के विवेचन के लिए इतना विस्तृत लेख लिखा गया है। हमारे देश की बुनियादी समस्याओं के लिए राष्ट्रीय शक्ति से सयोजनात्मक उपयोग मे एक भारी बाधा वह गर्त्त है जो वर्गों और जनता के बीच उत्पन्न कर दिया गया है। वर्गों के लोग गावों मे जाने के अनिच्छुक हैं और जब वे जाते हैं तो अपने बधुओं की समस्याएं एक अनुग्रह रूप से देखते हैं।

अतएव ग्रामोद्धार के लिए पहला काम है कि ऐसे कार्य-कर्त्ताओं को हूँटा जाय तो अनुग्रहकर्त्ता वा बड़े आदमियों के रूप मे कार्य न करे। वे देहात के लोगो मे से एक होने का अनुभव करे, उनके दुख मे, बीमारी मे एक हों, सेवा और त्याग मे भी एक हों। क्या आप कीचड़ मिट्टी और धूल तथा बीमारी मे रहने वाले गरीब आदमी के लिए दिल मे दर्द अनुभव करते हैं? यदि ऐसा है तो क्या आप उनकी जरूरतों और देन मे मददगार होने के लिए तैयार हैं? आप गावो के अतिथिगृह मे जाते हैं, खपरैल में जाला लगा होता है, फर्श मे गड्ढे बने रहते हैं। क्या कभी भाडू लेकर आप जाले साफ करते हैं, और कुदाल लेकर फर्श बराबर कर देते हैं? पास ही किसी के गिरते हुए घर के खर्भों को आप बदलने की कोशिश करते हैं? क्या दूध के लिए रोते हुए किसी बच्चे के लिए दो आसू बहाते हैं और उसको खिलाने का प्रयत्न करते हैं? एक शब्द मे क्या आप उन लोगो की सेवा करने के लिए दौड़ते हैं जो मुसीबत में होते हैं और

आप लोगो से अपने को उनके दुख और यातना का साथी बनाने को कहते हैं ? हम सब असिसी का संत फ्रांसिस वा साबरमती का महात्मा गांधी नहीं बन सकते, लेकिन हमें अपने को आकाश से उतरा हुआ मनुष्य नहीं समझना चाहिये, जो गरीब और असहाय, भूखे-दूखे और नंगधड़ंग लोगों पर अनुग्रह प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर उतरा हो ।

ग्रामोद्धार के लिए गौण सहायक धन्धों की आवश्यकता है जो गरीब मजदूरों और किसानों की अपर्याप्त मजदूरी के अलावे कुछ अतिरिक्त आय करा सकने में सहायक हो वा उनकी वेकारी के समय काम दे सके । साग-सब्जी बोना, खेती, मधुमक्खी पालना, सूत कातना, बुनना, कागज बनाना, आटा पीसना—ये और अन्य सैकड़ों धन्धे ढूँढे जा सकते हैं जो गरीबों की आवश्यकता पूर्ति कर सके । किन्तु कस्बे वालों का यह कर्तव्य है कि वे कुर्सी की जगह गलीचा, लोहे की कलम की जगह नरकल की कलम, लकाशायर के मिलों की जगह खहर की धोती, जापानी खिलौनों की जगह देश में बने खिलौने इस्तेमाल करें । गाव संस्कृति के केन्द्र, कला के स्रोत, और शिल्प के आवास हैं और यदि शहराती लोगो की रुचि गाव की बनी चीजों के ग्रहण करने की न हो, तो गाव वालों को रेडियो पर यह कहने से क्या फायदा कि उन्हें प्रति दिन स्नान करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें पानी की आवश्यकता है, वा यह कि उन्हें सफाई से रहना चाहिए जिसके लिए उन्हें भर पेट भोजन की आवश्यकता है । भूखा आदमी रूखा आदमी होता है, और रेडियो से भी उसी प्रकार उदर की पूर्ति नहीं हो सकती जिस प्रकार मतों (वोटों) से ।

गाव की स्वतंत्र इकाई को तुरन्त पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है । यह पंचायत, निर्णायक समिति और सहयोग समिति होनी चाहिए । इसको नैतिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, स्थानीय मामलों का

निवर्तित करना चाहिए और कृषि की आर्थिक व्यवस्था का प्रबन्ध करना चाहिए। ये ही साधन हैं—जिनको आप चाहे सस्था नाम दे ले—जिन से ग्राम स्वावलम्बी बन सकते हैं। ग्राम-वाचनालय से देश-विदेश के नित्य के घटना-चक्रों का हेर-फेर गाव वालों को मालूम होता रहता है। समाचार पत्र उनके मस्तिष्क का आहार उसी प्रकार देते हैं जिस प्रकार खेत और उसकी उपज पेट को भोजन देते हैं। पाठ-शालाएँ केवल किताबी संस्थाएँ नहीं रह जानी चाहिए जिससे वेकारी की वृद्धि हो। सुई से लेकर मोटर कार तक गाव वालों को बनाने दीजिए और तब कही पर भी अभाव व दुख न रह जायगा, वेकारी की समस्या कहीं नहीं रह जायगी। हम अपने बच्चों को आज-कल के स्कूलों और कालेजों में न भेज कर बहुत अधिक धन की बचत कर सकते हैं जहा की शिक्षा महंगी, अराष्ट्रीय और व्यर्थ है। यदि मूल के थोड़े बहुत फल को मनुष्यों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं के लिए सहायक होने के लिए संचित रखना हो तो गाव के धन की खींच को पहले तुरन्त रोकना चाहिए। अपव्यय को रोकने के बाद अल्प व्यय की नीति ग्रहण करने की आवश्यकता है, जिससे कोई व्यक्ति अपनी हैसियत से बाहर न रहे, किन्तु उसके साथ ही राष्ट्र को अपना बस चलने पर पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए कि समाज के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को निश्चित रूप से भोजन, वस्त्र, रहने के लिए मकान और सामान्य सस्कृति प्राप्त हो।

नगर वालों को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक, इस तथ्य के बावजूद भी कि वह कस्बे में रहता है, वास्तव में गाव में रह सकता है। एक नवयुवक की कल्पना कीजिए जो असल में एक गाव में रहता है किन्तु नित्य प्रातःकाल चाय पानी के लिए कस्बे में जाता है, नित्य सायंकाल सिनेमा, थिएटर के लिए जाता है, प्रत्येक दूसरे दिन बाल बनवाने जाता है, प्रत्येक सप्ताह

धुलाई की दूकान में जाता है, प्रत्येक मास बाल कटवाने जाता है तथा जब-तब नाटक वा सरकस को देखने पहुंचता है। क्या वह गांव में रह रहा है? वह अपने कपड़े लत्ते, सिलीसिलाई कमीज़ों, जूते, छाते सब कुछ कस्बे में ही खरीदता है। इसी प्रकार कोई कस्बे का भी रहने वाला हो सकता है जो यथार्थ में कस्बे में रहता हुआ भी गांव में ही रहे जिस प्रकार गांव का व्यक्ति गांव में रहता हुआ भी कस्बे का रहने वाला हो। सारी समस्या मानसिक है, जिसमें प्रत्येक कस्बे और गांव के निवासी को प्रत्येक चीज़ की छानबीन करनी चाहिए जिसे वह खरीद रहा हो और इसका इतमीनान कर लेना चाहिए कि खरीदी जाने वाली चीज़ें देश की बनी हैं वा विदेश से आई हैं, गांवों में बनी हैं वा कस्बों में, हाथ की बनी हैं वा कलो की। और जो व्यक्ति ऐसी चीज़ें खरीदता है जो हाथ की और देशी सामग्री की बनी हो वह चाहे गांव में बनी हो वा कस्बे में, वही आदमी भारत के गांवों का यथार्थ उद्धार करने वाला है—वह आदमी नहीं जो अपनी छुट्टी के संध्या समय को विद्यार्थी वा व्यवसायी रूप में व्यतीत करता है और एक वा दूसरे विषय पर विद्वत्ता-पूर्ण भाषण देने की योजना करता है। गांवों की बात सोचिए और उसके धन्धों की सहायता कीजिए, आप ग्रामोद्धार के हितचिन्तक बन जाएंगे।



अध्याय १८

शान्ति सेना

कांग्रेस रूप प्राणी की आशाओं को कार्यान्वित करने वाले अनेक अंगों में एक स्वयंसेवक दल है जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर हिन्दुस्तानी सेवा-दल नाम दिया था। एक दशक से कुछ पहले यह एक पृथक और स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा था किन्तु बाद में १९३१ ई० में यह सम्बद्ध सस्था बना लिया गया और इसे कार्य-कारिणी समिति के एक सदस्य श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कार्य करने का आदेश हुआ। परिणाम-स्वरूप इसे लगभग उसी दर्जे का रूप दिया गया जिस प्रकार अखिल भारतीय चरखा सघ (१९२५) अखिल भारतीय हरिजन सेवक-सघ (१९३३) तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा समिति (१९३७) की स्थापना हुई थी अनेक अन्य कांग्रेस सगठनों की तरह दल भी सविनय अवज्ञा के दिनों में ग़ैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और आन्दोलन के स्थगित होने पर उन्हीं की तरह इस पर से सभी प्रतिबन्ध हट गया था किन्तु इसकी पुनः स्थापना नहीं हुई।

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सगठन पुनः स्थापित करने का प्रश्न कांग्रेस-अधिकारियों के सामने रक्खा था कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इसे निश्चित रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है। महात्मा जी का बाद में निकला हुआ शान्ति-सेना पर का लेख इस समस्या के सम्बन्ध में खड़े हुए रहस्यों को हल कर देता है एक स्वयंसेवक संगठन का उद्देश्य यह होना चाहिये और वास्तव

में सदा रहा भी है कि सेवा करे, व्यवस्था स्थापित करे और कांग्रेस के सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए राष्ट्रीय सेना का कार्य करे, किन्तु यह स्पष्टतया अनुभव किया गया कि इन दोनों सिद्धान्तों का सेवा-कार्य करते समय सेना द्वारा केवल वर्दी की भांति प्रयोग नहीं होना चाहिये। बल्कि सेना में भर्ती होने के समय ही युवक पुरुषों के लिए यह वास्तविक प्रेरणा होनी चाहिये। सत्य और अहिंसा कांग्रेस द्वारा निर्धारित वर्दी नहीं है बल्कि वे स्वयंसेवक संगठन की अस्थि और पेशी, नस और रचना-शैली हैं। सेना यह है किन्तु यह राष्ट्रीय सेना का मध्य केन्द्र नहीं है जिसमें इसे समय आने पर रातों ही रात परिवर्तित किया जा सके जिस प्रकार हम लोगों में से जेल काटे हुए लोगों को गवर्नरों ने एक दिन प्रातः काल निमंत्रण भेजा और वे मंत्री हो गए। यह एक नई प्रकार की सेना का मध्यकेन्द्र होगा जिसके सैनिकों को स्वराज्य के बाद भी काम करना पड़ेगा किन्तु पेटी और डंडे के साथ नहीं तथा तलवार और बन्दूकों के साथ नहीं, बल्कि शरीर पर शान्ति के चिन्ह और हृदयों में त्याग की भावना के साथ हम इस योजना पर कुछ और विचार करेंगे।

सभी सेना इस आशा से संगठित की जाती है कि उसे मोरचे के मारु बाजे का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों को रणभूमि देखने का भी अवसर नहीं मिल सकता और कुछ राष्ट्रीय पैमाने पर किए जाते हुए मनुष्य की पहली ही बध-लीला से वापस नहीं हो सकते। यह एक ऐसे दस्तावेज की तरह माना जा सकता है जिस पर ठीक तरह से स्टाम्प लगाया गया है और गवाही हुई है। दस्तावेज की मजबूती पर एतराज नहीं भी हो सकता है और उसे कचहरी में जाने की नौबत नहीं भी आ सकती है। ऐसी दशा में यह चुप-चाप से अभिप्राय को पूरा कर चुका रहेगा जिससे कोई विरोध न खड़ा हो। किन्तु यह कचहरी में भी लाया जा सकता है और नाजायज करार दिया जाकर फाड़

समाजवाद का कार्य-क्षेत्र और दृष्टिकोण

अत्यन्त उचित है कि इच्छित परिणाम पर पहुँचने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम लाभ-प्रद है वा नहीं और वह भी किस हद तक ।

फलतः भारत में हम लोगों के अध्ययन के विषय हैं:—जमीन के बटवारे के सिद्धान्त, उस की लगान में राज का भाग, प्रजा के प्रति राज के कर्तव्य, गाव और कस्बों में जीवन का संगठन, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज की रचना प्राचीन, स्मृतिकारों और धर्माचार्यों द्वारा देश की जनता के सामने रखे हुए विद्या और धन के आदर्श, विदेशियों के भीषण आक्रमणों के कारण देश में उत्पन्न हुई अधोगति, भारत पर अंग्रेजी आधिपत्य के अनेक पहलुओं के रूप, पूर्व के अधः पतन की पश्चिम की जिम्मेदारी, आधुनिक प्रभावों का द्रुतगामी रूप, जिन स्थायी सिद्धान्तों पर प्राचीन भारतीय समाज का निर्माण हुआ था, उसके पुनर्जीवित करने की आवश्यकता, युगों से प्रचलित उपज और खपत के भव्य सिद्धान्त का पुनरुद्धार, गाव, जिले, प्रान्त और देश भर के स्वतः पूर्ण रहने की व्यवस्था, जिस रूप में हमारा देश अभी हाल तक रहा है, सुई तागे से लेकर रेशमी फीते और बाल में लगाने के पिन तक पाश्चात्य देशों की चीजे फेरी द्वारा गाव गाव के दरवाज़े दरवाज़े बिकने से पैदा हुई तबाही, ग्राम्य शिल्प की बर्बादी, पाश्चात्य देशों से मंगाई जाने वाली बस्तुओं पर, भारत और उसके सात लाख गावों की, सबेरे से शाम तक, पूर्ण निर्भरता, सामाजवादी वा किसी भी दूसरे वादी के लिए, इन सब बातों का पूर्ण विचार-पूर्वक अध्ययन पूर्वी देशों की सामाजिक व्यवस्था का सुधार करने के लिए, पाश्चात्य समाजवाद वा किसी भी दूसरे वाद के नपे तुले सिद्धान्त का प्रयोग करने के पहिले, अत्यन्त आवश्यक है ।

समाजवादी जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उसकी अपेक्षा उस के सिद्धान्त के लिए यह वास्तव में अधिक सुगम मार्ग है क्योंकि सब से लम्बा मार्ग वास्तव में निकटक होता है । ईश्वर को धन्यवाद है कि उद्योग-

दिया जा सकता है और इस तरह रह हो सकता है। उस समय वह बेकार हो जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रों की नियमित सेना के संगठन की बात है और उनकी सेनाओं के भाग्य-परिवर्तन इसी प्रकार होते हैं।

यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि भारत जो अपने अहिंसा सिद्धांत का इतना अधिक प्रदर्शन करते हुए मालूम पड़ता है क्या सेना और शस्त्र रखे बिना स्वराज्य को सम्भवतः चला सकता है - इसी तरह यह भी पूछा जाता है कि जब हम कलों और कल से उत्पन्न वस्तुओं की बात घृणा पूर्वक करते हैं तो क्या हम रेलवे, टेलीफोन और तार के बिना काम चला सकते हैं। एक तर्क को बढ़ा कर व्यर्थ रूप में तूल देने से कोई परिणाम नहीं निकलता। सभी तार्किक निष्कर्षों को उपयोगी परिणाम नहीं कहा जा सकता। अपनी आलोचना में भी हमें आपेक्षिक भावना रखनी पड़ेगी। विरोध की अवस्था में राजनीति के साधन रूप में अहिंसा को सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया गया था यह उनको पार कर गया है और धीरे-धीरे अपने विरुद्ध प्रचंड असुविधाओं का मुकाबला करने की शक्ति और सामर्थ्य सिद्ध कर चुका है। यह राजनीति से प्रयुक्त एक नया दर्शन है। प्रबल ब्रिटेन के पाशविक प्रहारों के सामने ठहर सकने और उसे अधिकृत कर सकने की इसकी सामर्थ्य को एक बार हम लोगों ने देख लिया है इसलिए इसके प्रयोग के क्षेत्र को विस्तृत करने के समय हमें उन्हीं आलोचना और सन्देहों को नहीं दुहराना चाहिए।

किन्तु यहाँ भूत-कालीन और सम-कालीन दोनों इतिहास भी अहिंसा की प्रबल शक्ति के प्रचुर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल के रोम में दगलो के व्यवसायी मल्लो का युद्ध किस प्रकार समाप्त किया जाता था? क्या यह सत्य नहीं है कि अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति उनको शान्त करने वाला होता था जो पाशविक शक्ति के इन दो अवतारों के मध्य कूद पड़ता था और इन दोनों मल्लों की तलवार के भोंक से उसकी मृत्यु हो जाती थी जिससे अन्त में

नृशंस क्रीड़ा का रोम में लोप किया जा सका ? कुछ ही दिन पहले पंजाब में एक घटना हुई जो हमारे उन बन्धुओं के स्मरण रखने योग्य है जो संदेह और विराग की भावना में लित हैं । पास पास रहने वाले दो परिवारों में भगड़ा खड़ा हुआ जिसमें हथियार-वन्द युद्ध का रूप धारण कर लिया । वे घातक प्रहार करने ही वाले थे कि उनके बीच एक बारह बरस की लड़की कूद पड़ी जिसका दोनों दलों से समान रूप से ही रक्त का सम्बन्ध था और दोनों पक्ष वाले एक दूसरे पर जो प्रहार कर रहे थे वह उस पर ही हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि वह काल-कवलित हो गई और दोनों लड़ने वाले दल इस लज्जा के कारण पृथक हो गये और उन्होंने अपने भगड़ों को पाशविक शक्ति द्वारा नहीं बल्कि तर्क और विवेक द्वारा निवटा लिया । अहिंसा की शक्ति सिद्ध करने के लिए कोड़ियों उदाहरण ऐसे ढूँढे जा सकते हैं जो हम लोगों के महाकाव्यों में आते हैं । किन्तु हम एक ऐसे युग में रहते हैं जब कि प्रह्लाद की बात कवि की कल्पना का प्रेत कहकर मिथ्या बतलाई जाती है और विश्वास ने संदेह और निराशा को स्थान दे दिया है ।

किन्तु फिर लोग पूछ सकते हैं कि क्या अहिंसात्मक सेना के सदस्यों को भर्ती कर सकना सम्भव है जो क्रोधोन्मत्त भीड़ और पाशविक-उपद्रवों का अपने को शिकार बनाने के लिए जान-बूझ कर तैयार होंगे । खैर हम पूछते हैं कि महायुद्ध में मोर्चों की खाली जगहों को भरने के लिए और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली तोपों के मुंह में पड़ने के लिए लोग इतनी अधिक संख्या में भर्ती होते रहे हैं । वहा रक्त का सम्बन्ध रखने वाले दो समीपी परिवारों के भगड़ों को दूर करने का जंचा उद्देश्य भी नहीं था । क्या आप यह कहते हैं कि महायुद्ध की रणभूमि में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं गया, सब ज़रिया भरती द्वारा ही भरती किए जाते थे ? यह युद्ध की भीषणता को

म० गाँधी का समाजवाद

इससे भी अधिक भयानक रूप में चित्रित करेगा जैसा हम विश्वास करते हैं और इससे भगड़ों का निपटारा करने के लिए परम्परागत साधनों को ही मान्य करने के लिए दलील मिलती है। क्योंकि युद्ध की समाप्ति पर होने वाली प्रत्येक सधि अपने साथ एक नए युद्ध का बीज भी बोती गई। हम इस बात को आज देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों के लिए युद्ध-कला परिवर्तित करने का यह समय है। शान्ति स्थापित करने में युद्ध असफल हो गया है इसलिए हमें युद्धों को रोकने के लिए शान्ति के मार्ग की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिए कि लोग शान्ति सेना में भरती होने के लिए आवेगे। युद्ध और शान्ति दोनों में भर्ती होने पर युद्ध की आशंका समान रूप से है। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि जब सैनिक भर्ती होता है तो वह वारिकों में फुटबाल और गल्फ खेलने के लिए भरती होता है। वह अपना प्राण अपनी हथेली पर लेकर चलता है। इसी तरह शान्ति सेना में भरती होने वाला व्यक्ति भी पूर्ण रूप से मृत्यु के लिए तैयार रहता है किन्तु उसमें यह भी प्रेरणा रहती है कि वह एक नया प्रयोग करने जा रहा है जो भूतकाल में प्राप्त भव्य परिणामों को देखने पर भविष्य में भी वैसे ही परिणामों की आशा से पूर्ण है।
